tees of the House or the Houses which deal with business transacted in the House or matters arising on the basis of business transacted in the House. They are not Committees of the House dealing with problems of policy or implementation of policy or problems of the people. As far as this latter set of problems is concerned, it is obvious that Joint Committees will be more efficient, more appropriate, and I do not think, therefore, this is an occasion for us to make a departure from the precedent that we have had in the past, which was established after much thought, much consideration and much experience. Therefore, I would humbly request the honourable Member not to insist on his amendment.

SHRI N. P. CHAUDHARI: I quite appreciate the feeling that the honourable Minister has expressed here. But if you go through the past history of the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes you will see that whenever some problem came up here, we were all the time given a lot of assurances, and if we collect the bundles of those assurances they will be taller than this magnificent building. What have actually come out of it? Nothing has come out. All these assurances have served no purpose so far as Scheduled Castes people are concerned. Before I say anything further, I will cite one instance. There are the reports by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These reports are not considered for years together. In the other House these reports from 1972-73 are pending. They have not considered them. Similarly, reservation in services and other matters are not being properly observed even after thirty years of independence. These are all problems causing great anxiety among these communities. I would like to request the hon. Minister to give a categorical assurance that these assurances will not remain mere assurances on papers, but concrete steps will be taken to implement them.

SHRI RAVINDRA VARMA: I can assure the hon. Member that all our assurances are meant to be implemented.

SHRI N. P. CHAUDHARI: In view of this assurance, I do not press my amendment. I would like to withdraw it.

The amendment† was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April 1978, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश): उप-सभापति जी, गृह मंत्रालय की चर्चा प्रारम्भ

†For the text of amendment, vide col. 140 supra.

[श्री सुंदर सिंह भंडारी]

करने के पहले मैं आपके द्वारा इस परिस्थिति का उल्लेख कर देना चाहता हूं जो पिछले चार महीनों में इस देश से निर्माण हुई है । एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में अनुभव करने लगा है और भय का और आतंक का वातावरण जो देश में पिछले दो वर्षों से व्याप्त था, साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे वह गांव में हो चाहे वह शहर में हो, आज निःशुल्क होकर बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के वह आज अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है । उसके मन पर कोई बोझ नहीं है और इससे इस बात की आश्वस्ति है कि उसके ऊपर अगर कोई अन्याय किया गया तो अदालत का दरवाजा अब उसके लिए खुला है जहां छोटे से छोटा व्यक्ति बडी से बड़ी ताकत से टकराने का अधिकार रखता है। गृह मंत्रालय ने जो पहला काम सरकार परिवर्तन के बाद किया वह बाह्य परिस्थितियों के कारण भी जो आपातकालीन व्यवस्था देश में लागू थी और 1971 के दिसम्बर महीने से चल रही थी उसको समाप्त करने का फैसला किया । मैं यह समझ सकता हूं कि बाह्य आक्रमणों के संबंध में आपातकालीन स्थिति लागू की जाए क्योंकि उस समय देश पर एक संकट रहता है, युद्ध की परिस्थिति का निर्माण होता है और उस समय सरकार कुछ आवश्यक अधिकार अपने हाथ में ले तो उसके पीछे तर्क है लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से यह बात समझ में नहीं आ रही थी देश वासियों को कि यद्यपि 1971 का युद्ध मुश्किल से 15 दिन की एक घटना थी फिर भी 1971 से लगाई गई आपातकालीन परिस्थिति लम्बी की जाती रही थी जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । मुझे विश्वास है गृह मंत्रालय इस बात की भविष्य मे भी चिंता करेगा कि बाह्य परिस्थितियों के कारण भी अगर आपातकालीन अधिकारों को लेने की अनिवार्यता हो तो जितना कम से कम समय या जितनी देर तक वह बाह्य परिस्थिति हमारे देश पर बनी रहती है उतने ही समय तक वह आपातकालीन अधिकारों की व्यवस्था बनी रहनी चाहिये. इससे अधिक नही ।

देश में जो आतंकित परिस्थिति का, आपातकालीन परिस्थिति का निर्माण किया गया था वह नहीं किया जाना चाहिये था क्योंकि मैं नहीं समझता कि देश का कानून इतना पंगु है कि आंतरिक परिस्थितियों का साधारणतः मुकाबला न कर सके । हमने पिछले दिनों में आंतरिक परिस्थितियो में आपातकालीन अधिकारों का जिस प्रकार का दुरुपयोग देखा है वह इस बात का एक बहुत बड़ा सबक हो जाना चाहिये कि इन कारणों को लेकर आपातकालीन परिस्थिति घोषित करने का न औचित्य हो सकता है और न आगे भी कभी होना चाहिये । हमने बिना कारण बताए लोगों को जेलों में रखा । महीना, दो महीना समझ में आ सकता है कि परिस्थिति बड़ी जटिल हो गई थी इसलिए कारण नही बताए जा सकें। कानून में प्रावधान 12 महीने का था लेकिन हैरत हुई उस समय जब उस 12 महीने के समय को भी संसद् के द्वारा 24 महीनों में परणित करने का प्रयत्न किया गया। मुझे तो कोई इस बात को कहने में संकोच नही है कि अगर और कारणों से आपातकालीन परिस्थिति को समाप्त करने की नौबत इस देश में न आई होती तो 24 महीने समाप्त होने के पहले 36 महीने या 48 महीने में परणित होने का संशोधन हो जाता और एक ऐसी विचित्र परिस्थिति देश में पैदा करने की कोशिश होती कि किसी भी व्यक्ति को बाजार से उठा कर, घर से उठा कर, दफ्तर से उठा कर जेल में डाल दिया जाए और शायद जिंदगी भर उसको इस बात की भी इत्तला न दी जाए कि उसने कौन सा जुर्म किया है और क्यों उसे जेल में डाला गया है । यह एक ऐसी भयानक परिस्थिति पैदा करने का प्रयत्न होता ।

मान्यवर, गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों इस बात के आंकड़े दिये हैं कि इस आंतरिक परिस्थिति के दिनों में आपातकालीन परिस्थिति के दिनों में एक लाख सात हजार व्यक्ति नज़रबंद किये गये। ऐसा कौन सा बड़ा तूफान इस देश में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को नज़रबन्द करने का पैदा हुआ था ? शायद कोई भी तर्क इसका समाधान नहीं कर पायेगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में डी० आई० आर० के अंतर्गत पकड़े गये उन लोगों की भी अधूरी संख्या दी हुई है। उसमें संख्या दी हुई है 39,832 लोगों की, लेकिन इस बात का भी उल्लेख है कि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के आंकड़े शामिल नही हैं। मैं समझता हूं कि मैंने जो फैहरिस्त प्रान्तों की रखी है वह सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आपातकालीन परिस्थिति में बहुत ज्यादा जुल्म ढाये गये और अनेक लोगों को पकड़ा गया। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इस डी० आई० आर० के केसेज के बारे में भी पूरी जानकारी सदन के समक्ष रखेगा कि एक रिकार्ड देश के सामने आ जाय कि उन दिनों में क्या हुआ है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि डी० आई० आर० के अन्तर्गत 33,736 मुकद्दमे चलाये गये और इनमें से केवल 17,365 मामलों में सजा हुई। इस प्रकार आधे मामले ऐसे थे जिन में कोर्ट ने लोगों को बरी कर दिया। मैं यह बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे, शायद जिन के संबंध में गृह मंत्रालय भी अन्य कुछ नहीं बता सकेगा कि जिन लोगों ने सत्याग्रह किया था उन्होंने जुर्म कबूल करने से मना किया अर्थात् जितने सत्याग्रही थे उन्होंने जुर्म कबूल किया है और उन को सजा हुई है। लेकिन जो लोग बरी किये गये हैं वे ऐसे लोग हैं जिन पर झूठे मुकद्दमे बनाये गये थे, जिन्होंने सत्याग्रह नहीं किया था। पुलिस भी उनके खिलाफ किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं कर सकी। पचास फी सदी से ज्यादा लोग इसी प्रकार के थे। इस से साबित होता है कि कितना सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और कितने बेगुनाहों को सड़क पर चलते हुए लोगों को या यों ही बहाना बना कर डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया है। उप-सभापति जी, यह केवल डी०आई०आर० का ही मामला नहीं है। मुझे यह भी मालूम है कि डी० आई० आर० के मामलों में जमानत होती है। लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब डी० आई०आर० के केसेज में जमानत देने वाले व्यक्तियों को जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने फिर पकड़ लिया और हाथों हाथ उस पर मीसा का वारन्ट सर्व कर दिया और उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से जितने भी डी० आई० आर० के मामले हुए उन में ज्यादातर लोगों को 19 महीनों तक जेलों में रखा गया। जहां तक जेलों में रखने का सवाल है, मीसा और डी० आई०आर० कानून की दृष्टि से भिन्न होंगे, लेकिन जेल में लोगो को रखने के मामले में कोई व्यावहारिक अन्तर इन दोनों में नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से दर्खास्त करूंगा कि इस के आंकड़े भी, कि इन सारे राज्यों को मिलाकर कितने लोगों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत जेलों में रखा गया, वह सदन के समक्ष प्रस्तुत होने चाहियें ताकि आपात्-काल के दौरान मे कितने लोगों को जेलों में डाला गया इसके पूरे आंकड़े समाज और देश के सामने आ जायें। परिस्थिति का तकाजा क्या था, और विशेषा-धिकारों का कितनी बड़ी मात्रा में दुरुपयोग किया गया, इस का हिसाब भी देश के सामने आ जाय और किसी को किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे।

लेकिन अब जब कि हम सारी परिस्थिति का निदान करना चाहते हैं तो मैं यह भी

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

जरूर कहना चाहूंगा कि अब ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म बताये या बिना मुकद्दमा चलाये जेल में रहना न पड़े। यह मौलिक नागरिक अधिकार है। जिसकी बिना किसी इफ्स एण्ड बट्स के इस देश में प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। हर इंसान को, हिन्दुस्तान के हर नागरिक को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अगर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा या तुम्हें जेल में रखा जाएगा तो इसके कारण बताए जाएंगे और मुकद्दमा चलने पर जब सजा के लिए जेल में रखने की नौबत आएगी तभी जेल में रखा जायेगा, अन्यथा तुम स्वाधीन नागरिक हो, स्वतंत्र नागरिक हो, तुम्हारी आजादी पर कोई भी अंकुश नहीं होगा।

इस इन्टरनल इमरजेन्सी और एक्सटरनल इमरजेन्सी की समाप्ति के बाद मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने जो लोग डिटेंशन में रहे, खास तौर से सरकारी कर्मचारी, उनको बहाल करने का फैसला किया। अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली है, कुछ अपवादों को छोड़ कर, लगभग सब लोग सरकारी नौकरियों में लिये जा चुके है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को डिटेंनशन पीरियड की केवल आधी तनख्वाह देंगे, उन पर पुनर्विचार करें। मैं नही समझता कि इसमें उनका कोई कसूर था। उन्हें जो डिटेन किया गया था, इसके लिये वे जिम्मेदार नहीं थे, जिन्हें डिटेन किया गया। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसने उनको डिटेन किया, और सजा वे लोग भुगत रहे हैं जिन्हें डिटेन किया गया। यह अन्याय होगा। इस डिटेन्शन पीरियड का भी पूर्ण वेतन देने की चेष्टा होनी चाहिए।

जो सरकारी कर्मचारी डिटेन किये गये थे, उनकी संख्या छोटी है, बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो आटोनामस कारपोरेशन में काम करते थे, जो बैंक्स में काम करते थे और जो दूसरे प्राइवेट कन्सर्न में काम करते थे। मैंने इस सम्बन्ध में अनेकों संगठनों से पिछले दिनों में पत्र-व्यवहार किया है। इन प्राइवेट इस्टीट्यूशन्स ने ज्यादा से ज्यादा यह हमदर्दी दिखाई है कि उनको फिर से नौकरी पर ले लिया। उनकी नौकरी तोड़ दी गई थी, इस डिटेन्शन पीरियड के समय। अब फेश अपोइन्टमेंट उनका हुआ। डिटेन्शन के समय की उनको तनख्वाह नहीं मिली। डिटेन्यूज़ के घरों को चलाने के लिए, क्योंकि वे ही एकमात्र उसके कर्ता-धर्ता थे, जो कि घर का खर्चा बर्दास्त करते थे, बिना किसी कसूर जिनको डिटेन किया गया था, को मेन्टेनेन्स एलाउन्स देने की बात उठी थी। हमें हैरानी हुई थी उन दिनों यह पढ़ कर कि एक-दो राज्य सरकारों ने मेन्टेनेन्स एलाउन्स की घोषणा की थी, 50 रुपये माहवार की। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेइज्जती किसी डेटेन्यू की नहीं हो सकती थी और इसलिये उन्होंने यह अच्छा किया कि जो यह 50 रुपये मेन्टेनेन्स एलाउन्स था, उसे ठुकरा दिया, लेने से इन्कार कर दिया। मुझे विश्वास है कि वर्तमान गृह मंत्री जी इस सवाल पर सहानुभूति से और सहृदयता से विचार करेंगे, खासकर जब ऐसे कर्मचारियों को तनख्वाह भी नही मिली, नौकरी में तोड़ हो गया और ऐसे भी अनेक लोग हैं, जो खुद का धंधा करते थे, और जिनकी दुकानें बन्द हो गई, जो बेघरबार हो गये। खाने-कमाने का उनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब सवाल हैं, जिनकी तरफ हमें तवज्जोह देना चाहिये। सरकार के कदमों के कारण जो अन्याय और अत्याचार हुए है, क्योंकि वे गलत थे, बेबुनियाद थे, इसके लिये पूर्ण रूप से परिमार्जन होना चाहिए। इस मौके पर मैं यह मांग करना चाहूंगा।

मैं यहां इस बात का स्वागत करता हूं कि उन दिनों जब कि जुल्म और ज्यादतियां हुई थीं, वह कितनी मात्रा में हुई थीं, इसका अन्दाजा हम शायद मार्च के महीने में नहीं लगा पाये थे, अप्रैल में नहीं लगा पाये थे। लेकिन जबसे अखबारों को इस बात की आजादी मिली है कि वे सब कुछ छाप सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, तो उस समय से दर्दनाक कहानियों का सिलसिला अभी भी जारी है और ऐसी-ऐसी भीषण वारदातें प्रकाश में आई हैं जो किसी भी सभ्य संसार मे स्वीकार नहीं की जा सकती। मुझे प्रसन्नता है कि इन बातों की तह में जाने के लिये, जो गुनहगार है, उनके गुनाह को पिन-प्वाइंट करने के लिए कमीशन्स की नियुक्ति हुई है। इन कमीशन्स की नियुक्तियों पर बहुत बावेला मचा है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर जरा सा भी हम दयानतदारी का परिचय देना चाहते हैं। आजकल कुछ हमारे मित्र अपनी उन सारी बातों पर पर्दा डालने के लिये कभी-कभी यह तर्क देते हैं कि : We might have been cowards but we were human as well. हम उस समय बोल नहीं सके। क्योंकि हम डर गये थे। बड़ी खुशी की बात है, उस परिस्थिति में डर गये थे लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो चीजें सामने आ रही हैं, जो आपकी जानकारी हैं, डर के कारण उस समय आप बोल नहीं सकते थे, अब हिम्मत से सामने आइये। जिसने भी गुनाह किया है, जिसने जुर्म किया है, जो ज्यादतियां की हैं और वे आपकी जानकारी में है, उनके आप गवाह बनिए, इन कमीशन्स को रोशनी दीजिये ताकि वे इन गुनाहों को ठीक नुक्ते पर पहुंचाने में, सही आदमी को कसूरवार करार देने में सफल हों। अगर आप इस सबंध में मददगार साबित होंगे तो आपकी उस समय की जो बुजदिली थी, उसको समझने की परिस्थिति पैदा हो सकेगी। पर केवल यह दलील देना कि उस समय हम बुजदिल हो गये थे, केवल यही हमारा कसूर था, आपके अकंपलिस होने के आरोप को बक्शा नहीं जा सकेगा।

मैं यह चाहूंगा कि कमीशन का काम इतना सरल होना चाहिए कि वह आम आदमी के साथ व्यवहार कर सके और यह भी गुंजायश होनी चाहिए कि केवल टेकनीकलटीस के आधार पर सही बात कमीशन के सामने रखने से रोका नहीं जाएगा। इस बात की भी आवश्यकता हो सकती है कि सारे हिन्दुस्तान भर में से इस प्रकार के जुर्म और ज्यादतियों की दास्तानें आ रही हैं, शायद दिल्ली में बार-बार आकर और पूरी और पूरी चीजों की तकमील करने के लिए वे लोग खर्च बरदाश्त न कर सकें, वे इतनी दिक्कत गवारा न कर सकें, कमीशन को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसे सब लोगों की दास्तानें सुनने के लिये दिल्ली के बाहर जाकर अपनी सिटिंग्ज़ की व्यवस्था करें जिससे हर चीज़ उसके सामने खुल कर आ सके। आज जरूरत इस बात की भी है कि सब काम का दबाव का बोझा होने के बाद भी कमीशन जितनी जल्दी अपने नतीजे पर पहुंच सके उतना ही लोगों के मनों इन सब के बारे में इज्जत बढ़ेगी।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि शाह कमीशन के पास अब तक 20,000 शिकायतें आ चुकी हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैंने इसलिए माननीय मंत्री जी को निवेदन किया और मैं काम के बोझ को भी महसूस करता हूं परन्तु फिर भी कहे बिना नहीं रह सकता वे अपनी तरफ से जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी करने की कोशिश करें।

इसी संदर्भ में मैं यहां पर अत्याचारों के संबंध में उदाहरण देते समय पुलिस के

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

रवैये का भी उल्लेख करना चाहूंगा । पुलिस के वातावरण में मानवता लुप्त होती जा रही है । हमें कोई न कोई इस प्रकार का वायु-मण्डल निर्माण करना पड़ेगा, केवल कानूनों से ही पूरी नहीं पड़ेगी । ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ेगा जहां पुलिस के अन्दर काम करने वाले लोग यह समझें कि वे अपने भाइयों से ही व्यवहार कर रहे हैं । जो ब्रिटिश शासनकाल की लीगेसीज अभी भी कायम हैं, इस संबंध में अगर कानून में भी इस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत महसूस हो तो उसको भी देखा जाए कि आज की व्यवस्था में कितने सुधार की जरूरत है । खास तौर पर अभी भी जो एक तरीका बना हुआ है पुलिस के लोगों के रिकार्ड को ठीक करने के लिए कि उन्होंने कितने कनविक्शन कराए और कनविक्शन कितने नहीं कर सके, यह जो मापदंड इन पुलिस वालों की सर्विसिज के बारे में बना हुआ है, क्या इस विषय में इस स्टैंडर्ड को हम बदल नहीं सकते? कन्वीक्शन कराना ही जब तक उसकी तरक्की का एक आधार गिना जाता रहेगा तब तक शायद जुल्म करने पर, वह रहम दिखाने का सबक सीखने के लिये तैयार नहीं होगा और अब तो साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के बहुत तरीके निकल गये हैं । अब थर्ड डिग्री मैथड्स काम में लाये जायें और काम में लाने वाला कोई भी पुलिस कर्मचारी हो वह किसी तरह के रहम का पात्र न रहे इसको भी हमको तय करना पड़ेगा । अब थर्ड डिग्री मेथड्स का जमाना चला गया है और अगर इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो जो ह्यूमन टच आना चाहिये पुलिस के व्यवहार में उसका दर्शन हमारे लिये मुश्किल हो जायेगा ।]

मैं यहां पर जो पुलिस के अन्दर कर्मचारी काम करते हैं उनके प्रति भी जो हमारा ह्यूमन एप्रोच होना चाहिये उसको भी भूलना नहीं चाहता । उनकी लिविंग कन्डीशन्स और सर्विस कंडीशंस हम लोगों की तवज्जह मांगती है । यह हमारा फर्ज है कि दूसरी प्रकार की सुविधायें जो उनको भी मिलनी चाहियें हम उनकी पूर्ति करें । लेकिन उसके साथ-साथ मैं, उनका व्यवहार जन साधारण और समाज के प्रति, ला एण्ड आर्डर को कायम रखते हुए उनके संबंध में किसी प्रकार की ढील की गुंजाइश बर्दाश्त न करते देते हुए भी जो ह्यूमन टच उनका चाहिये, मामलों को हल करने के लिये उसका आग्रह करना चाहूंगा । घटनाएं फिर भी भिन्न-भिन्न प्रकार की घटती हैं । ला एण्ड आर्डर सिचुएशन की रखवाली की जिम्मेदारी होने के बाद भी, आज जैसा हमारे एक मित्र ने उदाहरण दिया मंत्री महोदय उस समय नहीं थे, पता नहीं उसमें उनका कौन सा मोटीवेशन था । उन्होंने कहा था कि साऊथ एवेन्यू के एम० पी० के फ्लेट्स में पिछले कुछ दिनों से चोरियों के उदाहरण बढ़े हैं । मैंने उस समय भी स्पष्टीकरण मांगा था कि यह केवल चोरियों के उदाहरण हैं या इसमें कुछ सदर्भ या राजनैतिक अर्थ वे निकालना चाहते हैं । मैं उस समय भी स्पष्टीकरण नहीं चाह सका था लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में कहीं भी...

(Interruptions)

डा० मुकुन्द राय व्यास (महाराष्ट्र) : हमारे यहां चोरियां होती हैं तो कोई पोलिटिकल मामला होता है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं यह कहना चाहता था...

(Interruptions)

क्योंकि कांग्रेस के सदस्य का उल्लेख किया था . . .

(Interruptions)

श्री हरि सिंह भगुबावा महिडा (गुजरात) : चोरियों के लिये ह्यूमन टच दे रहे हैं....

अभी तक जितनी चोरियां हुई हैं वह कांग्रेस वालों के यहां हुई हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसलिये मेरा यह कहना था मुझे यह निवेदन करना है कि अगर ला एण्ड आर्डर सिचुएशन में कोई गिरावट आती है तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है इसके लिये जो भी जिम्मेदार हों, उन लोगों के प्रति कठोर कार्यवाही होनी चाहिये कहीं भी किसी को भी उसके लिये माफ नहीं किया जाए । लेकिन फिर मेरे मामले में क्यों यह फर्क करने की कोशिश की जाती है जनता पार्टी के एम० पी० के मामले में चोरी हुई या कांग्रेस के मामले में चोरी हुई । चोर किसी के घर में चोरी करें, चाहे वह कामन सिटीजन हो या कोई गरीब, वह उतना ही गुनाहगार होगा चाहे राष्ट्रपति भवन में जाकर चोरी करे । इसमें कानून की तरफ से कोई तमीज नहीं है और होनी भी नहीं चाहिये । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन सवालों को हम ला एण्ड आर्डर सिचुएशन के डेटीरियोरेन के सदर्भ में जोड़ना चाहेंगे । तो यह जरूर सबकी ही चिन्ता का विषय बनेगा और इस मामले पर सबको पूरी तवज्जह और ध्यान देने की आश्यकता है ।

श्री उपसभापति : संक्षेप में कीजिये ।

(Time bell rings)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में कमजोर तत्वों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं निश्चित रूप से वह चिंता का विषय है और जितने कमजोर तबके के व्यक्ति अत्याचारों के शिकार बने उतनी ही मात्रा में चिंता और उन अत्याचारों को समाप्त करने का प्रयत्न करना, यह कम से कम हर एक का कर्तव्य है, विशेष कर सरकार का है और इसलिए छोटी से छोटी घटना की तरफ ध्यान जाना चाहिए । परन्तु मुझे उस दिन भी, जब हम लोग बेलची के काण्ड पर यहां पर सदन में चर्चा कर रहे थे---वह बड़ी खराब घटना है, लज्जाजनक घटना है, जितना उस घटना की निंदा की जाए उतना कम होगा और ऐसी घटना के परिमार्जन के लिए जितने कदम उठाए जाएंगे उतने थोड़े होंगे, उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं और अपने प्रशासन के तंत्र को इतना टाइट किया जाए कि इस प्रकार के कमजोर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का संकेत मिलते ही एडमिनिस्ट्रेशन एलर्ट हो जाए और जरा सी भी कंप्लेसेन्सी उसमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन में उस संबंध में इतना भी कहना चाहूंगा कि फैक्ट्स को झुठलाने से भी काम नहीं चलेगा । गृह मंत्री जी ने उस दिन कुछ कंपरेटिव्ह आंकड़े देने की कोशिश की तो आपत्ति उठाई गई कि इन आंकड़ों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, रिपोर्ट करने कौन देगा ? अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1975 के आधे वर्ष और 1976 में तो रिपोर्ट करने से डर लगता था, इसमें कोई शक नहीं । मार खाने के बाद भी अपने ही घरों के अन्दर दरवाजे बंद करके सिसकने की परिस्थिति पैदा हो गई थी ।

पर आज तो रास्ता खुला है रिपोर्ट थाने में करें, इसकी भी गुंजायश है । हिन्दुस्तान के सारे अखबार, सारा समाचार-पत्र जगत छोटी से छोटी घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं । इस समय भी आंकड़ों के बारे में आपत्ति तब की जा सकती है अगर हमारे पास दूसरे आंकड़े मौजूद हों । तो जरूर मैं गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर दूसरे काउंटर फिगर्स हमारे सामने आते हैं, उनको क्रेडेन्स दी जाए । लेकिन अगर काउंटर फिगर्स नहीं हैं तो फिर जिन आंकड़ों पर हम आज तक भरोसा करते रहे, सरकारी तंत्र के आधार पर, जो आज तक हमारे बेसिस आफ डिस्कशन रहे, उसी में से हम, सिचुएशन बिगड़ रही है या सुधर रही है,

[श्री सन्दर सिंह भंडारी]

यह निदान करते रहे तो उस बेसिस को चुनौती देंगे, फिर तो यह समस्या का समाधान कोई भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं होगा । हमें जो घटनाएं हैं, परिस्थिति की गंम्भीरताएं है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें से कोई कैपिटल बनाने का प्रयत्न किया गया तो समस्या वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, उन गरीब लोगों की हम मदद नहीं कर पाएंगे और आगे भी इस प्रकार की घटनाएं घटीं तो हम लोग उसमें से बचाव के रास्ते नहीं निकाल सकेंगे ।

यह भी एक प्रसन्नता की बात है कि लोकपाल नियुक्त करने का फैसला हो गया है और उस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के संबंध में गृह मंत्रालय विचार कर रहा है । मेरा इस संबंध में यही निवेदन है कि यह इंस्टीट्यूशन पहली बार काम में आयेगा और इसलिए इस इंस्टीट्यूशन पर बैठने वाला व्यक्ति सब प्रकार के पब्लिक क्रिटिसिज्म के ऊपर होना चाहिए, एबव्ह दी बोर्ड होना चाहिए और इस इंस्टीट्यूशन की कारगरता साबित करना, इस चीज को टैस्ट पर रखने की जरूरत होगी । इसलिए जो भी व्यक्ति इसके लिए नियुक्त किया जाए वह इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो आल राउंड सपोर्ट और आल राऊंड रेस्पेक्ट कमांड करने के लिए तत्पर हो सके ।

डिक्शन बिल भी जल्दी आना चाहिए । हम समझ सकते थे कि उन दिनों परिस्थितियों में लोग घुटे हुए बैठे थे और फैसला नहीं कर सके । मैं अब गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के चुनाव हो जाने के बाद इस बात की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है कि इस मामले में कोई देरी न की जाए । अगर डिफेक्शन रोकने के लिए आर्डिनेन्स भी लाने की आवश्यकता हो तो आर्डिनेन्स लाया जाना चाहिए ताकि राजनैतिक क्षेत्र में चलने वाला भ्रष्टाचार जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके । मैं अन्त में केवल एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि 1971 की एक और याद ताजा हो जाती है । उस समय के पाकिस्तान क्षेत्र से आये हुए शरणार्थी आज भी अपने देश में पड़े हैं और उन का प्रश्न बिना सुलझे हुए पड़ा है । राजस्थान के, गुजरात के क्षेत्र में वह शरणार्थी बैठे हैं 1971 से 1977 तक । अभी उनके लिये लौटने की परिस्थितियों का वहां निर्माण नहीं हुआ । हम कितना भी कहें कि हम उनको वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन वहां उनके लिये उचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं हुआ है । अगर हो तो उसे हम वेलकम करेंगे । लेकिन आज वह इस देश में हैं और उन के बच्चे नौकरियों में या दूसरी जगहों मे नहीं जा सकते इस लिये कि वे इंडियन नेशनल नहीं हैं । भारत की नागरिकता से उन्हें वंचित किया हुआ है और इसी कारण से उनके हाथ बंधे हुए हैं । क्या हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि जो लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाय ?

इसी तरह से छम्ब में लोग बैठे हैं उनकी कैश डोल्स बंद कर दी गयी है और उनकी कैम्प्स में से निकाला जा रहा है । जो जमीनें उन को दी गयी हैं वे बंजर हैं और उनसे उन का गुजारा नहीं हो सकता । उन्होंने आल्टरनेटिव जमीनों के लिये सुझाव दिये हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को हाथ में ले और जब तक वे रिहैबिलिटेट न हों तब तक कम से कम उन का राशन जारी रखा जाय और उन की कैश डोल्स बंद न की जाए । स्यालकोट क्षेत्र के भी इसी तरह के शरणार्थी हैं । उन के बच्चे बालिग हो गये हैं । वह भी इस देश में अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं । हमें उन का भी विचार करना चाहिए । यह एक मानवीय दृष्टिकोण है । इस को हम सुलझायें और हमारी अन्य समस्याओं के कारण यह अपनी ही धरती पर पराये न माने जाएं इस प्रकार की परिस्थिति हमें निर्माण करनी चाहिए ।

मैं इन्हीं विचारों को इस मंत्रालय के संबंध में रखते हुए अपना विचार समाप्त करता हूं ।

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, Shri Bhandari is an old Parliamentarian. He is an old friend of mine and I was surprised to listen to his speech. The subject under discussion today is the working of the Home Ministry. Now the question is which Home Ministry are we discussing? Are we discussing the Home Ministry of the previous Government or the Home Ministry of the present Government? About the previous Government, he has said a number of things and I am not going to answer them. Those questions were debated and discussed extensively in the two major elections and they have also appointed the Commissions which will go into all these cases. You will find out the truth. Why, therefore, bring in all those things today in the course of the debate when we are supposed to discuss the working of the present Home Ministry? We want to discuss the Home Ministry of the Janata Government; what it has been doing for the last four months; and that is the subject under discussion today. You should not be coward to discuss the Home Ministry of the previous Government when the ex-Home Minister is not here to reply. We discussed the Home Ministry previously when the Home Minister was there to reply. We want to discuss the Home Ministry of the Janata Government in the presence of Shri Charan Singh who will reply to the debate today.

Sir, what is the performance of this Government over the last four months? The first major act of this Ministry was the dissolution of nine State Assemblies with one stroke of pen. This was most unprecedented, arbitrary and, if I may say, unconstitutional. The Congress Government also imposed President's rule, but not except on the basis of some documentary evidence—either it was the Governor's report or there was something also. If you don't want to rely on Governor's report, if you want to take resort to that particular word "otherwise" in the Constitution, even then there must be some 'otherwise' documentary basis for your action There is no basis at all. This was just at your will, just at the sweet will of the Home Minister that 9 State Assemblies and 9 Governments were dismissed with one stroke of the pen, which was definitely arbitrary, unconstitutional and unprecedented in the history of this country. After all Brutus was an honourable man; so is Chaudhuri Charan Singh, the great democrat. And it was the first action of this great democrat who swears by the principles of democracy, freedom of speech, Mahatma Gandhi and what not on this God's earth. Never before this was done, as it was done this time. This was the very first act of the present Home Ministry. There was no constitutional breakdown at all. There was no proof, no evidence. Can any body even today cite a single piece of evidence that the Constitution broke down in any one of these States, because of which the Government felt compelled to impose President's rule? No. what was the argument? The argument was, we lost elections in the Lok Sabha poll and now the argument is that the Assembly election results have justified the action of the Government. Sir, this Government talks about Mahatma Gandhi. They say that the results of the Assembly elections have justified the action they took in dissolving these Assemblies. Do you mean to say that the end justifies the means? Do you subscribe to this motto, this dictum? If you do, say so. If you do believe in the dictum the end justifies the 'means' you will hurt Mahatma Gandhi in his grave. It was Mahatma Gandhi who taught us that the end does not justify the means. Ends and means are convertible. That was the language he used. And today you want to justify your action by the end because in these States we lost the election. You want to say that that justifies the action that you took

[Shri Bipinpal Das]

Sir, I remember one story I read somewhere. A bank cashier wants to go home at the end of the day's work. He takes away a thousand rupees from the cash box. He goes to some place where he plays gambling. He earns three thousand rupees. The next morning, the first thing he does is he puts back Rs. 1000/- and keeps Rs. 2,000. Is that justified? Is it not misappropriation even though this gentleman, this cashier could bring back the money and put it back before the bank opens? In between the end of the previous working day and the beginning of the next working day, he does his job and he puts back the money. The money is all right in the cash box. Does it prove that this man is not guilty of misappropriation? He is. The Janata Government is guilty of a very serious misappropriation of the Indian Constitution.

I do not want to go into details of the BLD symbol case which was discussed in this House. I am very sorry, Sir, the day it was discussed the Law Minister and also the Home Minister himself tried to suppress the truth. I will tell you the truth today. I shall be happy if they are right. If I am wrong, my story would stand withdrawn. What was the story? What was the fact? The fact was, there was a controversy between the Home Minister, Chaudhari Charan Singh Saheb and the Janata Party President, Mr. Chandra Shekhar, regarding the distribution of seats for the U.P. Assembly. Eighty names were cut off from Mr. Charan Singh's list and Chaudhari Saheb thought, "I must teach a lesson to Mr. Chandra Shekhar and the Janata Party on this issue." What was the lesson he thought of? He donated, he thought, his symbol, the BLD symbol, to be used by the Janata Party. The letter was lying at the Election Commission. Chaudhari Charan Singh himself telephoned the Election Commission. The Chief Election Commissioner was out of station on that day. He caught hold of Mr. Jacob, the Deputy Chief Election Commissioner and he was asked to bring the file. The file was brought. The letter which Mr. Charan Singh wrote, agreeing to give the symbol of the BLD to be used by the Janata Party, was withdrawn from the file and the file was sent back to the Election Commission. Unfortunately for him, this story the whole thing, reached the Prime Minister and the Prime Minister said, "Send back the letter to the file or I dismiss you." This is the story; that is how the letter went back. Let Chaudhari Charan Singh say this is not true. They have now built up a story of the covering letter from Mr. Swaminathan. My point is, what was the need for this covering letter? If Mr. Charan Singh just asks for the file or for that particular letter, where was the need for Mr. Swaminathan to send a covering letter? Was it an afterthought, a cooked-up story, a built-up story to save the skin of the honourable Home Minister? After all, Brutus was also an honourable man. But that is the story. If I am wrong, if they are right, if what Mr. Charan Singh told here, what Mr. Shanti Bhushan told here, was correct, I shall be happy and I shall withdraw my statement. This is my version of the story. Let them deny it and I want to see if they can deny it.

What is the third major act of the hon. Home Minister? They talk of the Anti-Defection Bill. History knows that Mr. Charan Singh is the pioneer of defections in the Indian history. He was the defector who defected from the Congress, neither on ideological grounds nor on policy grounds but to become the Chief Minister of Uttar Pradesh. And they talk of Anti-Defection Bill. Well, you talk about it—we agree. We agree to whatever you do. Bring that Bill tomorrow. We shall pass it. Why don't you bring the Bill? You will not bring the Bill because you are still trying to lure away members from the Congress Party by inducement, by all kinds of temptations. Every day, in every State, you are doing it. In the Rajya Sabha you are doing it. In the

States you are doing it. You have toppled the Governments in Tripura and Manipur. Most shamelessly you have toppled the Governments in Manipur and Arunachal. Perhaps you don't realise the consequence of this action of yours which is yet to come. I know that area; I come from that area. You are playing with fire; you are flirting with dangerous forces. You have toppled the Government of Manipur all right. What can they do when they know that without the Centre they cannot exist there? Whichever Government is there at the Centre, they go with them. This is the motto in Manipur, this is the motto in Arunachal. You have taught them so, you have threatened them so and you have compelled them to act like this. That is why this is happening. Why did the entire Congress Party in Manipur go to the Janata Party? Why did the entire Congress Party in Arunachal go to the Janata Party? The entire Congress Party has become Janata Party. Why? Because your people, either the Home Minister himself or his agents, threatened them, "If you don't line up with the Janata Party, the Government at the Centre, you won't get grants, you won't get help and you will rot, you will suffer, you will remain backward." Poor people. What can they do? They have told me themselves. This is not a story I am building up. Those friends told me themselves, "What can we do?" This is how you are going to build up this country and have an Anti-Defection Bill. The leader of defections talks of an Anti-Defection Bill: Shame on him!

I am now coming to the Commissions of Inquiry. We have been hearing of so many Commissions. But why have you withdrawn all the old cases? Is there any explanation to that? Why have you withdrawn cases against your own Ministers, ex-Ministers or Chief Ministers? Why have you withdrawn the case against Shri Prakash Singh Badal? Why have you withdrawn the case against Shri Biju Patnaik? What happened to Shri H. M. Patel? I do not want to give the whole list. Shri George Fernandes is my personal friend. I am glad that he is there. At least, Shri George Fernandes will be able to give a progressive look to what the Janata Sarkar today is. So I am glad that he is there. But what I want to point out is something from the moral point of view. There was a criminal case against him. Did he prove himself to be innocent in a court of law. You talk of due processes of law. We are found guilty of having given up the due processes of law. Well, you have given us so many adjectives as if we are all criminals and you are angels from the heavens. Well, if you are angles, show us the way, give us the light There was a criminal case against Shri George Fernandes. Why did'nt you allow the case to go to a court of law and let him be proved innocent and let it be proved that we were deliberately trying to harm Shri George Fernandes and his colleagues? Why have you withdrawn the case? That shows there is absolute lack of integrity in the thinking of the Janata Party. And now you have appointed the Commissions. We welcome it. We are not afraid of these Commissions. We want to find out the truth. Whoever is found guilty as a result of the findings of these Commissions of Inquiry, should be punished through the due process of law. We shall hold no brief for anybody. I tell you this very frankly on behalf of the Congress Party. We do not hold any brief for anybody. But, before the Commissions start their work, you try to prejudice the mind of the Commissions. You try to direct from here what a Commission should do and what they should find out.

I do not want to give many examples. Let me give you only one example. It is a most shameful and distateful incident that took place in the history of Parliament. What was that incident? There is a Shah Commission appointed to inquire into all the matters relating to the Emergency. We very much welcomed it. We wanted that the facts be placed before the Commission before they gave their findings. But,

[Shri Bipinpal Das]

before the Commission started functioning, Shri Charan Singh came up with the statement that there was a plan or thinking on the part of the Congress Government to kill all the leaders of the Opposition. If it is true, why not allow the Shah Commission to find it out? Why do you prejudice the mind of the Shah Commission? After all, the Commissions are composed of human beings, with human weaknesses. What was the basis of the statement that Shri Charan Singh made? Again I say Shri Charan Singh is a great honourable man. But, what was the basis of his statement? Shri Niren De the Attorney-General, said something in the Supreme Court.

(Interruptions)

And what was Shri Niren De's argument? Now, to stretch and abstract and theoretical argument given by Shri Niren De in order to interpret the emergency laws to mean that the Congress Government was thinking of murdering all the political leaders inside the jails, is something one cannot understand. Is that the argument of a responsible, mature Minister of Home Affairs of this great country? This is the kind of arguments that one hears in bazar gossip. They say that so and so has said such a thing and it must have really some meaning. This is the argument. On that basis he made the statement. We asked for withdrawal or for substantiation. He neither substantiated nor withdrew, and this is the gentleman who presides over the Home Ministry of this country. I pray to you—you have appointed commissions; appoint some more commissions, if you like hundred commissions—please, do show some respect to the judiciary for God's sake. Let these commissions come out with true facts. Well, you say you show respect. I have already said that you have branded us criminals. But you are the anlges; behave like angels. You are God's own sons; behave like God's own sons. Why do you not allow the judicial commissions and the enquiry commissions to find out the truth. This is my only prayer to you. *(Interruption)*.

Take the recent case of Justice Mathur. Justice Jagmohanlal Sinha had brought some charges against Justice Mathur. Justice Mathur in his letter to the Home Minister denied them and asked for an enquiry. Why do you not do it? Why have you allowed the All-India Radio and the entire press to blurt out to the whole world what Justice Iagmohanlal Sinha has said? Why did you not find out the truth by acceding to the request of Justice Jagmohanlal Sinha has said? the matter? Is this justice and truth and is this your respect to he judiciary? This is how you are behaving.

I would not refer to the right of recall which you talked about. After all, you said that because in the Lok Sabha election we lost in U.P. the U.P. Government must go and the Assembly must be dissolved. That was the principle. Let that principle hold good in the Rae Bareily constituency now. With all the Assembly seats of Mr. Raj Narain's constituency having been lost by your party and having come to the Congress would you ask Mr. Raj Narain to resign? Have some moral principle. I do not ask Mr. Raj Narain to resign, because I did not accept your earlier argument. But since you put forward that argument, it is incumbent on your part to ask Mr. Raj Narain to resign from the Rae Bareily seat and Mr. Ramachandran from his seat in Tamil Nadu. You will not do it, and that is your morality and that is your standard.

Sir, about the law and order situation; my friend, Shri Bhandari, said some thing. I do not want to take much of your time. These are the newspapers for whom you have won freedom. Very nice. What are the reports? They are fantastic. An old lady gets murdered in the heart of Delhi. Pick-pockets, burglaries, robberies and murders are taking place every day in Delhi. Not a single day has passed when I have not read in

the newspapers something which is not of your Home Minister's concern. Smt. Sharma of Himachal Pradesh could not be given security because of internal rife within the Janata Party. A young woman, Miss Sharma, aged 30, is brave enough to become a labour leader. She had to face not only insult but physical assault. Is it not a matter of shame?

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): How many innocent people have you killed during the Emergency?

SHRI BIPINPAL DAS: You talk of statistics. I will give only one figure, Sir, Bhandariji has given statistics and the Home Minister is very fond of quoting statistics, comparing 1976 with 1977. May I give a very brief resume of statistics? I quote:

> "There has been a phenomenal rise in the incidents of crime in Delhi this year. An analysis of the figures for the South Delhi alone shows that while only 11 murders were committed in 1976, 13 murders had already been committed this year till July 6, in only half the year."

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar): From which newspaper is the hon. Member quoting?

SHRI BIPINPAL DAS: From the National Herald. You contradict it. I want you to contradict these facts. I am quoting facts. Let the Home Minister contradict these facts. It does not matter what is the name of the paper.

> "Robberies this year had already increased by 100 per cent 27 till July 6 as compared to only 11 for the whole of last year.
>
> Riots had increased by an astounding 350 per cent—14 till July 6 as compared to merely four in 1976.
>
> Petty crimes like burglary have also shown an alarming rate of increase. There have been 260 cases of robbery in South District till now, whereas in 1976 there were only 126 cases.
>
> This year in South District, the largest number of murders have taken place in Hauz Khas, Mehrauli, Kalkaji and S. N. Puri (two each), though with the murder of Mrs. S. Khanna today, Defence Colony, too, shows two murders.
>
> The increase in burglary this year till July 6 (as compared with the whole of last year) has been alarming. While in Lajpat Nagar, it has already increased by 300 per cent (from 11 to 33), it has increased by over 300 per cent in Defence Colony (from 11 to 36). In Kalkaji it has increased by over 100 per cent (from 21 to 45)."

The figures of petty crimes, etc., I need not quote. These are the statistics that I give. I want them to contradict it. What has happened in the four months of Janata rule has exceeded by several times what happened in the whole of 1976. This is the story of your rule. I do not want to mention Police firings because my friend Mr. Rabi Ray will feel very embarrassed. Mr. Rabi Ray was a colleague of mine long, long ago. We had a leader who said, if any Government indulged in police firing except in a case of arson or rioting, that Government should resign. That was the commitment of Mr. Rabi Ray; that was the commitment of Mr. Rajnarain; that was the commitment of Mr. Madhu Limaye; that was the commitment of several Chief Ministers who have been appointed now, including Mr. Karpoori Thakur and Mr. Yadav. Where do they stand now after the ghastly murder committed by the Government, by police firing in Madhya Pradesh?

Emergency was bad and Emergency must not come to this country again. But at least, there was a climate of peace and order, there was a climate of discipline in the country. In these four months, what have we been witnessing? Breach of peace in fields and factories, in schools and universities, in markets and public transport. Everywhere there is breach of peace. Fear-

[Shri Bipinpal Das]

lessness? Bhandariji was lauding the achievement of the Janata Party for making everybody free from fear. Gandhiji also taught us fearlessness. Perhaps Bhandariji was not very much used to the teachings of Mahatma Gandhi in those days. I do not want to refer to the incident of 30th January, 1948. But where is the fearlessness now? Yes, today some people have become fearless. Who are they? Not the law-abiding citizens, but the murderers, the robbers, the burglars, the pick-pockets, the unscrupulous traders and the smugglers. They have become fearless today. And everyday you can read in the newspapers the acts of their fearlessness. What about an average citizen like me? Whenever I have to return home at 11 O'clock either in a scooter or in a taxi, I have to take enough care of myself nowadays. Whenever you sleep with the door open you must be very careful. This is the kind of fearlessness that you have given to the law-abiding citizen in this country and this is the kind of fearlessness that you have granted to the shopkeepers, traders, smugglers, thugs and badmashes in this country. Again I say all this has happened under the benign rule of Choudhuri Charan Singh who is an honourable man.

Sir, I do not want to discuss the Harijan case any more. Extensively discussed it has been. But what is happening? I can give these newspapers to Choudhuriji to read some of the headlines. If you read even the headlines, it is a shame that you are an Indian; it is a shame that you are living in a civilised society. Are we living in a civilised society when Harijans are butchered and killed, tortured and humiliated, everyday? When the minorities are threatened, when the Harijans and the minorities do not feel a sense of security, what is the meaning of freedam and democracy?

DR. RAMKRIPAL SINHA: What about Turkman Gate?

SHRI BIPINPAL DAS: Dr. Sinha, please be honourable and decent. We are not discussing the Home Ministry of the Congress Government. Whatever they might or might not have done, you have appointed Shah Commission and other commissions. You will say whatever you like; others say whatever they like; let the commissions give the judgment and the guilty will be punished. But what do you say about your Home Ministry? Let us talk about the Home Ministry of the Janata Government. Everyday we see reports of incidents of torture against Harijans. And why? Who gave the courage to the oppressors of Belchi Harijans? Of course, Choudhuri Sahib said that on the basis of reports received from Bihar the Belchi incident was a quarrel between two gangs of criminals. But what does the MPs' Committee say—the MPs' Committee of which Mr. Ramdhan was also a member, one of the secretaries of the Parliamentary Party of the Janata? You know what the Committee has said. But my point is: Who has encouraged these forces? Why atrocities against Harijans and minorities particularly Harijans? Who has given the courage to these forces? Please note this is my assessment and conclusion, this is the assessment and conclusion of the Congress Party-it is those social forces and interests whose sole representatives and whose supreme leader sits in the chair of the Home Ministry today. It is those forces who have encouraged these people to butcher the Harijans. If the Home Minister's conscience is clear, if he thinks I am using very harsh words—I am using them because I feel very strongly; I come from a place where there is no such feeling as Harijans and non-Harijans, Muslims and non-Muslims, and so on, where we have a different kind of society; having been brought up in that place I feel very strongly when minorities and weaker sections and Harijans are tortured like this—if the Home Minister has any conscience left in him, if he is true to his conscience, why does he not accept the proposition made by Kamalapati-

ji? Let there be a commission of inquiry to go into the entire case of *atrocities against Harijans*. What is wrong in it? You can appoint so many commissions. Whenever you talk of law and order, you talk of a police commission. Everywhere there is a commission. Even school children nowadays say that Home Minister today is Mr. Commission Singh. For everything there is a commission. If everything can be done under an inquiry commission, why is the Home Minister hesitating to appoint an inquiry commission to go into the atrocities against Harijans and worker sections of the society? I do not understand why, if his conscience is clear. If he stands for truth and if he stands on solid ground, let there be a Commission and let us find out the truth. Or, let us all be falsified. But he has rejected that proposition. He has declined to accept it because, again, he is an honourable man.

Sir, I must come to an end now. I won't go into the Hindi affair. It is a matter of shame and discrimination. Leave aside other people who try to impose Hindi on non-Hindi speaking areas in this country. Leave aside other people. But the Home Minister himself—he knows English very well, much better than I do or anybody else does—knowing English so well, refused the other day to answer a question in English put in him by a new friend from Karnataka who does not understand a word of Hindi. Is that the way to respect the citizens of this great country? Is it the way to respect people who, in spite of their best efforts, do not know Hindi? All right. I leave it at that.

Now I am coming to the most serious development and this I hope Chaudhuri Saheb will take serious note of. The most serious development that has taken place in the last four months of Janata rule is that the unity and integrity of the nation is being increasingly threatened. When I say this, I say it with full sense of responsibility. After all, the Janata Party has emerged only as a regional party. In spite of all the shouting and clamour against Indira Gandhi, the Janata Party has emerged only as a regional party, I am sorry to say. You have lost West Bengal, you have lost Tamil Nadu, you have lost Pondicherry and you have lost Goa. Even as a regional party, it is not a party in the true sense of the term, because no less a person than Babuji said that it is only a conglomeration of groups. Even J. P. said yesterday that Janata Party is yet to become a party in the true sense of the term. And this is the cause of danger to the unity and integrity of the nation. If the Centre is ruled by a party which is only a regional party and which is divided within on grounds of policies, programmes and ideals, if such a party rules here, this country's unity and integrity can be threatened any time, any moment. This is my contention. When the so-called *party—I still say 'so-called party'*— which is divided . . .

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): You were the Deputy Minister for External Affairs and I hope you know the history of many of the countries...

SHRI BIPINPAL DAS: I have understood your point.

SHRI LOKANATH MISRA: You know that France has been ruled by coalition Governments...

SHRI BIPINPAL DAS: We are not discussing France.

SHRI LOKANATH MISRA: If your contention, that the Janata Party has not become a party at all, is true...

AN HON. MEMBER: Shri Jagjivan Ram said so.

SHRI LOKANATH MISRA: If it is your contention...

SHRI BIPINPAL DAS: I have understood your point. Let me answer it. India's history, India's social

[Shri Bipinpal Das]

conditions today, India's political background, India's economic situation and everything is different from France, Britain or America. You cannot compare this country with any other country. This was the mistake committed by the Communists at one time and the supporters of monopolists. One tried to compare India with Russia and the other compared India with America... (*Interruptions*). I am not yielding. I must come to a close now. If the so-called party which is divided sharply among themselves on questions of policy and programme and whose groups come to clashes every day and which, as a whole, has emerged only as a regional party confined to the Northern belt, remains at the helm of affairs at the Centre, then national integration faces a grave threat.

Men like Chaudhuri Charan Singh may not be worried about it, because he is not known to have had, at any time, any commitment to the ideals of nationalism, since, after all, he was only a State leader or a district leader and he has never been a national leader. But we the Members of Parliament are feeling very strongly today about it and we are seriously concerned about it. We want a strong Centre and a strong Government at the Centre which could keep the country together by virtue of its influence with and support of the people throughout the country. But, today, Sir, the situation has become very grave because of a weak and internally divided regional party or a conglomeration of groups, to use the words of Babu Jagjivan Ram, having come to the power of the Centre.

I would like to sound a note of warning: Do not try to tamper with the sensitive areas of the North-Eastern Region of the country and also Kashmir. With great difficulty and through patience and perseverance, the Congress succeeded in bringing these areas into the national mainstream, thereby strengthening the national unity and integrity. But the power-intoxicated Janata Party and the Janata Government are trying to flirt with the fissiparous tendencies in these areas. I tell you, you are playing with fire and, if you carry on like this, the country will be on the road to disaster. You do not know these areas. I beg of you, in the interest of Indian unity, in the interest of India's integrity and in the interest of this great country, not to flirt with the fissiparous tendencies in these sensitive areas. Otherwise, you will take this country to disaster.

[The Vice-Chairman, (Shri U. K. Lakshmana Gowda) in the Chair.]

Sir, the Congress will continue to fight for its ideals, for its policies and for its programmes. Do not think that the Congress is dead or demoralised. The Congress is not dead. It is very much alive and kicking and the last Assembly elections have shown that. Your vote has gone down by twenty per cent; but our vote has gone up and not gone down. We will continue to fight for our policies, for our programmes and for our ideals and we will not give up our fight and we shall not also allow you to rest in peace. That also I may assure you. The Congress has not—Chaudhuri Saheb, please note—lost its teeth. Now, Sir, I hope that the Home Minister will correctly interpret the meaning of this sentence. "The Congress has not lost its teeth". Otherwise, he may say, when I say that the Congress has not lost its teeth, that it is trying to show its false teeth. No; that is not the case.

SHRI N. P. CHAUDHARI (Madhya Pradesh): Sir, the Home Minister is going away now. Is he staging a walk-out? What will happen to the debate?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): There are other Ministers here now.

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, it is a great misfortune and it is indeed a

great tragedy that in this country we have today one as our Home Minister—I note that he is not here just now, but I would request Advaniji to convey these words to him—we have today one as our Home Minister who has not cared to see with his own eyes how this great country looks like whose knowledge about the present day India is derived from the notes and briefs of the bureaucrats, whose range of vision has never crossed the boundaries of U.P., if not the district of Meerut, whose so-called philosphy and ideology have been based entirely on the interests of only one class, that is, the kulaks, whose mental make-up has been shaped by nothing but crude power politics and whose entire political career—I am very sorry to say this—has been guided and motivated by one single factor that is casteism..... (*Interruptions*) ....I am very sorry to say this. But I must tell you this in the interest of truth. I can end, Sir, only by saying a prayer to God.

> Oh, God, save us, save this country from the hands of one who has put on a cap which is much larger than his head!
>
> (*Interruptions*)

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मार्च के तीसरे हफ्ते में एक महत्वपूर्ण घटना घटी । एक पर्दा गिरा और दूसरा पर्दा उठा और इस बदले हुए रंगमंच पर चौधरी चरण सिह जी ने हेमलेट की तरह यह कहते हुए प्रवेश किया कि—

There are more things in heaven and on earth than are dreamt of

जिस तरह से हेमलेट को अपने पिता का प्रेत नज़र आता था, कुछ उसी तरह गृह मन्त्री महोदय को अभी हाल के अतीत के प्रेत नज़र आते ह । मैं इमरजेंसी का समर्थक पहले भी नहीं था और अब भी नहीं हूं और वह अपने विवेक से, उसमें कोई सन्देह नहीं, सब लोग जानते हैं । लेकिन केवल इमरजेंसी में ही ज्यादतियां नहीं हुई हैं और जैसा कि श्री विपिन पाल दास जी ने कहा, इमरजेंसी में जो भी ज्यादतियां हुई है उनके लिए बहस के और भी फौरम है । फिलहाल पिछले चार-पांच महीनों में क्या हुआ है ? क्या ये ज्यादतियां इमरजेंसी से किसी कदर कम है ? क्या केवल फार्म बदला है या सब्सटेंस भी बदला है ? क्या केवल सरकार बदली है या कि नीतियां भी बदली हैं ? या केवल नीतियां बदली हैं कि दावे भी बदले है ? महानुभाव, आप भी उतने ही मार्टल हैं, आप भी उतने ही नश्वर हैं जितनी कि कांग्रेस पार्टी । तो केवल राजनीति कहिये, आप साफ साफ कहिये कि हम राजनीति में विश्वास करते हैं, आपसे किसी को शिकायत नहीं होगी । लेकिन आप बड़े बड़े दावे करते हैं । आप कहते हैं कि आप वह सब नहीं करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया । कांग्रेस पार्टी ने बहुत से काम मजबूरी से किये, लेकिन आप ये काम मजबूरी से नही, अपनी इच्छा से कर रहे हैं । उसी मजबूरी की वजह से आप यहां आये हैं । आपने चुनाव जाति के आधार पर लड़ा । यह पहला चुनाव हिन्दुस्तान में हुआ जो जाति को लक्ष्य बना कर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यानि जहां जहां भूतपूर्व भारतीय लोक दल की शाखाएं थी, वहां वहां जातिवाद को आधार बना कर चुनाव लड़ा गया । परसों चौधरी चरण सिंह जी ने अपने वक्तव्य में मनुस्मृति का हवाला दिया और बार बार यह कहा कि सैकड़ों वर्षो से हरिजनों पर अत्याचार होते आ रहे हैं । लेकिन हाल में जो अत्याचार हुए वह पुरानी परम्पराओं में ही नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन उनके लिए कुछ राजनीतिक परिस्थितियां पैदा की गई हैं क्योंकि कांग्रेस हरिजनों और मुसलमानों के वोटों से जीतती थी और क्योंकि उस वर्ग के प्रति उस वर्ग के मन में प्रतिहिसा थी, जो जनता पार्टी के समर्थक हैं और जो जनता पार्टी में सबसे बड़ा घटक भारतीय लोकदल के समर्थक हैं, इसलिए उस दल ने चुनाव के बाद उससे बदला लेने का सिलसिला आरम्भ किया है । बेलची की घटना और खुद चौधरी चरण सिंह के पड़ौस में हुई घटना, मध्य प्रदेश में दिल्ली में हुई

[श्री श्रीकांत वर्मा]

घटनायें---तालिका बहुत लम्बी है, ये घटनायें आकस्मिक नहीं हैं, यह नहीं है कि कुछ सवर्णों को बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है और वह हरिजनों को सताने लग जाते हैं, इसके पीछे एक सुनियोजित योजना है और वह यह है कि हरिजनों, मुसलमानों और कमजोर वर्गों को जबरदस्ती जनता पार्टी के फोल्ड में लाया जाए । अगर वह जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता और जनता पार्टी के प्रणेता चौधरी साहब के कदमों पर आंखें मूंद कर चलने को तैयार नहीं, तो सताया जाएगा । हो सकता है चौधरी साहब को इस बात की खबर न हो, इसलिये वह वहां जाएं और जाकर देखें कि उनके इलाके के आसपास क्या हो रहा है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत कमीशन चौधरी साहब ने बैठाये Commissions in the left of him, commissions in the right of him, commissions in front of him and commissions at the back of him. लेकिन उन्होंने अभी चार रोज पहले एक कमीशन हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर बैठाने से इंकार कर दिया । आखिरकार क्यों ? क्योंकि चौधरी साहब का इतिहास नया नही है, बहुत पुराना है । हरिजनों, स्त्रियों और उन तमाम चीजों से, जिनसे कि समाज बना है, चौधरी साहब को आज से नहीं बहुत पहले से घृणा है । यही घृणा बहुत से रूपो में अभिव्यक्त हो रही है । आज से 6 महीने पहले आपको मुसलमानों ने वोट दिये थे । मैं भी आगरा गया था । मुझ से मुसलमानों ने कहा था कि हम जनसंघ को वोट देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट देने को तैयार नहीं हैं । अब क्या हो रहा है ? इन 6 महीनों में वे ही आगरा के मुसलमान शोर मचा रहे हैं । आज ही के समाचार पत्रों में देखिये कि मुसलमान यह अनुभव कर रहे हैं कि उनमें भयानक असुरक्षा ने घर कर लिया है । यह चीज क्यों हो रही है, वे क्यों पछता रहे हैं ? जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए । अगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर नही सोचेंगे और यह अनुभव करेंगे कि जो कुछ भी उस ओर से कहा जा रहा है वह केवल एक बहस है तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके पूववर्तियों का हुआ है । जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिए ।

श्री एन० पी० चौधरी : दिल ही नहीं है ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : दिल तो है, लेकिन वह दिल पत्थर का है क्योंकि वह पिघलता नहीं । देश मे पिछले पांच महीनों में कितने क्राइम्स हुए हैं चौधरी साहब तो गृह मन्त्री होने के नाते बड़े आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं । आंकड़े इकटठे करने के हमारे पास कोई साधन नही । लेकिन हम नंगी आंखों से देखते हैं, थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि क्राइम्स कहां हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं । आज तक आप नहीं पता लगा सके कि सुन्दर डाकू के सहयोगी दिन-दहाड़े कचहरी से किस तरह से निकल भागे ? आप अभी तक यह नहीं पता लगा सके कि कर्नल आनन्द ने आत्म हत्या की थी या नहीं । आपने कहा है कि आपने इसे जांच के लिये भेज दिया है । लेकिन मुझे कुछ लोगों ने यह बताया है कि अभी भी सी० बी० आई० के पास यह मामला नहीं गया है । अभी तक यह इंटैलिजेंस के हाथ में ही है ।

दिल्ली में जहरीली शराब पीकर कई लोग मर गये । लेकिन आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकी । पुलिस को दोष देना मैं समझता हूं फिजूल है क्योंकि आपने गुण्डों को और डकैतों को हीरो बना दिया है और पुलिस को उनके हाथों में छोड़ दिया है । आज डकैत और गुडे पुलिस हो गये हैं और पुलिस वाले गुंडे और डकैत माने जा रहे हैं । मैं पुलिस का बहुत विरोधी रहा हूं क्योकि वे ज्यादतियां करते हैं, अशिक्षित हैं । कम पढ़ा-लिखा कांस्टेबुल मे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है । मेरा कहना है यह सब अलग समस्या है, उसमें सुधार किया जा सकता है । जिस तरह से पुलिस को हीरो नहीं बनाया जा सकता है, उसी तरह से गुंडों

और डकैतों को भी हीरो नहीं बनाया जा सकता । आपने गुंडों को हीरो बनाया है और उनसे पुलिस को गालियां दिलवा कर उनको निहत्था कर दिया है । आपने उन सब को खत्म कर दिया है । आपने अफसरों के लिये भी यह कहा कि ये ज्यादतियों के लिये जिम्मेदार हैं । अब आपने कमीशन बैठाये हैं और इतिहास भी, जो आप आज कर रहे हैं, 10 साल के बाद कमीशन बैठायेगा । उसके बाद जो जांच होगी उसमें मालूम होगा कि सत्य क्या है ? इमरजेंसी में कितनी ज्यादतियां हुईं और आपने पिछले 6 महीनों में कितनी ज्यादतियां की हैं । इन चीजों की जांच तभी हो सकेगी जब 10 साल बाद कमीशन बैठेगा । मैं इतना कहूंगा कि जब भी आप दावा करते हैं कि इमरजेंसी में बडी ज्यादतियां हुई और जब मैं आपकी ज्यादतियों को देखता हूं तो मुझे वह शेर याद आता है : "हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होती" चर्चा इसलिये नहीं होती, क्योंकि प्रेस भी आपका है । पहले तो यह था कि सेंसर था अब सेंसर नही है । सेंसरशिप न होने के बावजूद भी आपने प्रेस पर इतना जोर दिया है कि प्रेस का गला घुट गया है, किसी तरह से प्रेस की आवाज बन्द हो गई है और इस तरह से आपने ज्यादातर लोगों की जबान बन्द कर दी है और लोगों का गला घोंट दिया है और उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि आपके राज में स्वाधीनता है । भंडारी जी ने अभी स्वतन्त्रता की बात कही । मैं समझता हूं कि स्वतन्त्रता कोई सतही चीज नही होती है । स्वतन्त्रता केवल हथकड़ियां हटा देने से नहीं मिलती है । हथकड़ियां हाथों में न होते हुए भी आदमी गुलाम हो सकता है । इस देश मे बहुत पुराने समय से गुलामों की कमी नहीं रही है । गुलाम को केवल हाथो में हथकड़ियां बांध कर घसीटा ही नहीं जाता है बल्कि सड़कों पर सीना तान कर बांस के सामने उसके चरणों पर रखा जाता है । गुलाम झूठ बोल सकता है, झूठी गवाही दे सकता है, लोगों का कत्ल कर सकता है और जो भी जुल्म उसका बौस उससे करवाना चाहे वह कर सकता है ।

4 P. M.

डा० रामकृपाल सिंह : आपको इसका अच्छा अनुभव हो गया है...

(*Interruptions*)

श्री श्रीकान्त वर्मा : आज आप स्वाधीनता की बात करते है । (*Interruption*) उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये मुझे इस पर बोलने का वक्त दीजिये ।

आज हमारे देश में यह स्थिति हो गई है कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों की हत्या की जा रही है । काकोरी में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई है । यह कोई स्टेट सबजेक्ट नही है । रेलवे का विभाग केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है । रेलवे में जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है । आप इसका स्पष्ट जवाब दीजिये । काकोरी मे यह हत्या काण्ड किन परिस्थितियों में हुआ, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए । चौधरी चरण सिंह जी बहुत लम्बी बातें करते हैं । वे मुझे नहीं जानते है, लेकिन मैं अखबारों में काम करने वाले रिपोर्टर की हैसियत से उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । जो आदमी लम्बी-लम्बी बातें करता है वह कभी-कभी गलत बातें भी कह जाता है । राजहरा के मामले में क्या हुआ, यह किसी से छिपा हुआ नही है । वहा पर कितने ही आदमियों को गोली से उड़ा दिया गया । 11 जून को मध्य प्रदेश के समाचार-पत्रो में एक समाचार छपा कि 80 आदमियों को राजहरा में गोली से भून दिया गया । इस समाचार को देने वाला सम्वाददाता कांग्रेस का समर्थक नहीं था बल्कि जनता पार्टी का समर्थक है । मेरे पास वहां की तस्वीर है । अगर आप चाहें तो मैं आपको यह तस्वीर दिखा सकता हूं जिसमें मरी हुई एक नंगी औरत को दिखाया गया है । राजहरा में इतना बड़ा काण्ड हो

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

गया, लेकिन फिर भी आप स्वाधीनता की बात करते हैं। आपको इस बात पर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि राज्यों मे जो सूचनाएं मिल रही हैं उनमें कहां तक सच्चाई है। बेलची के बारे में पहले कुछ सूचना दी गई और बाद में कुछ और सूचना दी गई।

जहां तक राजनैतिक घटनाओं का सम्बन्ध है, तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार थीं, एक दो राज्यों को छोड़ कर, उनकी विधान सभाएं भंग कर दी गई। उन दिनों आस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन हिन्दुस्तान में आया हुआ था। उसके एक सदस्य ने अखबारों में यह समाचार पढ़कर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि इतने राज्यों की विधान सभाएं किस प्रकार से भंग कर दी गईं? यह एक अनहोनी घटना थी। कांग्रेस ने जब इस प्रकार से कभी किसी राज्य की विधान सभा भंग की तो आपने उसका हव्वा खड़ा कर दिया। आप सड़कों पर आन्दोलन करने लगे। लेकिन कांग्रेस ने सड़कों पर जलूस नहीं निकाला। कांग्रेस को इसकी आदत नहीं है। कुछ दिनों में उसकी भी आदत हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहती है जब कि जनता पार्टी पोलिटिक्स से प्रेरित होकर काम करती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Verma, will you kindly wind up?

SHRI SHRIKANT VERMA: I will take just five minutes, Sir, with your permission. This is a very important subject and this does not come up before the House very often.

आपने दल बदल के बारे में बड़े-बड़े दावे किये। लेकिन किस तरह से दल-बदल आपने कराया, इसकी मिसाल कहीं भी दुनिया के इतिहास में नहीं मिल सकती और न आगे चल कर मिलेगी। दुनिया के तमाम देशों में चाहे तमाम असेम्बलियों में जितना भी दल-बदल हो, पर वह इतना बड़ा नहीं होगा। आपने न जाने किस तरीके से, क्या इंजीनियरिंग करके, इतना बड़ा दल-बदल कराया। ऐसा लगता है कि लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बड़े-बड़े दावे समाप्त कीजिये। आप टालस्टाय के हीरो नहीं हैं जो कि अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। आप साधारण इंसान हैं। आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। आप भारत की धरती पर बड़े हुए हैं और भारत की धरती में जो गुण-अवगुण हैं वह आपमें भी हैं। अगर आप में वह गुण-अवगुण न होते तो आप चुनाव आयोग मे इस प्रकार चिट्ठी न...

श्री चरण सिंह : यह आप क्या बोल रहे हैं।

श्री श्रीकान्त वर्मा : मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप भारत की धरती के हैं।

देखिये, मैं पहला वक्ता हूं जो कि कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना कर रहा हूं और आप की भी। इसलिये आपको गौर से सुनना चाहिए। क्या परिवर्तन हुआ है। जब पांच साल पहले कांग्रेस के एक नेता ने किसी तस्कर, स्मगलर के साथ फोटो खिचवाया तो उस समय कितनी हाय-तोबा मची। न जाने कितने पत्र लिखे गये। मदरलैण्ड ने उस पर सम्पादकीय लिखा, कमेंट्स लिखे। लेकिन पिछले चार महीनों में न जाने आपके कितने नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े सम्मानित नेता हैं, एक तो सदन के सदस्य भी हैं, वह तस्करों के साथ अपने फोटो खिचवाते हैं। हो सकता है कि उनकी नीयत अच्छी हो। मैं इसकी बुराई नहीं करता। नीयत उनकी साफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गुंडों के साथ, तस्करों के साथ फोटो खिचवाने का क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम यह होगा कि पुलिस

वाले सिर झुका कर तस्करों के सामने से गुजरेंगे और तस्कर पुलिस वालों के सामने सीना तानकर गुजरेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Verma, kindly wind up now. There is a large number of speakers from your party.

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir, I will wind up just now.

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, please allow him to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): How can I allow him to speak for such a long time?

There are more than 20 speakers in the list.

आप स्वाधीनता की बात मत कीजिये । आप बड़े-बड़े दावे मत कीजिये, आप सादगी की बात मत कीजिये । आप मत कहिये कि मंत्री छोटे बंगलों में रह रहे हैं । आपके मन्त्री बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं । तीन दिन पहले . . .

श्री चरण सिंह : आप एड्रेस किस को कर रहे हैं, आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं ?

श्री श्रीकान्त वर्मा : मैं आपको कर रहा हूं ।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please address me. Order order, please.

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir, if I address you by name, it will look very vulgar because you are too senior. So, I am not addressing you by name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Anyway, you can now address yourself to winding up, please.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप चौधरी साहब से कहिये कि वह गुस्सा न हों ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): He just mentioned that the speaker should address the Chair, that is all.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI LAL K. ADVANI): Mr. Vice-Chairman, Sir, the point of order related only to a simple custom. It is the practice of the House that when you say 'you' the second person, it is always addressed to the Chair. If the Minister is to be addressed, he is always 'he' or the Minister of so and so. It is just a simple custom.

SHRI SHRIKANT VERMA: All right, I concede this point. I will now address as Chaudhari or hon. Home Minister. If you are offended by such a simple thing, then I wonder what will happen outside where so many things are said about you. Why don't you get offended there? Since I am here in the opposition you just want to gag me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I think you can stop now, otherwise, a number of Congress speakers will not be able to speak. Please conclude now. I will now call the next speaker. There are even other party spokesmen.

श्री कल्पनाथ राय : वे कनक्लूड कर रहे हैं ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि टी० एस० इलियट ने, इस शताब्दी के सबसे बड़े अंग्रेज कवि ने अपनी कविता में कहा है, मुझे पता नहीं कि हमारे गृह मन्त्री जी को कविता से प्रेम है या नहीं है । लेकिन वे जरा गौर से सुनें । उन्होंने अपनी कविता में लिखा है :

"In my beginning was my end"

जनता पार्टी के बारे में भी आज यही बात कही जा सकती है ।

"In the beginning was your end"

आपकी समाप्ति की शुरूआत हो चुकी है । आप उसको देखिये और इस समाप्ति के लिय बहुत हद तक हमारे गृह मन्त्री जी जिम्मेदार है । उन्होंने पिछले दिनों में जो कुछ कहा है, उससे जनता पार्टी का विघटन हो रहा है और उससे जनता पार्टी समाप्त होगी । हम नही चाहते कि जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो । हम चाहते हैं कि 5 साल तक वह कार्य करे । 6 महीने में बदलने वाली स्थिति हम नहीं पैदा करना चाहते । कम से कम मैं यह नहीं करना चाहता लेकिन जब मैं चौधरी साहब को इस सदन में और सदन से बाहर देखता हूं तो मुझे गेटे के एक पात्र मैफिस्टोफिलिस की यह बात याद आती है :

"Here I sit like a king on this throne. Here is my sceptre, but where is the crown?"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): I will now call the next speaker. Please sit down, Mr. Verma.

श्री श्रीकांत वर्मा: श्रीमन् *(Interruption)* आखिर में चौधरी साहब के सामने मैंने बहुत सी अंग्रेजी की कविताए पढ़ीं । अंग्रेजी भाषा से उन्हें नफरत है, अंग्रेजी समाचार-पत्रों से उन्हें नफरत है, इसलिए हिन्दी में तुलसीदास जी का एक दोहा कहे देता हूं :

जाको प्रभु दारुण दुःख देही,
ताकी मति पहले हर लेही ।

SHRI N. P. CHAUDHARI: On a point of information, Sir. How much time you are allowing to every Member?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Ten to twelve minutes.

SHRI N. P. CHAUDHARI: That is not sufficient. There should be a little more time. It is such an important discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Congress Party itself has sent in twenty names. There are six other names and the whole thing has to be over by 6 O'clock. It is not possible to allow more time. I can allow two or three minutes more. Now, Mr. Yogendra Sharma will speak.

SHRI N. P. CHAUDHARI: Sir, it is not sufficient at all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Chaudhari, please sit down. You request your Whip to withdraw names and then I can allow more time.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar): As far as I know, I am the only Member from my party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You can have fifteen minutes.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने इमरजैसी को समाप्त किया, नागरिक अधिकारों की पुनः स्थापना की, हम और हमारी पार्टी इसका हार्दिक समर्थन करते हैं । लेकिन साथ ही हमें आश्चर्य होता है कि जनता पार्टी की सरकार के नेता लोग जो खुद इमरजैंसी के जुल्मों के शिकार रह चुके हैं, मीसा के अन्तर्गत जेल की सजा काट चुके हैं, जब आज जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो अभी तक उन्होंने मीसा को क्यों नहीं उठाया ? जिस कानून के मातहत वे जेल की सजा भुगत चुके है, उसी मीसा को अभी भी आप कायम रखे हुए है । बल्कि कायम ही नहीं रखे हुए अभी जम्मू काश्मीर में चुनाव हुए तो इन चुनावों ने आपने मीसा का इस्तेमाल किया और करीब डेढ़ हजार लोगों को मीसा में आपने गिरफ्तार किया और जेल

में डाल दिया । तो यह परिस्थिति की बहुत कटु विडम्बना है कि जिस मीसा के शिकार आप रह चुके हैं आज उस मीसा को खतम करने की बजाय आप दूसरों के खिलाफ उस का इस्तेमाल कर रहे हैं । हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि मीसा को तुरन्त समाप्त कर दिया जाए । भंडारीजी ने बहुत सही कहा कि सिद्धांत रूप में बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में नही रखना चाहिए । यहां तक भंडारी जी पहुंच गए और जब यहां तक पहुंच गए तो उन्होंने यह क्यों नही मांग की कि मीसा को समाप्त करो, मीसा ठीक इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है । मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने इमरजैंसी के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई, उनकी जांच के लिए कमीशन नियुक्त किए हैं । हम जनता पार्टी के इस कदम का हार्दिक समर्थन करते हैं । हम आशा करते हैं कि यह कमीशन शीघ्रातिशीघ्र अपने कामों को करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको उचित दंड मिलेगा । हम यह चाहते हैं कि यह काम पार्टीबाजी के आधार पर नही होना चाहिए । यह काम किसी राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक मंशा से नहीं होना चाहिए । बल्कि इस देश के भीतर जनतंत्र की अच्छी से अच्छी परम्परा कायम करने के लिए और उसको विस्तृत और व्यापक बनाने के लिए इस उद्देश्य से होना चाहिए । अगर आज हम उद्देश्य देखते हैं तो हमको शंका होती है और वह इसलिए होती है आज भी हमारे समाज में जो कमजोर लोग है, गरीब लोग है, हरिजन लोग है, आदिवासी लोग हैं . . . जो, मान्यवर, अधिकारों से वंचित हैं, जिन पर अमानवीय पाशविक अत्याचार हुए हैं । जब उनके बारे में जांच करने की बात उठती है तो आप अस्वीकार कर देते हैं । क्या इस देश में जनतंत्र सही मानों में स्थापित हो सकता है यदि दर्जनों आदिवासी मारकर आग में जला दिये जायें ? नहीं हो सकता है । हम लोग आग्रह कर रहे हैं, बिनती कर रहे है कि आप इसका एक जांच कमीशन बहाल कीजिए । आप कहते है नहीं । आपके दो तर्क हैं । एक तर्क तो यह है कि यह वाकये बहुत दिनों से हो रहे हैं । हम लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से तो हो रहे हैं मगर जब से जनता पार्टी का राज कायम हुआ है, तब से यह चीजें तेज हो गयी हैं । आप कहते है नहीं । इस बात का फैसला कैसे होगा ? इसी बात का फैसला करने के लिये तो जांच कमीशन की आवश्यकता है । जांच कमीशन आप बहाल कीजिए मालूम हो जायेगा कि, हां, जब से जनता पार्टी का राज कायम हुआ है तब से हरिजनों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, निर्बलों पर, दुर्बलों पर अत्याचार हुए हैं ।

दूसरी बात यह कहते हैं कि हम लोग राजनीतिक द्वेष से ऐसी बात कह रहे हैं । हम लोग विपक्षी ह इसलिये ऐसी बात कह रहे हैं । लेकिन मान्यवर, केवल विपक्षी दल आज यह बात नहीं करता, आज जनता पार्टी के जो एलाय है, वह भी इस बात को कह रहे हैं । जनता पार्टी के एलाय हमारे देश में सी० पी० एम० हैं । सी० पी० एम० के अखबार "पीपुल्स डेमोक्रेसी" ने अपने 24 जुलाई के अंक में लिखा है :

"The Janata party leadership should not fail to note that some big notorious landlords have entered the party, and immediately after the Lok Sabha poll, in a number of villages, these notorious anti-social elements had attacked the poorer people and tried to evict them from their huts and tiny plots of land. The unfortunate trend of attack on the weaker sections by the landed gentry became intensified during the State Assembly poll and it is continuing after the elections."

यह आपके विरोधी नहीं हैं । यह आपके एलाय कहते हैं और आपके एलाय ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी के नेता भी यह बात कहते हैं, हम औरों की बात यहां पर नहीं कहना

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

चाहते ह . . . (*Interruption*) जगजीवन बाबू की बात तो सबको मालूम है मगर जो बात लोगों को नहीं मालूम है वह बात हम पेश करना चाहते हैं । आपकी ही पार्टी के एक नेता संसद सदस्य, श्री राम मनोहर राकेश ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि जितनी ज्यादतियां हरिजनों व कमजोर वर्गों पर देश भर में हो रही हैं उससे कहीं ज्यादा गृह मंत्री के जिले व चुनाव क्षेत्रों में हो रही है ।

श्री कल्प नाथ राय : वह जनता पार्टी के आदमी हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : जुर्म लगातार बढ़ रहे हैं । इन ज्यादतियों के प्रकाश में आने के बाद अब पुलिस वाले अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रहे है । आप पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े पेश करते हैं और आंकड़ों का यह हाल है कि आपकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है । कहां से आपको रिपोर्ट मिलेगी कि ज्यादतियां हो रही हैं । उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर क्षोभ व्यक्त किया है । तो उसको आप यह कह कर के नहीं टाल सकते हैं कि यह विरोधी दल का राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक द्वेष है कि जांच कमीशन बहाल करो । हम समझते हैं कि इस देश में स्वच्छ परम्परा को कायम करने का तकाजा है कि जब इतने बड़े पैमाने पर हरिजनों के खिलाफ ज्यादतियां हो रही हैं, अत्याचारों की बातें उठ रही हैं तो इसका एक ही उपाय है कि आप एक जांच आयोग की स्थापना करें । आप कह सकते हैं कि यह ला एण्ड आर्डर का सवाल तो स्टेट का सब्जेक्ट है । लेकिन हम यह नहीं भूल सकते हैं कि हरिजनों के बारे में, आदिवासियों के बारे में कुछ संविधानिक अधिकार हैं और उन अधिकारों की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । और इसलिए केन्द्रीय सरकार का यह विशेष कर्त्तव्य हो जाता है कि इस सिलसिले में कुछ कदम उठाएं नहीं तो आप पर दुहरे मापदण्ड का अभियोग आएगा और हम समझते हैं यह अभियोग भी आयेगा कि आप इस देश में तमाम लोगों को नागरिक अधिकार सुलभ कराने की बजाए, तमाम लोगों को जनतांत्रिक अधिकार सुलभ कराने की बजाए जो कमज़ोर हैं, सब से ज्यादा पददलित हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा शोषित हैं, उनके लिए और अधिक विपत्तिपूर्ण परिस्थिति तैयार कर रहे हैं ।

इसी संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा । हमारे देश में हरिजनों का एक बहुत बड़ा समुदाय जिसको अंगरेजी में "नियो बुद्धिस्ट" कहते हैं, वे हरिजन जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, जब चूंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है तो सरकार कहती है हरिजनों के मुताल्लिक जो एक विशेष सुविधा देने का प्रावधान है वह आधार चला गया । इसलिए में गृह मंत्री महोदय से, जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि वे हरिजनों को विशेष सुविधाएं देने के प्रश्न में धर्म के आधार पर भेद नहीं करेंगे । यह हमारे कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है कि हम धर्म के आधार पर भेद करें, हरिजन हिन्दू रहे तब तो उसको शिक्षा के सिलसिले, में आर्थिक स्थिति में सहूलियत मिले लेकिन यदि वह बौद्ध हो जाए, ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए तो उसको वह सुविधाएं बंद कर दी जाएं, यह हमारे कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : हिन्दू मानी क्या हैं ?

श्री कल्प नाथ राय : उपसभाध्यक्ष जी, राजनारायण जी मंत्री हैं ।

श्री राजनारायण : कोई बात नहीं समझें तो मंत्री को समझाना तो चाहिये ।

(*Interruption*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे देश में जो पुलिस प्रशासन है वह पुलिस प्रशासन अमीरों के पक्ष में हैं और गरीबों के विपक्ष में है । इस का एक उदाहरण मै आपको पेश करना चाहूंगा कि एक अम्बेडकर अनुसंधान संस्था है, उसने एक अध्ययन किया छोटा नागपुर में । इस अध्ययन को 'समाचार' ने प्रकाशित किया और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रीय अखबारों ने उसे प्रकाशित नहीं किया । उसको प्रकाशित 'जनयुग' ने किया है और उसमें कहा गया है कि अम्बेडकर समाज कल्याण एवम् शोध अनुसंधान के अनुसार छोटा नागपुर में लगभग 50 हजार आदिवासी और हरिजन बेदखली के शिकार हैं और क्या हो रहा है छोटा नागपुर में कि अवैध खनन के आरोप में आए दिन लोग पकड़े जाते हैं । पर आश्चर्य की बात है पकड़े जाने वालों में आम तौर पर गरीब आदिवासी और हरिजन ही होते हैं । इन्हीं की ज़मीन पर दूसरे लोगों ने ज़बर्दस्ती कब्जा कर लिया और वे गैर-कानूनी ढंग से ये खान का काम चलाते हैं और जब धरपकड़ होती है तो ये बेचारे हरिजन पकड़े जाते हैं और चोरी छिपे काम करने वाले, खान का काम करने वाले नहीं पकड़े जाते । यह पुलिस प्रशासन अमीर-पक्षी है और गरीब विरोधी है । हम इसके और पहलू पर नहीं जाना चाहते पर इसके एक दर्दनाक पहलू की ओर हम गृह मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहेंगे ।

इमरजेन्सी के दौरान केरल में राजन का केस हुआ था । सारे देश में उसका तहलका मचा । हम केरल सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने इसके सिलसिले में बहुत ही उचित और कठोर कदम उठाया । चार-चार बड़े पुलिस अधिकारियों को उन्होंने गिरफ्तार कर के जेल में ठूंस दिया । लेकिन आज बिहार में क्या हो रहा है ? आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? बिहार में सिर्फ जुलाई के महीने में पुलिस हिरासत में चार आदमी मार डाले गये । मैं उन के नाम बताना चाहता हूं । गंभीर प्रसाद शाह, छोरादामी थाना, पूर्वी चम्पारन जिला, को 3 जुलाई को मार डाला गया । इस के बाद धनपत भूमिग जो सिंहभूमि जिले का था वह पोटका पुलिस की हिरासत में मार डाला गया । इस पुलिस ज्यादती के खिलाफ जमशेदपुर के समीप तालपोखर में सैकड़ों आदिवासियों ने प्रदर्शन किया । शोभारी राय और खोमारी राय, गाव सैंहारा, थाना बसनाहा, जिला सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा जमींदार के घर पर लाकर मार डाले गये और कहा गया कि वे पुलिस की हिरासत से भाग रहे थे । तो, तीन दिन की बात है । मुंगेर जिले के सुरेश यादव मुफस्सिल थाने की हाजत में 21–22 जुलाई को मार डाला गया । इस तरह से इस जुलाई में ही पुलिस की हिरासत में इन चार आदमियों को मार डाला गया और हुआ क्या अधिक से अधिक यह हुआ है कि उस थाने के हवलदार को मुअत्तल कर दिया गया एक तरफ केरल का उदाहरण है कि आई पी एस अफसर, डी आई जी को गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया और दूसरी तरफ इस तरह के अत्याचार यहां हो रहे हैं लेकिन उन को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता । तो मैं चाहूंगा गृह मंत्री महोदय इस सिलसिले में कोई नीति निर्धारित करें । कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस की हिरासत में मर जाता है तो उसकी हिरासत के लिये जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है उस को तुरन्त पकड़ कर जेल में डालना चाहिए और उस पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए मान्यवर, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वह औपनिवेशिक व्यवस्था का अभी भी एक अवशेष है । इस सिलसिले में भंडारी जी ने भी कहा है । मैं उस को दोहराना नहीं चाहता । 1947 से 1976 तक के सालों के बीच पुलिस फोर्स में 80 गुना बढ़ती हुई है । आजादी के बाद पुलिस फोर्स में 80 गुना बढ़ती हुई है और देखिये कि अपराधों की क्या हालत है । हम को कहने की जरूरत नही, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप की नाक

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

के नीचे राजधानी में संसद सदस्यों के घरों में ही चोरियां हो रही हैं और उन के घर भी आज सुरक्षित नहीं है ।

श्री देवराव पाटील (महाराष्ट्र) : कोई इंक्वायरी भी नहीं करता ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : तो 80 गुना पुलिस फोर्स बढ़ गया और 6 वर्षों के भीतर उनके खर्च में 110 फी सदी की बढ़ती हुई । हर साल 18 से भी ज्यादा फीसदी पुलिस का खर्च बढ़ा लेकिन उसके बाद भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं और न पुलिस में मानवता आ रही है, न उनमें सेवा करने का भाव आ रहा है, न जनता के कल्याण की भावना है और न जनता की सहायता करने की बात है । इस दृष्टिकोण का उनमें पूर्ण अभाव है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Sharma, please wind up now.

SHRI YOGENDRA SHARMA: I am the only speaker from my party.

तो मैं यह कह रहा था कि पुलिस प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है । मैं इस सिलसिले में तो, तीन चीजें कहना चाहता हूं । आप पुलिस ट्रेनिंग में आमूल परिवर्तन कीजिए । अभी जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें जोर फायर आर्म्स पर दिया जाता है । लेकिन उसके लिये हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं । ज्यादा जोर फायर आर्म्स पर नहीं होना चाहिए बल्कि जोर इस बात पर होना चाहिए कि कैसे इंवेस्टीगेशन में आधुनिकतम तरीके इस्तेमाल किये जायें । यह उन लोगों को सिखाया जाना चाहिए ताकि उनको ज्यादा मारपीट न करनी पड़े । तो इसलिये उस ट्रेनिंग में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । पुलिस फोर्स जनता का सेवक बने, जनता का रक्षक बने, उसका भक्षक नहीं ।

दूसरी बात पुलिस की भरती के सम्बन्ध में है । हम समझते है कि यदि पुलिस फोर्स में 50 फी सदी हरिजन और आदिवासियों को भरती किया जाए तो हमको विश्वास है कि हरिजनों और आदिवासियों पर जो जुल्म होते हैं उनमें से 50 प्रतिशत की कमी हो जाएगी । क्यों नहीं आप पुलिस और आर्म्ड कांस्टेबलरी में हरिजनों और आदिवासियों को अधिक से अधिक संख्या में भरती करते हैं? वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास श्रम है, शारीरिक कुवत है, उनको लीजिए । हम समझते हैं कि उनकी भरती के बारे में भी आपको सोचना चाहिए ।

श्रीमन्, चुनाव के बारे में हम ज्यादा समय न लेकर एक बात कहना चाहते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You have already taken more time. Please wind up.

SHRI YOGENDRA SHARMA: When others have taken more time, why should I suffer?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Because you are the only speaker from your party, I allowed you more time.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं कह रहा था कि अभी भी हमारे गांवों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, खासकर हरिजन और गरीब हैं, उनको वोट नहीं देने दिया जाता । भारतीय जनतंत्र के लिए यह शर्म की बात है कि अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बालिग मताधिकार का उपयोग करने से वंचित है । हम समझते हैं कि इस समस्या की ओर गृह मंत्रालय को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए यदि वे सही माने में, ईमानदारी के

साथ जनतंत्र को सिर्फ अमीरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं बल्कि समाज के गरीब से गरीब तबकों तक ले जाना चाहते हैं।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर हमें नैतिकता की बात कही जाती है। ठीक है, हमारे देश में नैतिकता की बड़ी आवश्यकता है लेकिन बात कुछ और काम कुछ। यह बात होती रहेगी तो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और पता नहीं लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे देश का क्या होगा। एक तरफ हमें नैतिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम दल बदलूपन सिखाते हैं। दल बदलूपन के लिए नये नये प्रलोभन, नई नई प्रेरणा देते हैं। दल बदलूपन का प्रलोभन देना जनता के साथ विश्वासघात करना है। जनता के प्रति विश्वासघात करने वाले लोग कभी भी जनतंत्र के हिमायती नहीं हो सकते हैं। तो क्या कारण है कि दल बदलूपन को रोकने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा है? हम समझते हैं कि बहुत वर्षों से कांग्रेस के भाई लोग नहीं लाये, कहते रहे कि लायेंगे। जब उनको यह सुविधा थी कि दूसरे दलों को तोड़कर अपने दल में ले लें तो उन्होंने नहीं किया, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने नहीं किया और जब आप दूसरे दलों को तोड़कर अपनी पार्टी में ले रहे हैं तो आप भी नहीं कर रहे हैं तो इस देश का क्या होगा। क्या कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच यह देश नष्ट हो जाएगा, क्या इसमें जनतंत्र को दफना दिया जाएगा दल बदलूपन को बढ़ावा देकर? आप इस पार्लियामेंट के इस सेशन में दल-बदलूपन को खत्म करने के लिए बिल पेश कीजिए नहीं तो जनतंत्र के प्रचार की आपकी दुहाई पर लोगों को शक होगा।

माननीय, राजनारायण जी आ गये, हमको एक प्रेरणा मिल गई।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Rajnarain is there all right, but you may finish now.

श्री योगेन्द्र शर्मा: आखिर में हम कह रहे हैं कि चौधरी जी को व्यक्तिगत तौर पर हम चरित्रवान आदमी समझते हैं और चूंकि चरित्रवान आदमी समझते हैं, इसीलिए हमको आश्चर्य होता है कि वे ऐसे लोगों की मंडली में विचरते हैं जो इस देशके जाने माने भ्रष्टाचारी हैं। आपने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे कई एक भ्रष्टाचारियों को ले रखा है जिनके खिलाफ कमीशन बठे हैं। क्या खन्ना कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखेंगे और क्या आप भूल सकते हैं कि खन्ना कमीशन की रिपोर्ट में बीजू पटनायक के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं कही गई हैं? उनको आप मंत्रि-मंडल में शामिल करके अपने तौर पर, व्यक्ति-गत तौर पर चरित्रवान होते हुए भी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार के दलदल से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इस देश में सदाचार का वातावरण पैदा कर सकते हैं।

श्री कल्प नाथ राय: श्री प्रकाश सिंह बादल भी हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा: वह तो चले गये मगर बीजू पटनायक तो हैं। बीजू पटनायक किसी की भी तरफ से बोलने के लिये खडे हो जाते हैं। कभी वह पटेल साहब की ओर से बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं और कभी चरण सिंह साहब की तरफ से बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं मगर भारत की जनता जानती है कि वह कौन हैं। जिस सोसाइटी में वह रहेगा, जिस भी दल में वह रहेगा, जिस भी मंत्रिमंडल में वह रहेगा वहां से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। भारत की जनता आश्वास्त नहीं हो सकती है। इसलिये इस देश में यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने मंत्रिमंडल से कीजिए। आपके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का इल्जाम है। जजमैंट किताब में किसी ने लिख दिया और एक जज ने दूसरे जज को कोई बात कह दी और आपने उसको हटा दिया ठीक किया। हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन दूसरी किताब निकली है 'इन्दिराज इंडिया गेट'। इसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कई बातें कही गई हैं। क्यों नहीं आप उस आधार पर अपने सहयोगियों को मंत्रिमैडल से निकाल देते, बीजू पटनायक को क्यों नहीं आप अपने मंत्रिमंडल से निकाल देते? यह आपका जो दोहरा मापदण्ड है क्या इस दोहरे मापदण्ड को लेकर विशाल भारत को चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। आपको एक मापदण्ड अपनाना चाहिए। जब तक आप दोहरा मापदण्ड अपनाते रहेंगे तब तक लोग यही समझेंगे कि आप राजनीतिक खिलवाड़ करते हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Dhabe—not here. Mr. Shyamlal Yadav.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो विगत चुनाव हुए उनके बारे में जनता पार्टी की तरफ से बार-बार कहा गया कि वह शांतिपूर्ण क्रांति थी। मान्यवर, मैं समझता हूं यह भ्रामक योग था। सन् 67 में उत्तर भारत में कांग्रेस की सरकारें हटी राज्यों से तब भी कहा गया कि शांतिपूर्ण क्रांति थी। जब 69 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस से सिंडीकेट अलग हुआ तब भी क्रांति का नाम लिया गया। सन् 71 में जब निर्वाचन हुआ और कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत मिला तो उसको भी क्रांति का नाम दिया गया। मैं समझता हूं हमारे देश में जब भी निर्वाचन हुए जनता ने निर्भयतापूर्वक निष्पक्षतापूर्वक मतदान किया और जिस दल को जनता बहुमत देती है उसी की सरकार बनती है लेकिन उसे किसी क्रांति का नाम देना मैं समझता हूं केवल अपनी जीत बढ़ा-चढ़ा कर कहना मात्र है। इस चुनाव के साथ ही, मान्यवर, आपने देखा कि आस-पास के देश में जो चुनाव हुए उसमें भी सरकारें बदली। यह जनतंत्र की गरिमा है, शोभा है। यह आवश्यक है कि इस तरह का परिवर्तन हो। लेकिन उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो पार्टी सरकार में आती है उसका कर्तव्य है कि अपनी घोषणा के अनुरूप, जनता को दिये गये वायदों के अनरूप सरकार का संचालन करे। जनता पार्टी केवल गड़े मुर्दे उखाड़ कर पिछले चार महीनों से अपने को जीवित रख रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन चार महीनों में जनता पार्टी ने आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा हो और जिसको हम कह सकते हैं कि जनता पार्टी की उपलब्धियां है। केवल जनता पार्टी ने आपात घोषणा के फलस्वरूप जो स्थिति पैदा हुई थी उसकी जांच करने का काम शरू किया है। मैं समझता हूं यह तो वही है 'अति सर्वत्र वर्जयेत्'। यह पुरानी बात है। आज देश में बहुत से इंक्वायरी कमीशन बैठाये गये हैं इससे एक ऐसा वातावरण बन गया है कि हिन्दी के एक समाचार पत्र में एक कार्टून छपा है जिसमें यह है कि एक नेता जी है उनकी गृहिणी एक मरे हुए चूहे को लेकर सामने आती है और वह अपने पति से कहती है कि क्या आप इस पर इन्क्वायरी कमीशन बैठाएंगे या इसको बाहर फेंक देंगे? आज हमारे देश का मूड इस प्रकार का बन गया है। देश की यह मनो-स्थिति हो गई है। मान्यवर, सरकारें बदलती रहती हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जनतंत्र है। इंगलैण्ड और अमेरिका में यह परम्परा है कि एक सरकार जब चुन कर आती है तो सत्तारूढ़ सरकार हट जाती है। लेकिन हमारे देश में आज स्थिति यह हो गई है कि केन्द्रीय सरकार किसी

एक विषय पर इन्क्वायरी कमीशन बैठाती है तो प्रदेश की सरकार उसी विषय पर दूसरा कमीशन बैठाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा जनतांत्रिक तरीका है या संविधान की किस मूल भावना के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है ? आज आप हमारे देश में कौन सी नई जनतांत्रिक प्रक्रियाओं का सृजन करने जा रहे है ? कर्नाटक के मामले को ही ले लीजिये । वहां के मुख्य मंत्री ने एक कमीशन बैठाया, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी एक दूसरा कमीशन उसी काम के लिए बैठा दिया । एक तरफ तो इमरजेंसी के काल में हुए उत्पातों और उत्पीड़न की जांच करने के लिए शाह कमीशन बैठाया गया है और दूसरी तरफ प्रदेशों की सरकारें अलग-अलग कमीशन बैठा रही है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कमीशन बैठाना केवल इस बात का द्योतक है कि जनता पार्टी के नेता अपनी नीतियों को कामयाब न होता हुआ देख कर इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते है, उसको भ्रम में डालना चाहते हैं और उस भ्रम के बल पर शासन करना चाहते हैं ।

मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम इस बात की आशा करते थे कि मीसा को समाप्त कर दिया जाएगा । श्री राजनारायण जी जनतंत्र के बहुत बड़े हामी है । उन्होंने कुछ जनतंत्री परम्परायें कायम की है । लेकिन आज इस देश में उनके द्वारा सत्याग्रह और धरने की उपेक्षा की जा रही है । मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या जस्टिफिकेशन है कि काश्मीर के अन्दर मीसा का दुरुपयोग किया गया ? आज हमारे देश में बहुत से नक्सलवादी मीसा के अन्दर बन्द है । जनता पार्टी के पास इस बात की क्या सफाई है कि उसने अभी तक मीसा को समाप्त नहीं किया ? यह कहा जाता है कि ज्यादतियां हुई है । मैं श्री भंडारी और श्री योगेन्द्र शर्मा से इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस ने इस बार ही इस प्रकार की ज्यादतियां की हैं । मैं समझता हूं कि यह परम्परा ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है । पिछले 30 वर्ष से हमारी एक जेनरेशन इन ज्यादतियों को सहन करती आ रही है । मैं समझता हूं कि ज्यादतिया करना पुलिस का सब से बड़ा हथकण्डा है । पुलिस हर जांच-पड़ताल के लिए इस तरह से थर्ड डिग्री मैथड्स इस्तेमाल करती है । कलकत्ता के अन्दर लालबाग में अभी तक साउंड प्रूफ कमरा लगा हुआ है । दिल्ली के अन्दर सी०बी०आई० के इन्टरोगेशन कैम्पों में वही तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं जिस प्रकार के तरीके पहले इस्तेमाल किये जाते थे । आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि डी० आई० जी० श्री भिडर को जिस सी० बी० आई० के इन्टरोगेशन कैम्प में रखा गया है उसमें रात को उनके ऊपर पानी फेंका गया और उनके ऊपर ज्यादतियां की गई । जब उनकी पत्नी खाना लेकर गई तो उनको गालियां देकर भगा दिया गया । इस प्रकार से अत्याचार अब भी किए जा रहे है । थर्ड डिग्री तरीके इस्तेमाल करके उनसे जुल्म कबूल करवाने के लिए कहा जा रहा है । सी० बी० आई० और हमारे पुलिस के लोग इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में फंसा कर उस पर मुकद्दमा चला सकते है । मान्यवर, आप जानते है कि जार्ज फर्नान्डीज के खिलाफ मुकद्दमा सी० बी० आई० ने ही चलाया था और गुजरात में जब जनता मोर्चे की सरकार थी, उस समय केस रजिस्टर किया गया था । आज भी सी०बी० आई० की परम्परा वही है । पुलिस का ढाचा पिछले 30 वर्षों से वही चल रहा है । हमारे वर्तमान गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री रह चुके है । उनको इस बात का पता है कि हमारे जिले के अन्दर किस प्रकार से पुलिस ने एक डाकू को पेड से बांध कर गोली से मार दिया और बाद में कह दिया कि डाकू एनकाउन्टर में मारा गया । हमारे देश में पुलिस इतनी झूठी है, इतनी निकम्मी है, इतनी भ्रष्ट है कि पुलिस

[श्री श्याम लाल यादव]

आफिसर से लेकर कांस्टेबल तक सब लोग इन बुराइयों से ग्रस्त हैं। इस परम्परा को गृह मंत्री को समाप्त करना होगा। मुझे उनकी योग्यता में विश्वास है, मुझे उनकी कर्मठता में विश्वास है, वह अगर इसको नही समाप्त कर सके, पुलिस की ज्यादतियों मे इस देश के नागरिकों को नहीं बचा सके तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई बचा सकता हो।

मान्यवर आज भी हमारे टेलीफोनों की टैपिंग होती है। टाइम्स आफ इंडिया में हमने पढ़ा कि हमारे टेलीफोनों की टैपिंग की जाती है। माननीय गृह मंत्री के नोटिस में यह बात आई होगी। क्या आज की सरकार की यह मंशा है? बावजूद इस घोषणा के टेलीफोन की टैपिंग नहीं करेंगे। यह ठीक है कि अगर करना चाहते है कोई बाध्यता नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार ने निर्भीकता और स्वतंत्रता कायम की है तो फिर टेलीफोन टैप क्यों होता है, इसकी सफाई होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। समाज से, देश से जातीयता समाप्त करने का प्रयास प्रशंसनीय है और मैं इस बात के लिये गृह मंत्री का बहुत आभारी हूं और मैं मानता हूं इस बात को कि जातीयता समाप्त करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है। उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। अभी विधान सभा के चुनावों के बाद जिस प्रकार के मुख्य मंत्री प्रदेशों में बनाये गये, मैं समझता हूं कि एक नई परम्परा उन्होंने डाली है। जो पिछड़े हुए लोग थे, गिरे हुए लोग थे, जो शासन से दूर रहते थे, उनको शासन पर जाने का मौका दिया। यह एक नई परम्परा डाली गई है और इसके लिये मै समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परम्परा आगे भी बढ़ाई जाय।

श्री चरण सिंह : यह बात आपके दोस्तों की समझ में नही आयेगी।

श्री श्याम लाल यादव : जिसे समझना होगा, समझेगा और जिसे नहीं समझना होगा, नही समझेगा। जो मेरी विचारधारा है, वह मै आपके सामने रख रहा हूं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह अपने सिद्धान्तों के लिये इस देश मे जाने जाते है। सब लोग जानते हैं कि उनको साम्यवादियों मे गहरी नफरत है, उनके सिद्धान्तों मे मेल नहीं है। लेकिन आज देश में जनता पार्टी क्या कर रही है? वह उस घोर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके प्रदेशो की सरकारो को चलाना चाहती है। वह इसलिये कि किसी प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बन जाय। मैं समझता हूं कि चौधरी साहब इससे सहमत होंगे। लेकिन आज मणिपुर में क्या हो रहा है? जनता पार्टी और सी०पी०एम० की मिली-जुली पार्टी की सरकार वहां बनाई जा रही है। मान्यवर, चौधरी साहब को स्मरण होगा कि जब भारतीय क्रान्ति दल थी, जिसके अध्यक्ष चौधरी साहब थे, उस समय जब बंगाल मे चुनाव होने को हुआ, असेम्बलियों का, तो श्री अजय मुखर्जी चाहते थे कि युनाइटेड फ्रन्ट सी०पी०एम०के साथ मिलकर वहा चुनाव लड़े। चौधरी साहब उस समय इससे सहमत नही हुए और श्री अजय मुखर्जी और श्री सुशील धारा और इन सब को भारतीय क्रान्ति दल से अलग होना पड़ा। एक तो वह सिद्धान्त था उनका और आज यह सिद्धान्त है कि सी०पी०एम० के साथ मिलकर वे बंगाल मे सरकार का समर्थन कर रहे हैं। त्रिपुरा में उनके साथ सरकार बना रहे है और केन्द्र में उनका समर्थन ले रहे हैं। यह कथनी और करनी का, श्री राजनारायण जी, एक बहुत बड़ा फर्क है। इसकी सफाई होनी चाहिए और ऐसे

दलों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए जिनमें इनका विश्वास न हो।

मान्यवर, मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। इन्क्वायरी हो, यह ठीक है लेकिन वह बदले की भावना से नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह की इन्क्वायरियां यहां चलाई जा रही है वह एक अपने आप में इस देश के लिये संकट पैदा कर रहे है। इस सिलसिले में मैं राष्ट्रपति के भाषण का एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं, जो शायद आज की सरकार के लिये एक अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा है मान्यवर कि 'अपने कार्यकाल में मेरा एक मुख्य काम यह होगा कि समन्वयात्मक स्पर्श से पुराने घावों को भर दूं, आपकी सद्भावना को बढ़ावा दूं और दीर्घकालीन भय और शंकाओं को दूर करूं'। मुझे आशा है कि गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उनका सम्मान करते हुए कार्य करने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, जनता पार्टी की क्या स्थिति है यह मेरे कई मित्रों ने कहा। मैं तो चाहता हूं कि नई पार्टी है, ठीक है। देश में दो पार्टी बनी, यह होना चाहिए। लेकिन आज जनता पार्टी जिन सिद्धान्तों पर जिस प्रकार से...

श्री योगेन्द्र शर्मा : दो पार्टी बनेंगी...

(Interruption)

श्री श्याम लाल यादव : मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी अगर गिरेगी तो वह अपने अन्दर के विरोध से गिरेगी। क्योंकि उनमें आपस में गहरा मतभेद है, इसके कारण वह गिरेगी। आज उसकी जो स्थिति है उस पर वाराणसी के एक कवि ने लिखा है। मै आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। उनका नाम संकट मोचन है वे लिखते हैं :

"पुरवा झकझोर से, वर्षा के जोर से
'जनता' शिविर का तंबु कहीं फटा कहीं
चू रहा है।
चीजों का भाव, आसमान छू रहा है।
फिर भी घटको के घेरो में, हर सदस्य
चक्कर खा रहा है।
अपने स्वार्थों से टकरा रहा है।
इधर घर का बजट
पाकेट से बाहर निकला जा रहा है।
ऐसी स्थिति में,
हम सर पीटते हैं, चीखते है।
'कभी अपने घर को,
कभी उन्हें देखत' है।"

मान्यवर, जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करे, उनके अनुरूप आचरण करें। केवल इमरजेंसी काल की 'वर्पात्तियों का उत्पीड़न और वर्णन करके, उसकी निन्दा करके कोई पार्टी नही जी सकती। इतिहास में कोई पार्टी ऐसे नही चल सकती कि इस तरह की परम्परा डालना, इस तरह का आचरण बनाना और इस तरह के सिद्धातों को निरूपण करना, मैं समझता हूं कि जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बडा विश्वासघात है और लोगो की आस्था इस पर से उठ जायेगी। मान्यवर में केवल एक बात और कह कर समाप्त कर दूगा वह यह कि गृह मंत्री ने यह कहा कि इंदिरा जी ने अपने को कायम रखने के लिए ही इमरजेंसी लगाई इससे अच्छा तो हिटलर था जिसने राष्ट्र के विकास के लिए इमरजेंसी लगाई। मान्यवर, मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी गलत बयानी है हिटलर ने अपनी तानाशाही हकुमत कायम की उससे जर्मनी ही प्रभावित नही हुआ, सारी दुनिया बर्बाद हुई उस बर्बादी का ब्यान नहीं किया जा सकता। लेकिन इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई, उससे बहुत से अच्छे परिणाम भी निकले। अपराधों में कमी हुई, अनुशासन का निर्माण हुआ। लेकिन हिटलर के साथ उसकी तुलना करना मैं समझता हूं न मुनासिब बात है और इस का कोई औचित्य नही है। मान्यवर एक अपराध हुआ जो किसी ने न्यूरेम्बर्ग ट्रायल के बारे में कहा था क्योंकि

[श्री श्याम लाल यादव]

हम हार गए, चुनाव में कांग्रेस हार गई, इसलिए सब अपराधी हो गये । ये जीत गए, इसलिए सब से अधिक नेक हो गये । यह बात मान्य नहीं हो सकती । यह जनतंत्र के उसूलों के विपरीत है, हमारी मान्यताओं के विपरीत है, इस देश की संस्कृति के विपरीत है इतिहास के भी विपरीत है । मुझे विश्वास है, कि जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता जो जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते है, इन परम्पराओं को देखेंगे । इस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास करेंगे जिससे आगे आने वाले जनतंत्र के लिए खतरा पैदा न हो और नयी परम्परा हमारे देश के लिए घातक हो, ऐसी स्थिति पैदा न हो ।

SHRI ANANDA PATHAK (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I rise to welcome certain measures of the Central Government like lifting the emergency, restoring to the judiciary its original powers, lifting press censorship, affirming our continued faith in our existing world relations, and restoring the democratic rights of the people. But I cannot but express my profound indignation at allowing a draconian law like MISA to continue which is disfiguring our statute book even today. This was one of the most brutal weapons in the hands of the previous Congress Government which crushed the fundamental rights of the people and which tried to perpetuate the tyranny and the despotic rule of the oppressor. Even today we find that this Act is being utilised as, for example, in the case of Kashmir recently where hundreds of people were detained under MISA. Therefore, it is high time that this draconian law, MISA, was scrapped and done away with because otherwise it will create apprehensions in the minds of the people in the future also.

I come to another similar institution, the RAW. This was another such weapon in the hands of the Congress Government which was utilised to suppress the democratic rights of the people. This machinery was utilised to suppress the dissenting voice of the opponents inside the Congress Party and outside. we do not know whether this organisation will be demolished or not. We have not heard anything to the effect that it has been demolished. I would urge upon the Government to see that this institution is demolished forthwith.

Now I come to another point. The Janata Party Government have already announced in their manifesto that they will release all the political prisoners. But we find, even now in different States, there are political prisoners who are languishing in jails. It is true that in some States some of the political prisoners have been freed. I want to draw the attention of the Government to the fact that in West Bengal the Government already declared that all political prisoners would be released. That process has now started and I am sure in course of time all such prisoners will be released. Similarly I would request the Government to see that all political prisoners are released forthwith so that whatever promises they had given to the people are fulfilled.

Now I come to the appointment of different commissions and committees to inquire into the excesses committed during the emergency and before and after that. I am very happy that these commissions have been appointed. Still when one goes through the terms of reference of such commissions and committees, one can easily find out that many people are not covered by them. Therefore, I ask the Government to see that all the people who were in one way or other responsible for the excesses are brought within the purview of these terms of reference so that those people who are responsible for various types of crimes can be found out and the guilty punished.

We have already heard about the Rajan case in Kerala and we have also heard that an inquiry commission

has been set up by the State Government. I do not know whether all the persons who are directly or indirectly involved in it are really covered by the terms of reference or whether they are in a position to manipulate the inquiry. I do not know. Therefore, I think it will be better if the Central Government itself looks into the matter. There are so many Rajans in other places also throughout the country. Recently I read a news item in the Hindustan Standard of July 22, 1977 where I found that one Milan Das Gupta was similarly arrested from his house and taken by the Police. His brother was not aware of the whereabouts of Milan. Now this is the fifth year and nothing has happened and nobody knows whether Milan is alive or not. Such cases are there everywhere. Therefore, it is better, I think, if the Central Government looks into such matters so that these can be properly inquired into.

I now come to another aspect, namely, the Police. We have heard a lot about the Police. Their temperament, their mentality and their manner of working have not changed, though many other changes have come about. The Police people are still governed by the same old British rules. In those days their role was to suppress democratic and freedom movements in the country. Therefore, it is high time that the attitude of the Police is changed so that they may be helpful to the people as the custodians of law and order.

There are so many cases in West Bengal. There we found that the police and the CRP, in collusion with the anti-social elements, murdered so many people, more than 11,000 workers of our party brutally and then, Sir, the elections in 1972 were rigged and the CRP was instrumental in the rigging of the elections. Therefore, Sir, I feel that all these things should be considered afresh now. The previous Government amended the Constitution and laid down that the CRP would be sent to the States, wherever they liked to send it, without the consent of the concerned State Government. I would urge upon the Government not to deply the CRP in any State, if it does not like it, and not to deploy the CRP in any State without the consent of that State. If necessary, a request may be made to the State Government and if the State Government agrees, then the CRP force may be sent there.

5 P.M.

Now, Sir, I come to another point. We find even now that the practice adopted in the British days is still continuing in the matter of employment in Government service. I am referring to the question of police verification. I do not know what kind of a practice it is. We are living in a democratic set-up and the Government employees are also free citizens of this country and this sort of thing is very bad. So, I would urge upon the Government to see that police verification in respect of persons before their entry into Government service is not there and I would urge upon the Government to scrap this system.

Now, I come to the question of Centre-State relations. Sir, this is a much-debated point and even after thirty years of our independence, these problems have not been solved. You know that we are having a federal set-up. But, in actual practice, you will find that the States have no powers in their hands. Therefore, I would urge upon the Government to see that more powers are given to the State Governments and more autonomy is given to the States so that cordial relations between the Centre and the States could be maintained. In the process of decentralisation of powers, I would like to urge upon the Government to think over the matter regarding certain linguistic minorities also carefully. Sir, there are certain nationalities who have got their own language, their own manners, culture and their own customs and they are found even within a single State. For such people

[*Shri Ananda Pathak.*]

who are minorities, who are living in a composite and compact area in a State, regional autonomy should be granted so that they may also feel that they are also the people of our country and that they are also free people living in our country. That sort of feeling must be there and for that regional autonomy should be granted. For example, I would like to mention the case of the Nepali-speaking people. The Nepali-speaking people in the Darjeeling district are demanding that they should be granted regional autonomy within the State of West Bengal and it is a very longstanding demand. I hope that the new Government will certainly look into their case and come to certain conclusions.

I now come to the problems of the minorities and the backward classes. There are many problems so far as these people are concerned. The minorities think that they have no say in any matter in free India and that they have no say in running the administration. These are their feelings. But we find that some vested interests utilise these feelings of the minorities and exploit them and try to suppress their rights. But these days are gone. So I would like to urge upon the Government to do something for the minorities that we find in Nagaland, Assam, Meghalaya and in the other border areas. They are all backward people and something should be done for them. This will enable them to participate in the building up of our nation... (*Time bell rings*). These problems should also be looked into.

Now, I come to another problem the language problem. It is a very sensitive, emotional and sentimental issue of all the issues. You know it very well. I am surprised to see that even after 30 years since our Independence this problem has not been solved. Sometimes we hear about three-language formula. Sometimes we hear about two-language formula. But what is that? This problem still remains unsolved. Therefore, this very important problem should also be considered, and I hope it will be looked into.

Here I would like to draw the attention of the Home Minister to the fact that the Nepali-speaking people, throughout India numbering more than 50 lakhs, have been demanding constitutional recognition for Nepali Language and that this language should be included in the Eighth Schedule of the Constitution. Sir, you know very well that the sons of the Nepali-speaking people are defending our country on the borders and thus ensuring the security of India. Therefore, I urge upon the Government that this long felt demand of the Nepali-speaking people should be considered and constitutional recognition should be accorded to Nepali Language and it should be included in the Eighth Schedule of the Constitution. This demand was first made in the year 1972 when an hon. Member of Parliament, Shri Ratan Lal Brahmin, raised this issue in the Lok Sabha, and seventy-four MPs submitted a Memorandum to the Prime Minister. On that Memorandum, the hon. Members who are now running the Government gave their signatures as a token of their support to this demand. Therefore, I think it will not be difficult for them to give constitutional recognition to Nepali Language, without which there are bound to be difficulties. That day when I came here I tried to speak in my language, Nepali and take my Oath in that language. But, unfortunately, I could not do that because it was not included in the Eighth Schedule. What is that? If I cannot speak out my heart in my own mother tongue, then how I can speak the true thing? Therefore, I urge upon the Government that now the problem should be solved and Nepali should be accorded constitutional recognition and it should be included in the Eighth Schedule of the Constitution... (*Time bell rings*).

Before I conclude, I also urge upon the Government that the Representation of the People's Act should be amended so that there is provision for proportionate representation and there is the right to recall so that in future we can participate in elections in a more democratic way and in a more proper way.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri D. P. Singh.

SHRI D. P. SINGH (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are two or three important matters to which I would like to invite the attention of the hon. Home Minister, through you.

The first is the Budget. The Home Minister's demands account for almost the largest share in the Budget. Yet, there has been no sign or inclination to rduce any non-planned expenditure in spite of the assertion of the Janata party that they want to cut down the expenditure and ultimately bring about security and goodwill among the people. But the size of the Border Security Force, the large mass of Central Intelligence Force and all that seem to continue unabated and unreduced and in spite of all that force, what do you have here? The elementary protection of life and property of the citizen seems to have been eroded and seems to be eroding systematically. When we speak about the serious disturbances in the States, we are told by the hon. Home Minister that this is a State subject and we cannot do anything about it. When we tell him about the things happening under his very nose in Delhi, probably he keeps quiet and smiles and thinks that these are the kind of things that have been going on for centuries and he is not in a position to change human nature. Ultimately the result is that the poor citizen is left mercilessly in the hands of vagabonds, goondas, pilferers thieves, dacoits and robbers and what not and the security of the citizen is diminishing. In regard to Centre-State relations, more than anything else, one finds that the Home Minister has made a mockery of the Constitution. The Centre-State relations is a very very significant thing in our Constitution. There are allocations of functions, functions divided between the States and the Centre and functions particularly assigned to the States, and that is how we thought that democracy would function in this country where the various limbs of the Government and various organs of the State will continue to confine their activities within the sphere assigned to them under the Constitution.

[The Vice Chairman (Shri Shyam Lal Yadav) in the Chair]

But when we remind the hon. Home Minister that here is a matter in which the Centre can issue directive to the State, the Home Minister does not take it so. When there are matters particularly within the sphere of the State, where in all propriety, legality and constitutionality he cannot interfere with the functioning of the States, the Home Minister is up in arms. We have the evidence here as to how the 9 States were ruthlessly and unconstitutionally treated and the Governments there were dismissed. All that has happened has been very eloquently put forward by our first speaker on behalf of the Congress Party. This is how things function. This is how things are sought to be carried on where things that particularly belong to the region of the State are interfered with. Look at the example of Karnataka. The other day we had the occasion to bring it to the notice of the Home Minister and reminded him again and again. In spite of the fact that the Ministry there has launched a systematic inquiry, appointed a Judge and everything is going on properly, the Home Ministry must appoint another Judge and I do not know how these two commissions will function. The working of the Central Commission subsequently appointed is likely to jeopardise and embarrass the functioning of

[Shri D. P. Singh]

the Commission appointed by the Karnataka Government. But, in spite of reminders, it had no effect on the hon. Home Minister. When we bring to his notice an elementary matter touching upon the life of our most neglected citizens who find themselves in a hopeless condition—the whole House has been pleading before him, the whole House and the whole country has been aghast at the tragedies being perpetrated on the Harijans—the hon. Home Minister has no sympathy, no tears, no thought...

SHRI N. P. CHAUDHARI: Crocodile tears were there.

SHRI D. P. SINGH: The attitude is: "let them die, let them go to hell". What does he care? Now, Sir, the Belchi incident is not an isolated one. After Belchi, we have two more mini-Belchis. We hear of the incident in Bhagalpur where 40 members of the Harijan community were locked up in a school and all kinds of brutalities were perpetrated against them. This is in the Janata raj, Sir. Not only that. In the place to which our laughing leader, Mr. Raj Narain, who is smilingly and jocularly throwing suggestions here and there, belongs, in his district of Gorakhpur, we have read in today's newspaper again the same kind of brutality. Day in and day out, these incidents are being repeated. Sir, the Home Ministry comes before us and makes a large demand in the Budget but they have no desire, no inclination and no willingness to afford any protection to the suffering mass of humanity, that is, the Harijans. It has been our privilege, the privilege of the Congress Party, to espouse the cause of the Harijans. We have fought for them; we shall continue to fight for them, and our resolve is undaunted and undiminished. We find that there is no compassion, there is no heart. If the sympathies are lacking, if the elementary sympathy is lacking, then these poor people are confined to a life of wretchedness and misery, and the misery, it is expected, will go on abounding with that callous disregard and callousness for their life and liberty...

श्री राजनारायण : आप जो अंग्रेजी भी गलत बोल रहे हैं ।

श्री डी० पी० सिंह : मैंने आपको अंग्रेजी बहुत सिखाने की कोशिश की । मैंने आपको और भी विद्यायें सिखाने की कोशिश की मगर नहीं सीख पाये । इस विद्या को आप न सीखें तो अच्छा है यह आपके बस की बात नहीं है ।

Sir, one more matter to which I would like to invite your attention, and that is a serious matter, the matter concerning national integration. In all these four and a half months, nothing has been done and there has been no outlining of policy which might assure our people that the Home Ministry has plans to improve, to better and to bring about a close-knit integration in the life of our people. Through their policies in the sensitive frontiers of this country, they already stand discredited, and they have created difficulties for this nation in the matter of Kashmir. Sir, I would like to warn them, through you, Sir, that the game they are playing in Nagaland is fraught with dangerous consequences and evil potentialities. Again, for the sake of a few votes here in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, the move is afoot to set up a regional Government which will spell disaster in the life of this country. The regionalism is flourishing, Sir. And, one party, one central party, one national party, is disappearing from the scene and their claim to being a national party stands belied today. They are no longer in the picture in Tamil Nadu. They are not in the picture in Goa. They are not in the picture in West Bengal. They have been completely eliminated from Punjab and misfortune has befallen them in Kashmir. And, still they are not hesitating to play the dangerous game which is likely to spell ruin and bring disaster and is

fraught with very very dangerous consequences. Sir, this is the national scene.

Sir, in regard to the method of their functioning, we have had the privilege of inviting the attention of the hon. Home Minister to the impropriety of making parallel inquiries even when commissions of inquiry have been set up by them, rather than giving them all the facilities. All that they are trying to do is to rake up old issues, make statements, rake up old questions and bring up matters in such a fashion in the two Houses of Parliament which will impede the course of justice, which will impair their efficient functioning and the total result will be that truth will become a casualty. (*Time Bell rings*). In these circumstances, Sir, when there is still time, we would request the hon. Home Minister to shed his partisan attitude and rise to the level of the high office which he is occupying. He has been repeatedly called the iron man and the man of steel. Let that man of steel show guts and let that man of steel show that he is worthy of the high office that he is occupying and worthy of the hopes and expectations of the people of this country so that the people of this country may enjoy a life of peace, a life of security and an era of security so that peace and goodwill may reign in this country. Thank you.

SHRI JANARDHANA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to express my views on the functioning of the Ministry of Home Affairs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): There are many names of speakers in the list and the time is short. Only today has been allotted for the discussion of this subject. I would like to know the sense of the House whether they would like to conclude by 6 P.M. or continue to sit beyond six P.M.

SHRI N. P. CHAUDHARI: Sir, we should continue tomorrow also and sit up to 6 P.M. today. After all, the hon. Home Minister will take at least two hours.

SHRI CHARAN SINGH: I will take only 15 minutes.

SHRI KALP NATH RAI: We should continue tomorrow also.

विपक्ष के नेता (श्री कमलापति त्रिपाठी): मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । इस विषय पर बोलने वालों की तालिका काफी लम्बी है । मेरा ख्याल है कि 6 या साढे 6 बजे तक बैठ कर हम इस पर चर्चा कर लें । बाकी चर्चा कल हो जाएगी । अगर आप चाहें तो इस बारे में सदन की राय ले लें ।

श्री चरण सिंह : मेरी अर्ज यह है कि लगभग एक ही बात कही जा रही है । पहले जब हरिजनों पर अत्याचारों पर कालिंग अटेंशन मोशन था तो उस पर काफी चर्चा हो चुकी थी । आज भी वही बातें कही जा रही हैं . . .

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : कृपया सुनिये, शांत रहें ।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि लगभग पूरा दिन आज इसमें लग गया है । मेरा काम कल गालेबन लोक सभा में है तो मैं यहां हाजिर नहीं हो सकूंगा । जब दो दिन एक ही ग्रांट पर लग सकते हैं तो तीन दिन भी लग सकते हैं । यह ऐसी कोई चीज नहीं है कि हर आदमी बोले । मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है । आज ही इसे खत्म होना चहिए 6.15 तक इसे खत्म कर दिया जाए ।

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह बात कैसे मालूम है कि जो आगे बोलेंगे, सब ऐसा ही बोलेंगे । यह देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है, इसलिये इस पर कल बहस रखी जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The Business Advisory Committee had decided to discuss this Ministry today and so the practice has been so far to finish the discussion within the hours and the time fixed by the Business Advisory Committee. The Business Advisory Committee had also decided that the House can sit longer if it likes. So, I would request the hon. Members to please finish it today. The House will sit after 6 O'clock also.

SHRI N. P. CHAUDHARI: How many hours are fixed for this discussion?

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Shri Janardhana Reddy.

SHRI DEVENDRA NATH DWIVEDI: Sir, on a point of order.

श्री कल्प नाथ राय : आप नेता सदन से पूछ लीजिये और कल तक के लिये इसे बढ़ा दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Kindly take your seat. He has a point of order.

SHRI DEVENDRA NATH DWIVEDI: Sir, in regard to the extension of time, I want to draw the attention of the Chair to the fact that probably by a mere ruling, time cannot be extended. There has to be a Resolution passed by the House and it is only after the Resolution is passed by the House that we can sit beyond 6 O'clock, otherwise, the House cannot sit beyond that time. But it looks that the sense of the House is that we should sit even beyond 6 O'clock for some time and tomorrow again we should devote two or there hours. So, I want that on this the views of the House should be sought.

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव): मैं यह निवेदन कर रहा था कि बिजनेस एडवाजरी कमेटी ने जो समय निर्धारित किया है, उस कमेटी में इस सदन के माननीय सदस्य भी उपस्थित रहते हैं । इसका समय सदन की ही इच्छा के अनुसार निर्धारित किया जाता है । इसके लिये आज दिन भर का समय था और अगर आप चाहते है तो 6 बजे तक के बाद भी बैठ सकते हैं (*Interruption*) जो बिजनेस एडवाजरी कमेटी का कार्यक्रम है, वह सदन में घोषित किया गया है, उसे स्वीकार किया गया है, इसलिये उसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप हाउस की राय लीजिये ? क्या कोई एक्स्ट्रा - आर्डिनेरी सिचुएशन पैदा हो गई है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : ऐसी कोई एक्स्ट्रा-आर्डिनरी सिचुएशन पैदा नहीं हुई है ।

श्री कल्प नाथ राय : आप नेता सदन से पूछ लीजिये ।

श्री राजनारायण : आप नेता सदन मत कहिये, वह विरोधी दल के नेता हो सकते है। कल्पनाथ जी, सोच समझकर बोलें, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा ।

श्री बिपिन पाल दास : राजनारायण जी, नेता सदन से हम लोगों का मतलब आडवाणी साहब से है, और ऐसा ही हम लोगों ने समझा है ।

श्री एन० पी० चौधरी: माननीय, मैंने इन्फार्मेशन मांगी थी, उसे क्यों नहीं देना चाहते हैं । मैंने पूछा था कि कितने घंटे इसके लिये तय हुए हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : माननीय सदस्य ने अगर ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी होती तो मैंने इसके उत्तर में कहा था कि आज दिन भर का समय इसके लिये था और हम 6 बजे के बाद भी बैठेंगे ।

(*Interruption*)

SHRI JANARDHANA REDDY: Sir, we are discussing an important Ministry, the functioning of an important Ministry. I do not know how the Business Advisory Committee had fixed a few hours to discuss such an important Ministry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Kindly continue your speech.

SHRI JANARDHANA REDDY: This is a part of my speech. The Home Ministry is the only Ministry which had kept its promise, election promise, to give freedom to the smugglers, bootleggers, robbers, dacoits, pickpocketers, anti-social elements and criminals. You have given them all sorts of freedom and you have kept your promise. Hence, you deserve congratulations. There used to be a teacher of mine who was a mathematics teacher. But whenever he came to the class, he used to talk on philosophy. He used to say that if he had been a philosophy teacher, he would have taught me mathematics. Similarly, our Chaudhuri Charan Singh always speaks about industrial policy, rural economy and has introduced the Charan Singh Arthashastra in this country, like the Arthashastra of Kautilya, leaving the whole country to these anti-social elements. As a result, we see, every day, through the Advani newspapers, the atrocities that are being committed by these anti-social elements.

Sir, Shri Bipinpal Das, our revered Member, had rightly pointed out. We do not say that we are angels. We never said that we were angels. But you behaved like angels and told the people that you were going to be angels and that you were going to form a clean and good Government. But within these 130 days, you have committed more mistakes than we have committed during the last 30 years. This is really a feather in your cap. The credit goes to your Government, particularly to the Home Ministry. I really pity our Chaudhuri Saheb, who was a respectful leader in U.P. and who has come and occupied this Home Ministry chair now. He has forgotten that he is ruling the country and not U.P.

Sir, there are mainly two things with which the country is concerned now. One is price rise and the other is the atrocities against harijans and other weaker sections. Every day, newspapers carry reports about this. These are the only two things which are talked about. The first one does not come under the Home Ministry. The second thing, namely, the atrocities against harijans, definitely comes under the Home Ministry and we have to discuss it.

According to the analysis of Shri Charan Singh the other day either in this House or in the other House, these atrocities against harijans are mainly due to the caste system. I do not know how he is going to eradicate this caste system when the main constituent of the Janata Party is the Jan Sangh, which is a champion of the caste system. Further, Sir, he simply attributes these atrocities to the caste system. He treats it as a political issue. It was never a political issue and it is not going to be a political issue. We should not look at it as a political issue. The other day, some of our Members, during the Calling Attention Motion, held a dharna. The issue was riased with all seriousness. Do not think that this is the concern of the Congress alone. It is the concern of the whole nation. It is a matter of shame to the whole nation. If at all there is anyone had to go on dharna, it is Chaudhuri Charan Singh who has to go on dharna on this issue. This is a national issue and, therefore, we have to discuss and solve this problem. They say that the prestige of the country has gone high abroad. Do you mean to say that the prestige of the country has gone high in spite of these atrocities committed against our fellow countrymen? Can you say that? Are we not ashamed of this? Why should

[Shri Janardhana Reddy]

only the members of the scheduled castes and the scheduled tribes shout about this? Everyone has to feel about it. Let us not brush it aside as a caste problem. Yes, I do agree that it is not being created by the Janata Government or Shri Charan Singh but I can analyse one thing and say that there was a kind of fear complex amongst the rich to touch these Harijans or weaker sections during the previous regime. Certain rights and protections given to them made them feel secure but this security was not tolerated by certain people. They were waiting for some opportunity. Although my State has completely voted for Congress, I know it very well that there were shouts from the rich community saying: You fellows, wait and see what we are going to do, now it is our Government. These things have occurred in my own State. In many places these atrocities have occurred. A sense of fearlessness is there in the affluent class. That is why I say you have to congratulate Mr. Charan Singh because the assurance that he has given is fulfilled.

I could tell Chaudhury Sahib that it is not a problem which he alone has to solve. We should also cooperate. But at the same time, he should look into this aspect from a different angle. There is a need to bring in reorientation in the police force. Their outlook towards people should change. Simply, taking action after the incident and giving the figures do not help to solve the problem. There is a kind of thinking in police personnel as to why they should take preventive action, why not wait and take action after the actual incident has taken place. So, Sir, it is only the police department which has never undergone changes in this country right from the British days. I would request the Home Minister to give a serious thought to the matter and give a reorientation programme to the entire police force. Reorganise the entire police force.

Sir, I wish to say a few words about the law and order situation in the country. Sir, on the one hand, the Government say that the law of the land is sufficient to take action against the atrocities and on the other, on July 15 Chaudhuri Sahib told in Lok Sabha, I quote: MISA has to be resorted to since no effective action could be taken under any other law in this country in Kashmir. On the one hand, they wanted to repeal MISA and on the other they themselves say that there is no law under which we could take action against some culprits. We cannot understand their position. We are not advocating for MISA. We are also prepared to co-operate if you are thinking to repeal MISA but what are the laws under which you could take action against these culprits? At the most you may suggest. We will send them to J.P. for the so-called oath-taking ceremony. But that won't help. I can definitely say that howsoever you may go on saying but there is no improvement in the law and order situation.

The Home Ministry is an important Ministry to help to improve the economic situation of the country. This is time and again proved with regard to my State, Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh people resorted twice to agitations. They have burnt public property. They have burnt private property and they have never allowed the Government machinery to go ahead with the developmental activities. But ever since 1973, it is only after the present Chief Minister, Mr. Vengal Rao, took over, that we have felt that we are moving towards progress. Sir, our Plan outlay upto 1972 was only Rs. 85 crores, whereas now the Plan outlay is Rs. 360 crores. Is it a magic? This was achieved by my State because of the peaceful conditions prevailing there. For any economic development in the country, the major thing that is needed is your Ministry's effective action. If it is not going to be there, however much you may spend, it is not going to give any results. So Home Ministry is not

merely a Ministry of Police but it has got connections with the economic improvement programmes.

Sir, another thing which my State has done and achieved is taking the officials into confidence. The action you are taking against the police officials in this country is really demoralising the officials.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please wind up. You have already taken ten minutes.

SHRI JANARDHANA REDDY: I am yet to take 15 minutes more.

I need not go into the incidents. You know them pretty well. Every body knows that certain witch-hunting actions of the present Government are making the officials get demoralised. Their after-effects will be worse and the situation will be bad in the country. Let us not stand on prestige. Prestige will lead to nowhere. In the interest of the country, take the officials into confidence and go ahead with proper economic programmes instead of indulging in this witch-hunting.

Now, coming to the appointment of Commissions, as has been pointed out by Shri Bipinpal Das, it is already a Commission-raj. Ch. Charan Singh is appointing these Commissions without establishing any *prima facie* case. Take the case of Andhra Pradesh, for example. He has taken the representation from 20 Janata MLAs of my State and appointed a Commission, whereas a hundred MPs here wanted him to appoint a Commission to go into the atrocities against Harijans to help him solve the problem. But he kept silent. What is this policy? Do you regard the Opposition party members also as legislators or not? If you do so, then why not take these MPs into confidence and why not accept their appeal and appoint a Commission? Perhaps it may help you to solve the problem. I have a feeling that Chaudhuri Saheb is taking these atrocities as a kind of political issue. Let him not think so. We do not want to live on political issues. We do not want to politicalise the issue, as you have politicised family planning. You have made it a political issue. We do not want to do that. We do not want to treat these atrocities as a political issue. We want to join with you to solve this problem.

There are two other important things. Civil Liberties Committees have been constituted by Shri Jayaprakash Narayan. One Committee headed by Justice Tarkunde has given its findings in Andhra Pradesh. Are these Committees—Civil Liberties—meant only for Naxalites? Aren't people killed by Naxalites also people? Nobody raised his finger against these people when innocent people were killed. Even today, it is a continuous process. I quote here the case of one Mr. Raghava Reddi. This is what the *Hindu* says:

> "Seven Naxalites, armed with revolvers, attacked the house of Mr. Raghava Reddi, police patel in Kuntapally village in Suryapet taluk, Nalgonda district on the night of July 20, and shot at Venkata Reddi, his son, twice.
>
> A press note issued by the police here today said..."

So this is continuing. So what action are we going to take against these people? You say that the law of the land will take its own course.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please conclude.

SHRI JANARDHANA REDDY: Naxalism had started in this country as early as 1948 in the name of peasants' revolution in Hyderabad and then it had spread to Andhra. From 1952 to 1969 there was a lull. In 1969 it started again when the Marxists

[Shri Janardhana Reddy]

formed a Government in West Bengal and from 1969 to 1977 it took the shape of actual guerilla warfare. In Andhra Pradesh alone three hundred people were killed. There were nearly 350 encounters and five policemen were killed. Sixty people were killed in Bihar. All those things happened and your commissions are merely to safeguard from Naxalites and their activities.

SHRI RAJNARAIN: Which area?

SHRI RABI RAY (Orissa): When did it happen?

SHRI JANARDHANA REDDY: I said since 1969... (*Interruptions*)... Yesterday also it happened. I did not include it, Mr. Rajnarain.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please conclude, Mr. Reddy.

SHRI JANARDHANA REDDY: They say about killing of students. Leaders of Naxalites take away young students from college, brainwash them with their ideology, make them committed to commit some crime and ask them to be committed to the party. Either they should be killed in some encounter or, if they turn out to be informants, the leaders themselves would kill them. If this is the situation, what is the action that the Home Minister is going to suggest against Naxalism? Don't pamper them and support them by merely giving an opinion that they are merely political acts. You better hand over the Government to the Naxalites and get out. Justice Krishna Gowd has clearly stated that it is not political murders but cold-blooded murders they are committing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That will do.

SHRI JANARDHANA REDDY: Wait, wait, Sir. I want to mention about the language issue because when, the other day, I mentioned about the issue in this House, Chaudhari Saheb said that I was threatening. I am not threatening but I am bringing a threatening situation to his notice. Mr. Rajnarain believes that coercion should not be there in family planning but in Hindi. And they are of the opinion that because they were able to form a Government without the support of the South, they can do away with the South. I quite agree with my friend, Mr. Bipinpal Das, that they are unnecessarily heading for trouble in this country. It is only the Congress which is trying to hold this country together like a thread in flowers garland but you are trying to spoil the situation unnecessarily.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That will do. I call the next speaker.

SHRI JANARDHANA REDDY: The last point which I want to mention is with regard to an administrative matter. The Home Ministry, whenever they select IAS and IPS officers, send them to certain States and they follow certain norms in the matter. I do not know the idea behind it. They say that a Punjabi posted to Andhra always looks to Chandigarh. Similarly an Andhra posted to Assam always wants to go to Vijayawada. Then what type of service can they do? Instead of hanging on to these foolish policies, let us come to reality and post the Indian Administrative Service officers to the region which they want to go. We really found that the officers who come from my own State are doing service with a sense of gratitude, and better service in that State. So, why not look at this reality and do away with this foolish thinking that the first four only can go wherever they want to go and that the rest can be imposed on some other States? Sir, I request him to reconsider this matter. I also request him not to take the Harijan atrocities as a party issue. It is not an issue which we are going

is politicalised. It is a national issue and we should be ashamed of it. I would like particularly Shri Charan Singh to move in the matter, leaving aside his past alliances.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मैं सदन में कई बार कह चुका हूं, आज फिर स्पष्ट करना चाहता हू, कि मैं किसी पर हिन्दी लादना नही चाहता और उसी तरह से मैं अपने ऊपर भी किसी को अंग्रेजी लादने देना नहीं चाहता हूं । यह हमारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है ।

(Interruptions)

SHRI RABI RAY: It is a Government policy.

श्री राजनारायण : यह गवर्नमेंट की पालिसी है कि किसी पर हिन्दी मत लादो ।

श्री एन० पी० चौधरी : आपने प्रधान मंत्री से पूछ लिया है ?

श्री राजनारायण : प्रधान मंत्री बराबर कहते हैं कि हिन्दी लादी नहीं जाएगी ।

SHRI JANARDHANA REDDY: You are not supposed to speak...

श्री राजनारायण : हिन्दी जबरदस्ती किसी पर लादी नहीं जायगी । जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वह अंग्रेजी में बोलें ।

SHRI JANARDHANA REDDY: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please take your seat. You have already spoken. You cannot go on speaking.

SHRI JANARDHANA REDDY: Sir, on a point of order. Morarjibhai clearly told everybody that a Minister cannot...

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): That is not a point of order. Shri Rabi Ray.

श्री रबी राय : उपसभाध्यक्ष जी, आज हम लोग सदन में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बारे में बहस कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे कांग्रेस दोस्तों ने बहस को छेड़ा तो इस सिलसिले में बोलने के पहले मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह यह है कि आज सुबह हमारे नव-निर्वाचित राष्ट्रपति संजीव रेड्डी जी ने राष्ट्रपति के नाते शपथ ली और परसों एक इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी कि श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से सरकारी दल भंडारनायके के दल की जिस तरह की चुनाव में हार हुई और जनसाधारण लोग कह रहे थे और मैंने भी सुना लोगों को कहते हुए कि वहां भी गाय और बछड़ा हार गया । इन दोनों के बारे में मैंने इसलिए यहां जिक्र किया कि जिस तरीके से कई दिनों से मैं देख रहा हूं चौधरी चरण सिंह के ऊपर एक सुनियोजित, प्लांड तरीके से एक साजिश कहिये, षड्यंत्र कहिये, जान-बूझकर किया जा रहा है । ऐसा भी कर रहे है कि जिसमें कि चौधरी साहब जब से सियासी जिन्दगी उनकी शुरू हुई, जो खराब चीजों में विश्वास ही नही किये हैं तो कहा जाता है कि चौधरी साहब कर रहे हैं । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि बिपिन बाबू जब बोल रहे थे तो मै ध्यान से सुन रहा था । आज जितने कांग्रेसी लोग बोले ये उनके मुख्य स्पोक्समैन थे । सवाल यह था कि बिपिन बाबू के सारे भाषण में उनकी एक आपत्ति थी कि आप पुरानी बात के बारे में क्यों कह रहे हो । जिस पृष्ठभूमि में चौधरी चरण सिह भारत सरकार के गृह मंत्री बने अगर उस पृष्ठभूमि के बारे में हम यहां जिक्र नहीं करेंगे तो चौधरी साहब के काम के बारे में हम कोई नाप नहीं कर सकते हैं, उनके काम के बारे में हम कोई बहस नहीं कर सकते हैं । वह बहस अधूरी

[श्री रबी राय]

रहेगी, वह बहस असम्पूर्ण रहेगी जब तक हम उनके घर में नहीं जायेंगे। मैं कह रहा हूं कि पहले से कांग्रेस सरकार के तानाशाह नेता के चलते हिन्दुस्तान रूपी घर जल रहा था और इस घर को बचाना था और घर मंत्री के नाते चौधरी चरण सिंह का शुरू से यह काम रहा कि जनता ने शांतिपूर्ण क्रान्ति करके हिन्दुस्तान में पुनः गणतंत्र को, लोकशाही को, प्रजातंत्र को स्थापित किया, उस जनता को उसके अधिकार, उसके बुनियादी अधिकार लौटा दिये जायें। यही पहला काम था। जितने दोस्त सुन रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि 20 महीनों तक जो अंधेरा छा गया था देश के ऊपर उसी का परिणाम है कि देश ने एक नया मोड़ लिया है और उसी का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा, लंका पर पड़ा और वहां श्रीमती बंडारनायक की सरकार हारी। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इलैक्शन के बाद भुट्टो के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। यह उसी का प्रतीक है जो हिन्दुस्तान में जनता ने लोक सभा के चुनाव मे अपनी करामात दिखाई। इस सूरत में चौधरी साहब का यह काम था कि जनता के बुनियादी अधिकारों को जनता को लौटा दे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई कसर चौधरी साहब ने छोड़ी? अगर उसमे कोई कसर छोडी तो वह आलोचना के पात्र बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस सिलसिले में किसी भी प्रकार से कांग्रेस दल को एतराज है? अभी पीछे लोक सभा में चौधरी साहब ने कहा था कि संविधान की धारा 352 जो है उसका फायदा उठा कर इन्दिरा गांधी ने देश के ऊपर आपात-स्थिति लागू की, तानाशाह बन गई। इस तरह के अपराध किये गये कि मानवता के खिलाफ हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर युद्ध छेड़ा गया। उसी पृष्ठभूमि में हम लोग बात कर रहे हैं। उनकी आजादी को लौटाने के सिलसिले मे, लोगों को तसल्ली देने के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। यही पहला काम था जनता सरकार के करने का और इसकी जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह के मंत्रालय पर है। इन्होंने यह करके दिखाया।

जो तीन जांच कमेटियां बैठाई गईं वह जनता की तरफ से मांग थी और चुनाव घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था और जनता दल ने और चौधरी साहब के मंत्रालय ने उसे पूरा किया। इसी पृष्ठभूमि में भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने के सिलसिले का एलान हो चुका। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इसी सत्र में लोकपाल नियुक्त करने के लिये विधेयक आ रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो पहले से संसद् सदस्य रह चुके है उन्हें मालूम होगा कि कई बार सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका था लेकिन उस पर जानबूझ कर कांग्रेस दल ने कोई कार्रवाई नहीं की और जनता दल ने जो वचन दिया था कि मंत्रियों के स्तर पर, मेम्बरों के स्तर पर, अफसरों के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिये लोकपाल नियुक्त करने का विधेयक लाया जाएगा और यह विधेयक चौधरी साहब इसी सत्र में ला रहे हैं गृह मंत्री के नाते। इसी पृष्ठभूमि में मैं गृह मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि असम के कुछ विरोधी दल के उनसे मिलने के लिये आये थे और उन्होंने यह शिकायत की थी, मैमोरेंडम भी दिया था कि असम की सरकार का 22 करोड़ रुपया गोहाटी सेशन में खर्च किया गया। यह जनता का रुपया था। इस सिलसिले में जांच कमीशन बैठाने के लिये चौधरी साहब ने विचार किया होगा। यदि कोई विचार किया है तो वह सदन को बतायें कि उनका इस सिलसिले में क्या रुख है, उन्होंने क्या फैसला किया है।

मै आपको हिन्दू-मुस्लिम एकता और हरिजनों के सिलसिले में बता रहा था। आज यह साफ बात है कि चौधरी साहब के बारे

में कहा जाता है कि वह हरिजन विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, यह समाज के कमजोर वर्ग के विरोधी हैं। मैं यह सोच रहा था जब यह बातें कही जा रही थीं कि चौधरी साहब के बारे में जानबूझ कर इस तरह की चीजें क्यों कही जाती हैं जब कि जनता दल का साफ रवैया है कि हिन्दुस्तान में हरिजनों के ऊपर इस तरह का अत्याचार जब होगा तो सरकार की सारी ताकत हरिजनों की रक्षा के लिये लग जाएगी। यह हम लोगों की सिर्फ नीति नहीं है हम इसे कर्म में भी लाते हैं।

मैं चौधरी साहब से यह भी जानना चाहूंगा कि चुनाव घोषणा पत्र में सिविल राइट्स के बारे में जनता पार्टी ने एलान किया था। उसमें कहा था कि हम इसकी स्थापना करेंगे तो उस बारे में क्या करने जा रहे हैं? यह होता था कि जो कमिश्नर, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो रिपोर्ट आती थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी या यह कहिये कि कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी क्योंकि क्षमता नही थी, उसमें खामियां थीं। उन्हीं खामियों को देखते हुए जनता दल की सरकार ने यह तय किया है कि जिस तरीके से सवर्ण हिन्दुओं की तरफ से कोई बात चलती है और हरिजनों की तरफ से जो रुष्ट हैं, गुस्से में हैं उसके शिकार बन गये हैं। मैं यह कहना

6 P.M. चाहता हू कि हरिजनों के सिलसिले में और कमजोर वर्ग के सिलसिले में यह कहा गया है कि उन लोगों पर जो अत्याचार होते हैं उनकी जांच करने के लिए एक सिविल राइट्स कमीशन स्थापित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि जनता सरकार इस वायदे को पूरा करेगी जिससे इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। आपको याद होगा, सन् 1954 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जाति प्रथा को समाप्त करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जाति प्रथा के कारण ही कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सारे हिन्दू समाज को इन बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम तौर पर देखने में यही आता है कि जो सवर्ण हिन्दू हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वे ही कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते है। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह जी समाज से इस प्रथा को मिटाने के लिए कटिबद्ध ह और उनकी यह स्पष्ट राय है कि हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को समाप्त किया जाएगा। अभी यहां पर श्री जनार्दन रेड्डी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरिजनों के विरुद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो जनता पार्टी की सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये बातें राजनीति से प्रेरित होकर कही जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की बातें सुनती है तो फौरन उस पर कार्यवाही करती है। हरिजनों पर जब अत्याचार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार, इन दोनों की हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बारबार इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 30 तारीख को जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है उसमें हरिजनों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा और हर मुख्य मन्त्री से इस सम्बन्ध में पाक्षिक रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील है कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त किया जाय। मैं चौधरी साहब से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन साथ-साथ हिन्दुस्तान में जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो हरिजनों के लिए काम करती हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया जाय ताकि जो स्वयं-सेवी संस्थाएं जाति प्रथा को समाप्त करने में लगी हुई है, जो आदिवासियों के बीच में

[श्री रबी राय]

काम करती है, उनके भी सुझाव इस बारे में प्राप्त कर लिये जायें। आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश में जो स्वयं-सेवी सस्थाए हैं और जो हरिजनों तथा आदिवासियों की भलाई के लिए काम कर रहीं है उनका सम्मेलन बुलाया जाय ताकि आगे चलकर कोई देश मे बेलची काण्ड की तरह के काण्ड न हों सकें। इस पर गृह मंत्री महोदय को अच्छी तरह से सोच समझकर विचार करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी श्री विपिन बाबू ने कहा कि इमरजेंसी में जो गलतियां हुई है उनके बारे में बार-बार जिक्र क्यों किया जाता है। हम भी उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं सदन की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिह ने इस बारे में क्या कहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि :

"There is need for a probe to ascertain which were the forces—external or internal—which helped Mr. Bansi Lal in pushing his way to the highest political level during the emergency.

Mr. Bansi Lal, whether knowingly or unknowingly, played into the hands of some forces which worked for destabilisation in the country and this aspect of the emergency needed a thorough probe.

He said those aware of the functioning of the Government during the emergency knew how Mr. Bansi Lal 'purchased' the personal staff of Central Ministers and Chief Ministers of States to keep a watch on their activities."

उपसभाध्यक्ष जी, यह जैल सिह साहब कह रहे हैं, यह कोई जनता दल के नेता नही कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीजे सामने आने वाली है। इस चीज के लिये विपिन बाबू जी कहेंगे कि इसलिये शाह कमीशन हम लोगों ने मुकर्रर कर दिया। इसलिये इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह चार्ज नही है क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसमें राष्ट्रीय सवाल जुड़ा हुआ है जब 20 महीनों में सरकार का सारा तन्त्र जनता के ऊपर अत्याचार करने में लगा हुआ था तो हम लोग सब लोगों को शहरी आजादी दे चुके हैं, अखबारों को आजादी है, तो यह सारी चीज सामने आयेगी और उसको कोई नही रोक पायेगा। इसका मतलब यह नही है कि शाह कमीशन जो काम कर रहा है, उसको नही करेगा। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब यह भी बतायें विदेशी रुपये के बारे मे। यह सवाल इसलिये उठ रहा है कि 1967 में जब चौव्हाण साहब गृह मंत्री थे तो उस वक्त 'न्यूयार्क टाइम्स' में एक खबर छपी थी कि 1967 के चुनाव मे विदेशी रुपया, सी० आई० ए० का रुपया खर्च हुआ था। इस बारे में सी० बी० आई० की इंक्वायरी हुई थी। हम लोगों ने सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की मांग की थी लेकिन चौव्हाण साहब ने इसके लिये मना कर दिया था। केवल उसका सारांश रखा था, हम लोगों को दिया था। अब मै चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट का सारा टैक्सट इस सभा के पटल पर रखें ताकि सच्चाई का पता चल सके कि विदेशी पैसे का बोलबाल किस तरीके से दो चुनावों में हुआ था और लोगों को इस बारे में पता चल जाए।

अब मैं नक्सलाइट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जिस तरीके से यहां के गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को जो आर्डर गया है, उसके अनुसार अभी तक कितने नक्सलाइट्स बंदी तीन सवा तीन महीने मे रिहा हुए हैं और इन्हें किस जेल मे अभी तक बन्दी रखा गया था ।

अन्त में मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा । एक बात मैं सफाई के तौर पर यह कहना चाहता हूं राष्ट्रीय एकता के बारे में । जनता दल की एक खास दृष्टि है और मैं विपिन पाल दास जी से कहना चाहता हूं कि इस बात में कोई तथ्य नहीं कि जनता दल को दक्षिण मे वोट नही मिला, इसलिये डिस-इन्टीग्रेशन का भय पैदा हो गया है । इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि जनता दल की राष्ट्रीय एकता के लिये काम करने के लिए एक ठोस दृष्टि है । इस दृष्टि मे उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं भाषा के बारे में । मैं श्री जनार्दन रेड्डी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह चीज़ सदन में बार बार लाई जाती है, मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बात नहीं है । हिन्दुस्तान में सिर्फ 3 प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं, उपसभाध्यक्ष जी—वैसे ढाई प्रतिशत लोग ही हैं लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं— उस दिन चौधरी साहब से कहा जा रहा था कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते । मैंने चौधरी साहब से इस बारे में पूछा नहीं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी पिछले 40 सालों से और सारी सियासी जिन्दगी हिन्दी के जरिये बिताये, उसको कहना कि अंग्रेजी बोलो, यह कहां तक उचित है ? यहां पर कहा जाता है कि हिन्दी लायी जा रही है । इस पर चिन्तन होना चाहिए हिन्दी को लादना या अंग्रेजी को लादना दोनों चीजें बुरी है । लेकिन सवाल यह है कि मातृभाषा को उठाना हमारा काम है । मातृभाषा के जरिये कोर्ट कचहरी में, खेतों में, उद्योगों में काम चलेगा तभी देश की तरक्की हो सकती है । और इसलिये मैं आज ढूंढ रहा था स्वर्गीय श्री अन्नादुराई का एक बयान जो उन्होंने जब वह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे दिया था । उनका कहना था कि मैं सिर्फ तमिल नहीं चाहता हूं, मैं तो तेलगु और मलयालम आदि भाषायें भी चाहता हूं ताकि जो तमिल भाषी लोग हैं और जो इन दो भाषाओं के साथ संबंध रखते हैं, जहां नौकरी के लिये जाते हैं, वहां इन भाषाओं को जरूरत होती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास में किस भाषा में बोला जा सकता है । यदि वहां बाजार में चले जायें तो वहां बाजार मे साधारण आदमी हिन्दी अच्छी तरीके में बोलता है और उनका तमिल अनुवाद हुआ, उसका कोई विरोध नही किया । इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दी लादने का सवाल है । जिसकी जो मातृभाषा हो वह बोल सकता है । इसलिए यहां सदन में हम लोगों ने बहुत कोशिश करके दक्षिण की चार भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था की थी । डा० लोहिया भी उस समय जिन्दा थे, तथा हमारे राष्ट्रपति है उस वक्त लोक सभा मे स्पीकर थे उन्होंने इस बात के लिए कोशिश की थी कि संविधान में जिन 15 भाषाओं का जिक्र किया गया है, सब के लिए व्यवस्था की जाए ताकि जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं जो हिन्दी नही जानते है और न ही अंग्रेजी जानते हैं, वे किस भाषा में बोलेंगे, इस बात का भी हमको फैसला करना है । मैं चाहता हूं कि संसद का ध्यान इस बारे में जानना चाहिए अंग्रेजी जो कि एक विदेशी भाषा है, उसको लादना नहीं है । अंग्रेजी को तो मुट्ठीभर लोग जानते है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में संसद के लोग तथा बाहर के लोग भी सोचें कि हिन्दुस्तान मे मातृभाषा की प्रगति किस प्रकार हो ।

[श्री रबी राय]

इतना कह कर अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल की जो दृष्टि है, उसका जो प्रधान मंत्री है, उसके एक दो पैराग्राफ उद्धृत करना चाहता हूं ।

We have learnt from Gandhiji that there is no nobler quest than to work for justice and a better life for one's fellow brethern. He taught us, too, that dedication to the service of one's people must not be a concealed lust for power. What the people need today is a happy and contended life fully utilising the aids which science has placed and will continually place at the disposal of mankind. Life cannot be merely mechanised if the end is to be happiness and contentment. There is to be a moral and spiritual base for development along with its materialist content. Freedom from want and freedom from fear have to be secured to make that base. We have dedicated ourselves to the task of achieving these freedoms along with the right to liberty.

इतना कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, श्री रबी राय जी से हम जानना चाहते हैं कि जब वे इधर थे तो बार बार बीजू पटनायक के भ्रष्टाचार के विषय पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब वे चुप क्यों हो गए हैं *(Interruptions)*

श्री रबी राय : वह हो चुका है । चौधरी साहब उनके बारे में बताएंगे । उनके ऊपर कोई चारजिज नहीं है, सब चारजिज से मुक्त है आप खामखाह क्यों कह रहे है ।

SHRI N. P. CHAUDHARI: Sir, the time is up. I move a closure motion that this House do adjourn now and the discussion may continue tomorrow.

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : यह तो पहले ही व्यवस्था हो चुकी है । आपको अधिकार हैं कि आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया था जिससे कि हम सभी दलों के लोग सहमत थे उसके अनुसार कार्यक्रम चल रहा था । अगर आप क्लोजर मूव करेंगे तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे जवाब दें । *(Interruptions)*

श्री एन० पी० चौधरी : आप कब तक बैठे रहेंगे ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री देवराव पाटील : हमारी पार्टी के और भी बहुत से बोलने वाले हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : यह कैसे हो सकता है ?

श्री कल्पनाथ राय : * * *
(Interruptions)

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(Interruptions)

श्री कल्प नाथ राय : * * *

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह शब्द जो आपने कहे है वापिस ले लें या इनको एक्सपज किया जाए । यह मुनासिब बात नहीं है, नहीं लिखी जाएगी।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया था कि

*Expunged as ordered by the Chair.

आज यह चर्चा समाप्त होनी चाहिए । लेकिन व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि सदन चाहे तो वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन को बदल सकता है और सदन चूंकि यह चाह रहा है कि बहुत से माननीय सदस्य इसमें बोलने जा रहे है, इसलिए समय बढ़ाया जाए । कल बढ़ाया जाय इसलिये सदन की इस राय के मुताबिक आपको चलना चाहिये । . . .

(*Interruptions*)

श्री देवराव पाटील : हम लोग भी बोलना चाहते हैं ।

श्री राजनारायण : प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी जो समय निर्धारित करती है उसको नेता सदन यहां आकर पढ़कर सुनाते है और उसको सदन एप्रूव करती है । इसको सदन एक बार एप्रूव कर चुकी है। इसलिये फिर उसमें विचार नही हो सकता है। . . .

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA SHARMA: The House is the master of its affairs... (*Interruptions*)... The House is the master of its affairs.

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): अगर श्री चौधरी जी क्लोजर मूव करते हैं तो नियमानुसार गृह मंत्री जवाब देंगे और उससे अगर आप सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि बहस जारी रहे तो बहस जारी हो सकती है । उसमें मुझे आपत्ति नहीं है ।

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, it is true that the Business Advisory Committee's decision is that this discussion should be completed today. That is quite true. But the subject-matter of the discussion is so important that many Members feel that they should take part in it. Now, there are two ways before us. Firstly, the Business Advisory Committee's decision can be overruled by the House itself if it so likes. We can also continue the debate if it is necessary and we can continue this even after six o'clock. But, if the Members are tired and if the ruling party agrees, we may continue the discussion tomorrow or on any other day. These are the two ways open to us. I do not want that the Members should be deprived of their right to speak on this very important subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): What about the closure?

SHRI BIPINPAL DAS: I do not agree to that.

SHRI N. P. CHAUDHARI: Mr. Vice-Chairman, Sir, I had moved a closure for the day and I had also said that the discussion might be continued tomorrow. You have not heard that part. You have not heard the latter part. I have made this request and I have also moved a resolution to the effect that the discussion can be continued tomorrow.

श्री राजनारायण : क्लोजर एडीशनल नहीं होता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): शास्त्री जी आप बोले . . (*Interruptions*) क्लोजर नहीं पेश कर रहे हैं . . .

(*Interruptions*)

श्री चरण सिंह : क्लोजर खत्म हो गया । अब उसके बाद चलेगा क्या ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): जी हां, बहस जारी रहेगी . . .

(*Interruptions*)

श्री चरण सिंह : तो ठीक है मैं बाद में जवाब दूंगा . . (*Interruptions*) दलील यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सब लोग बोलना चाहते हैं या बहुत से लोग बोलना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी सीमा क्या होगी ?

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : जी हां थोड़े लोग है मेरे पास लिस्ट है । (*Interruption*) कृपया शांत रहिये ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सुविधा इसमें होती है कि हम आगे भी बैठे । हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर समय हो कि इस समय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो फिर उसमें जितने भी लोग ह उन सबमें समय को बांट लिया जायेगा । उस हिसाब से समय का विभाजन हो जायेगा . . (*Interruptions*) लेकिन यह पता हो । हमें कोई आपत्ति नहीं है । (*Interruption*) हमेशा बहस में जब फोक्स आ जाताहै । अगर समय निर्धारित हो कि इस समय गृह मंत्री जी दवाब देंगे . . . (*Interruptions*) आज हम चाहे 8 बजे तक बैठें हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की और आखिर वह सदन तो पूरा बैठता ही है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : कल कर लीजिये ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपको शायद जानकारी नहीं है कि जिस समय बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी में हमने चर्चा की थी तो आज का दिन फाइनेंस बिल के लिये रखा था । फिर सुझाव आया था कि आज फाइनेंस बिल न करके कल करें । मैंने सचिवालय से राय ली और उन्होंने कहा कि गुंजायश है इस के लिए क्योंकि फाइनेंस बिल हमको कंपलीट करना है । हमारे हाथ की बात नहीं है । लोक सभा कह सकती है फाइनेन्स बिल कर लो कुछ कर लो । इस बात को ख्याल में रख कर कल हमको फाइनेन्स बिल करना है । आज हमें इस डिबेट को खत्म करना है । हम यूं भी ज्यादा समय ले रहे हैं नहीं तो 6 बजे समाप्त हो जाता है । और गृह मंत्री जी जिस समय जवाब दे सकें उसे भी साफ कर दिया जाए ।

श्री चरण सिंह : 7 बजे खत्म कर दिया जाए । मेरे मित्र 6 बज कर 55 मिनट तक बोलेंगे । मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा क्योंकि बोलने में कोई फायदा नहीं है । न कोई सुनने को तैयार होगा और न किसी पर असर होने वाला है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, हम लोगों ने बहुत से सवाल उठाए हैं । हम लोग उत्सुक हैं कि उनका जवाब हो और इसलिए हम लोग जानना चाहेंगे . . . .

श्री राजनारायण : यहां बहुत रेपिटिशन हो रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय के साथ एक बहुत बड़ा विभाग है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिन्दी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग । अभी पीछे जनता पार्टी ने जो अपना चुनाव घोषणापत्र प्रकाशित किया था उसमें इस बात के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया है कि 85 प्रति शत भारत गांवों मे रहता है और हमारी जो योजनाएं होंगी वे ग्रामोन्मुख योजनाएं होंगी जिन से गांवों का अधिक से अधिक विकास हो सके । मैं विशेष रूप से इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि अभी पीछे संघ लोक सेवा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है उस रिपोर्ट में लिखा है कि इस वर्ष जो हमारी केन्द्रीय सर्वेसेज़ हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उस में गांवों का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है और गावों का प्रतिशत बढ़ कर 13 दशमलव कुछ हो गया है । यह संघ लोक सेवा आयोग की गत वर्ष की रिपोर्ट है जिसका मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं । तो मैं आपके माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि एक ओर तो आप ग्रामोन्मुख योजना बनाने जा रहे है और यह सघ लो सेवा आयोग की अपनी स्थिति है यह जो 85 प्रतिशत भारत गांवों में रहता है । उसका प्रतिशत कितना कम है । हम को इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए कि हमारी अधिकांश सर्विसेज़ में अधिकांश व्यक्ति गांवों से सरकारी नौकरियों में आए । अगर मुझ को इस तथ्य को खोलने की इजाज़त दो

जाए तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वह केवल 963 परिवारों में बंटी हुई है, चाहे आई० ए० एस० हो, चाहे आई० पी० एस० हो, चाहे आई० एफ० एस० हो । हो यह रहा है उपसभाध्यक्ष जी ; मेरा एक व्यक्ति किसी अखिल भारतीय सेवा में आ गया तो मेरे परिवार से ले कर दूर के रिश्तेदार भाई भतीजे भी तर जाते हैं । इस प्रकार 963 परिवारों में सर्विसेज़ बट कर ये रह गई है । मै चाहता हूं, अगर जो बात 30 वर्षों में नहीं की जा सकी तो कम से कम आगे के लिए इस दिशा में जरूर कुछ सोचना चाहिए कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है या संघ लोक सेवा आयोग का दायरा है वह सिर्फ शहर तक सिमट कर नहीं रह जाएगा, उसका क्षेत्र गांवों में बटना चाहिए । इस बात को मैं विशेष रूप से सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए कि जो अंदरूनी क्षेत्र या राज्य हैं, उन में अधिकांश राज्य इस प्रकार के है जिन में जनता पार्टी की सरकार है । कुछ राज्य इस प्रकार के हैं जिन में कांग्रेस की सरकार है । लेकिन जितने हमारे सीमावर्ती प्रदेश है—. केरल हो, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, गोवा हो, कश्मीर हो, बंगाल हो, पंजाब हो, इन सब के अन्दर क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं । अभी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी ह जिनकी ओर केवल संकेत कर के गृह मंत्रालय का ध्यान खीचना चाहता हूं कि भविष्य के लिए इस दिशा में बहुत सावधानी बरती जाए । मैं उस बात की चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता । जो तमिलनाडु में राज्यपाल के भाषण के ऊपर प्रधान मंत्री ने संकेत दिया और यह कहा कि इन चीजों पर पहले आपस में बैठ कर कुछ विचार विनिमय हो जाना चाहिए । मैं उस बात की चर्चा भी नहीं करना चाहता जो पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री यहां पर आए और प्रदेशीय स्वायतत्ता के नाम पर गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से उनकी क्या बातचीत हुई । मैं उस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं जो पंजाब के मंत्री श्री जीवन सिंह उमराव नंगल ने पंजाब को स्वायतत्ता देने के संबंध में अधिकार पूर्वक सार्वजनिक सभा में घोषणा की है कि 2 साल के अंदर पंजाब को पूर्ण स्वायतत्ता प्राप्त हो जाएगी । उस सभा के के अंदर ही श्री जगजीत सिंह जो पंजाब प्रदेश का पहले से स्वप्न देखते रहे हैं और जिन्होंने कहा है कि हम पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, वे भी वहां थे । लेकिन सब से गंभीर बात जिसकी मै चर्चा करता हूं वह यह है कि जम्मू और काशमीर में नेशनल कांफ्रेंस की गवर्नमेंट बनी; नेशनल कांफरेंस की गवर्नमेंट बनते ही शेख अब्दुल्ला ने सब से पहले यह कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार काशमीर को अपनी कालोनी मान कर नही चले, हम को एक मोहल्ला समझ कर न चले, हमारी भी अपनी एक सत्ता है, हम भी अपनी जनता की चुनी हुई सरकार है । उसी राज्य के जो उप-मुख्य मंत्री हैं, जिन्हें शेख अब्दुल्ला ने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना है उन्होंने दूसरे दिन वक्तव्य दिया कि श्रीनगर से रावलपिडी तक की सड़क खोल दी जानी चाहिए और एक बैरियर जो लगा है उस को हटा देना चाहिए । तो यह जो सीमावर्ती राज्यो में इस प्रकार की प्रवृत्तियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, ये गृह मंत्रालय के लिये नहीं , यह जनता पार्टी के लिए नही, यह कांग्रेस पार्टी के लिए नही, बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती है । मैं यह चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

विचार करे और इन को सामान्य समझ कर छोड़ न दिया जाये। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि गृह मंत्री श्री चरण सिंह जी का एक सिद्धांत रहा है पहले से । बीच में जब पंजाब का विभाजन हुआ और जब हरियाणा अलग बना और हरियाणा ने तेजी से विकास किया तो यदि मैं चौधरी चरण सिंह जी के भाषणों को अच्छी तरह से याद रखता हूं तो उन्होंने कई भाषणों में यह कहा था कि जितने बड़े बड़े राज्य हैं देश के उन सब का ही पुनर्गठन होना चाहिए । उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष रूप से अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा था कि इस तरह का वह राज्य है कि जो अनमैनेजेबिल हो गया है और उन की प्रबंध व्यवस्था में शिथिलता आती जा रही है । मैं सोचता था कि वे उस समय एक प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । वह शायद अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में असमर्थ रहे हों । लेकिन आज वह इस देश के गृह मंत्री हैं। अब उनकी इस संबंध में क्या राय है और अब वह इस समस्या का किस प्रकार से समाधान करना चाहते हैं। भविष्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि जो उलझी हुई समस्यायें हैं उन का वे किस प्रकार समाधान करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले निर्णय हुआ था चंडीगढ़ के प्रश्न पर कि चंडीगढ़ पंजाब को जायगा और अबोहर और फाजिलका की तहसीलें हरियाणा को जायेंगी । लेकिन आज कितने ही वर्ष होने को आये, अब अगर वह सरकार निर्णय नहीं कर सकी तो कम से कम आप कोई निर्णय कीजिए । आखिर इन दो तहसीलों ने क्या क़सूर किया है और उन का क्यों विकास रुका हुआ है । अबोहर और फाजिलका की समस्या को जल्दी हल किया जाना चाहिये।

इसी तरह से सतलुज और व्यास के जल के बटवारे पर और उस जल से जो बिजली बनने वाली है उस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया था । लेकिन उस को व्यावहारिक रूप में आज तक परिणत नहीं किया जा सका । तो इस प्रकार की जो उलझी हुई समस्यायें है उन को सुलझाने के लिए हम को दृढ़ता से कदम उठाने चाहियें और इस में हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ।

भाषा का प्रश्न जो यहां उठा था और अभी जिस चीज की चर्चा श्री रबी राय जी ने की, उस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । यह जो त्रिभाषा फारमूला है इस संबंध में मेरी अपनी निजी राय यह है कि जो दक्षिण के लोग हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, केरल के, और वे लोग जो हिन्दी पढ़ते हैं उन के सामने समस्या यह है कि उन के भविष्य का क्या बनने वाला है। इसी तरह से जो उत्तर भारत के लोग हैं जो तैलगु, तमिल या मलयालम सीखते हैं उन के सामने समस्या है कि उन के उस भाषा सीखने का क्या उपयोग होने वाला है । मेरी अपनी निजी राय यह है कि जैसे सरकारी नौकरियों में कुछ प्रतिशत आप ने रखा है छोटे वर्गों के लिए, उसी तरह से मैं यह चाहता हूं कि अगर तमिलनाडु का आदमी कोई हिन्दी में एम० ए० की शिक्षा प्राप्त करता है' कर्नाटक का कोई व्यक्ति हिन्दी में एम० ए० करता है या केरल का कोई आदमी हिन्दी में एम० ए० करता है तो हिन्दी भाषी राज्यों की नौकरियों में उन लोगों के लिये कुछ प्रतिशत सुरक्षित होना चाहिए ताकि उन की शिक्षा का उपयोग हो सके । इसी तरह से अगर उत्तर भारत के राज्यों के निवासी तैलगु के माध्यम से, तमिल के माध्यम से या कन्नड़ के माध्यम से एम० ए० करते है तो उन राज्यों की सर्विसेज में उन के लिये कुछ

स्थान सुरक्षित रहने चाहिए । इससे राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी और उस के साथ साथ भाषाओं का आदान प्रदान भी बढ़ेगा । बल्कि मैं तो इस बात को और आगे बढ़ा कर श्री रबी राय और राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि यह जो त्रिभाषा फारमूला है आज यह सभी समस्याओं की जड़ बना हुआ है । इस देश में द्विभाषी फारमूला होना चाहिए । एक तो संघ की राज भाषा हो और दूसरी राज्य की भाषा । उनमें ही उनका पठन-पाठन होना चाहिए । जब तक यह तीसरी भाषा रहेगी तब तक यह दोनों भाषाओं को लड़ाती रहेगी और आपस में शत्रुता पैदा कराती रहेगी । इस चीज पर और इन बातों पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए ।

एक बात कानून और व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं । कानून और व्यवस्था की स्थिति आज दिल्ली, जो भारत की राजधानी है वहां भी बिगड़ती जा रही है । लेकिन आज स्थिति अन्यत्र भी यह है कि "हिन्दू" जो एक पत्र निकलता है मद्रास से, उसमें लिखा है कि कुछ स्कूल और कालिजों में वही पहले की ही प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो गयी हैं । पटने के कुछ विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे । वह परीक्षा देते-देते बाहर निकल आये और जहां लड़कियां परीक्षा दे रही थीं उन्होंने वहां जा कर उन लड़कियों को मजबूर किया कि वे परीक्षा हाल से बाहर निकल आयें और फिर दोनों ने मिलकर नारे लगाये जनता पार्टी के खिलाफ; कि तुम भी चोरी कर के जीते हो तो हमें भी चोरी से परीक्षा में पास होने दो । यह उस में लिखा है । तो मैं बताना चाहता हूं कि आज स्कूल और कालिजों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो रही है । रेलों में फिर बिना टिकट चलने की प्रवृत्ति चालू हो गयी है । शहरों में स्त्रियों के गले की जंजीर निकाल ली जाती है । यह सारी समस्यायें रोज बढ़ती चली जा रही हैं । एक और बात जो हरिजन समस्या के संबंध में है उस ओर भी मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

मुझे खुशी है कि जनता पार्टी गांधी जी के आदर्शों की दुहाई देती है । मैं इस चीज की चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि बेलची के अन्दर क्या हुआ, मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता कि भागलपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश मे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरठ में क्या हुआ जहां इनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है वहां की बात करता हूं । मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजी है वह रिपोर्ट क्या है ? अगर सच्चाई कबूल करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिजनों को खेतों में टट्टी फिरने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, उनको खेतों में घास नहीं खोदने दिया जाता है और जो उनकी जीविका है वह मारी गई है। मैं गृह मंत्री के नाते आपका वक्तव्य नहीं जानना चाहता, अगर सचमुच आप गांधीवादी हैं तो आपको बड़ौत के बाजार में सत्याग्रह करके बैठ जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि जब तक इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक मैं भी बैठूंगा । किस प्रकार से यह जात-पात और हरिजन समस्या का समाधान हिन्दुस्तान में होगा । जात-पात हिन्दुस्तान के लिए बुरी है, मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूं । लेकिन जात-पात को दूर करेंगे वह जो एड़ी से लेकर चोटी तक जात-पात के दल-दल में फंसे हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति को जात-पात की ओर मोड़ दिया हो, जात-पात को दूर करेंगे वे ? मेरा भी अपना एक छोटा सा सामाजिक

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

संगठन है जिसमें जात-पात का कोई स्थान नहीं। मैंने जब इस चीज को अपने भाषणों में कहना प्रारम्भ किया तो सबसे पहले मैंने अपने से प्रारम्भ किया, अपना विवाह मैंने जात-पात तोड़कर किया, अपने छोटे लड़के का विवाह जात-पात को तोड़कर किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्वयं इस दल-दल से बाहर न निकल पाये हों वह जात-पात की समस्या का क्या समाधान करेंगे? जात-पात की समस्या का समाधान करेंगे। जगजीवन राम जिन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है। जात-पात की समस्या का समाधान किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अपनी लड़की एक वैश्य को दी। जात-पांत की समस्या का समाधान किया था। महात्मा गांधी ने जिन्होंने अपने जीवन मे उसको व्यवहार करके दिखाया। जात-पात की समस्या का समाधान दिखाया है आज के प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने जिन्होंने अपने पुत्र की शादी जात-पात छोड़कर की। यह जात-पात की समस्या का समाधान है। जात-पात पर भाषण देने से काम नही होगा। जात-पात को जीवन में ढालने से काम होगा। किस तरह से वह जात-पात को जीवन में ढालते हैं और किस तरह से जात-पांत से ऊपर उठते हैं, इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं एक दो बातें और कहकर अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। एक तो यह है कि हिन्दुस्तान मे कमीशन और जांच आयोग आज तीव्र गति से बैठते हुए चले जा रहे हैं। श्रीमन्, आप इस सदन के बहुत समय से सदस्य हैं, पर शायद आपको जानकारी होगी कि मैं सदन के उन सदस्यों मे हूं जिन्होंने आपत्कालीन स्थिति के अन्दर उसका कभी समर्थन नहीं किया। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा कि दूसरे कानूनों से भी ये काम किये जा सकते हैं, इसके लिए इमरजेंसी लागू करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस को मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप जात-पात का विरोध तो करना चाहते हैं, मेरे हाथ में यह कल की इंडियन एक्सप्रैस है, उसमें आडवाणी जी को खास तौर से सुनाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के सेक्रेटरी श्री नानाजी देशमुख ने पणजी के अन्दर एक बयान दिया है कि हमने जो 9 प्रान्तों में चीफ मिनिस्टर बनाये हैं, वह हमारे नव-रत्न हैं। हमने बिहार के अन्दर एक नाई को बनाया है, यू० पी० के अन्दर एक मिल्कमैन को बनाया है। हमने हरियाणे के अन्दर एक जाट को बनाया है। अब इस तरह के वक्तव्य जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को देने चाहिएं? यह जात-पात को मिटायेंगे, ये जात-पात को समाप्त करेंगे? ये कहते हैं कि ये हमारे नव रत्न हैं। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सकता है?

आपने आज कमीशन स्थापित किये हैं। एक नहीं 10–15 कमीशन और भी हो सकते हैं तो उनको भी बनाइये जिससे सदन के सामने सच्चाई आये। लेकिन चौधरी साहब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप इंदिरा गांधी को क्या सज़ा देंगे? इंदिरा गांधी को सबसे बड़ी सज़ा हिन्दुस्तान की जनता ने दे दी, इंदिरा गांधी को तो सबसे बड़ी सज़ा मतदाताओं ने दे दी। आप इंदिरा गांधी को क्या सज़ा देंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि इन कमीशनों से, जांच आयोगों से उसके व्यक्तित्व को बिगाड़ देंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उनके व्यक्तित्व के अन्दर कुछ भी सामर्थ्य है, अगर उन्होंने प्रायश्चित किया, उन भूलों का और प्रायश्चित करके अपने को सुधारा और फिर वह सार्वजनिक क्षेत्र में आई तो आप कितने ही कमीशन, कितने ही आयोग बनाइये उनके व्यक्तित्व पर आघात नही कर सकेंगे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि आप सच्चाई को फेस करें। अगर सच्चाई को लेकर चलोगे तो एक कमीशन बनाने के लिए सदन के हरिजन

सदस्यों और दूसरे सदस्यों ने कहा और आपके सामने यहां धरणा भी दिया, सैकड़ों कमीशन बना रहे हो, एक कमीशन इन गरीबों की सहायता के लिए भी बना देते । किस तरह से इनकी दुर्दशा होती चली जा रही है उसके ऊपर आप विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अंतिम बात जिसको कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं वह यह है कि कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल बन सकता है, लेकिन सरदार पटेल बनने के लिए सरदार पटेल जैसे रचनात्मक प्रतिभा भी होनी चाहिए । सरदार पटेल कमीशन बनाकर सरदार पटेल नही बने थे, सरदार पटेल हिन्दुस्तान की 580 रियासतों को हिन्दुस्तान में विलय करके तब सरदार पटेल बने थे । अगर हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बनना है तो उसके लिए उस तरह की राष्ट्रीय परिपक्वता चाहिए । उसी तरह की विनम्रता चाहिये तब जाकर कोई इस स्थान पर आ कर बैठ सकता है । गृह मंत्रालय की कुर्सी संभालने के बाद जो जिम्मेदारी होनी चाहिये, जो उत्तरदायित्व होना चाहिये उस उत्तरदायित्व को निभायें जिससे आपकी स्थिति देश में ऊंची हो सके ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : मंत्री जी सात बजे जवाब देंगे इसलिये माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे थोड़ा-थोड़ा समय लें ।

श्री एन० पी० चौधरी : मैंने पहले कहा था कि मैं 20 मिनट से कम नहीं लूंगा । मैंने शुरू में ही यह निवेदन किया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप अपना भाषण शुरु करिये ।

श्री एन० पी० चौधरी : सबसे पहले गृह विभाग से संबंधित जो एक ज्वलंत समस्या हमारे सामने है हरिजनों के बारे में, उस बारे में मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह बहुत ही दुख की बात है कि रोज अखबारों में, संसद में, विधान सभाओं में देश में कोने-कोने में हरिजनों के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात उठाई जा रही है परन्तु हमारे गृह मंत्री के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है । दो दिन पहले की बात है इस सदन मे मांग की गई थी मैज्योरिटी की तरफ से, बहुमत में बैठे लोगों की तरफ से कि आप एक इंक्वायरी कमीशन अपाएंट कीजिए जिससे कि उन कारणों पर जांच हो सके जिन कारणों से यह हो रहा है । आप देख रहे हैं रोज-रोज हत्याएं, घर जलाना आदि-आदि होता जा रहा है । इससे लोगों में दहशत की भावना पैदा हो रही है । हरिजनों, आदिवासियों में जो एक भय का वातावरण छाया हुआ है उसमें कुछ कमी आए इस कारण से कमीशन आफ इंक्वायरी की मांग उठाई गई थी परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कमीशन मास्टर जिन्होंने कमीशन के बल पर अपने 100 दिनो तक राज चलाया है, इस बारे में कमीशन नियुक्त करने के लिये मना कर दिया.। उस मांग को अस्वीकार कर दिया । मैं श्री रबी राय की बात सुन रहा था । जो उनका काम चल रहा है जनता पार्टी की ओर से उससे ऐसा लगता है कि अगर जनता पार्टी के किसी मन्त्री को खांसी भी आ जाएगी तो शायद उसके लिये वह कमीशन नियुक्त कर देंगे परन्तु यहां हजारों, लाखों हरिजनों, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है इसका कोई असर उनके ऊपर नहीं होने वाला है । वह इस बात के लिये कमीशन नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान प्रधान मन्त्री के उस पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है जनता पार्टी की सरकार को । मोरारजी देसाई ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मन्त्रियों को जो लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जनता सरकार के लिये शर्म की बात है कि देश के कोने-कोने से हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं,

[श्री एन० पी० चौधरी]

हत्याएं हो रही हैं । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कदम नही उठाये जा रहे हैं । इतनी बड़ी चिन्ता हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने व्यक्त की है, क्यों नही समझ में आता कि जो हमारे मन्त्री महोदय चार्ज में हैं वह क्यों नहीं इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी मांग है वह उचित मांग है । उनको हरिजनों के लिये एक कमीशन नियुक्त करना चाहिये । मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं कि इस चीज को वह मानें, स्वीकार करें, हमें न्याय देने की कृपा करें । आप देखिये कि कितने ही मकान जलाये जा रहे हैं । इसके साथ-साथ कहीं-कहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि हरिजनों को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है । जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उनकी हत्या की जाती है, यह कहा जाता है कि वह नक्सलाइट हैं, जिसके पास पहनने के लिये कपड़ा नहीं है उसको नक्सलाइट कह कर मारा जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि वह नक्सलाइट कैसे हो सकता है । खाने की बात का सहारा लेकर, उसकी गरीबी की मजबूरी का सहारा लेकर, इसका फायदा उठा कर उसको नक्सलाइट कहा जाता है, और उनको मारा जाता है । यह बड़े शर्म की बात है ।

एक बात मैं यह कहूंगा कि कमीशन तो आप नियुक्त करें साथ-साथ यदि आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये तनिक भी हृदय में दर्द है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह साम्प्रदायिक दंगों को खत्म करने के लिये, उनको कम करने के लिये सामूहिक रूप से जुर्माना लागू कर दिया था उसी प्रकार से जुर्माना इसके लिये भी लागू करना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं होती हैं, जहां पर गरीब लोग मारे जाते हैं या उनके कान जलाये जाते हैं, उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । हमारे विधि मन्त्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं । मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिस क्षेत्र में या जिस गांव में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वहां पर सामूहिक जुर्माने की प्रणाली को लागू किया जाना चाहिये जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती है वहां के एस० पी० और कलेक्टर को तुरन्त ससपेन्ड किया जाना चाहिए और उनको किसी दूसरे गांव या शहर में भेज देना चाहिए ताकि इन्क्वायरी के अन्दर वे किसी प्रकार का दखल न दे सकें और निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी हो सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब घर जलाये जाते हैं तो वे गरीब लोगों के घर जलाये जाते हैं । ऐसी दशा मे सरकार का यह फर्ज है कि वह उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे और उनको कम्पेंसेशन दे । आप जानते हैं कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में या रेलवे के एक्सीडेंट में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके परिवार वालों को 50 हजार या इससे अधिक का मुआवजा दिया जाता है । लेकिन जब हरिजन इस प्रकार से मारे जाते हैं तो उनको कुछ भी नही दिया जाता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से किसी हरिजन भाई या आदिवासी की हत्या की जाती है तो उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि यह मुआवजा कम से कम 50 हजार रुपयों का दिया जाना चाहिए ।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि केरल के अन्दर राजन के मामले में सत्ता का परिवर्तन हो गया । फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मत्यु हो गई तो उसके लिए कमीशन एपाइन्ट हो गया । हिमाचल प्रदेश में मिस श्यामा शर्मा की घटना के ऊपर कमीशन एपाइन्ट हो गया । छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कमीशन एपाइन्ट किये जा रहे हैं । लेकिन सैकड़ों हरिजन मारे जाते है उनके लिए कोई कमीशन नहीं बैठाया जाता है ।

यहां पर गृह मन्त्री जी बैठ हुए है । उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा के अन्दर इसी प्रकार की एक घटना होने वाली है जिसकी शुरूआत हो चुकी है । पिछले तीन दिनों से मैं गृहमन्त्री जी को फोन करता आ रहा हूं, लेकिन मैं उनसे भेंट नहीं कर पा रहा हूं । उनके पी० ए० को मैं अनेक बार फोन कर चुका हूं, लेकिन चौधरी साहब से भेंट करने का मौका नही मिल रहा है । लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मथुरा के अन्दर बेलची काण्ड की तरह का काण्ड होने वाला है । मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार किये जाते हैं या जो उनके मामले होते हैं उनको टाला जाता है । नौकरियों में उनके लिए जो स्थान रिजर्व होते हैं उनको पूरी तरह से भरा नहीं जाता है । हरिजनों का नौकरियों के अन्दर जो अनुपात है वह यह है कि क्लास-3 में उनका प्रतिशत 11.31 है, क्लास-2 में 4.41 प्रतिशत है और क्लास-1 में शेड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 3.46 है । इस प्रकार के ये आंकड़े हैं जबकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15 प्रतिशत स्थान रिजर्व होने चाहिए । मैं नहीं जानता कि इस बारे में मन्त्री महोदय क्या जवाब देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए उपाय किये जाने चाहिए । आज हरिजनों की सोशियो-इकनोमिक डेवलपमेंट की बात कही जाती है और उनके उत्थान की बात कही जाती है । लेकिन हमारे देश में कमजोर वर्ग का अभी तक कोई खास उत्थान नहीं हुआ है, बल्कि यदि मैं यह कहूं कि उन पर अत्याचार ज्यादा बढ़ गये हैं तो गलत नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि हरिजनों के आर्थिक उत्थान के लिए कदम उठाये जाने चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के बारे में जितना भी कहा जाये उतना कम है । आज हमारे देश में स्थिति यह है कि जिन लोगों के हाथ में ला एण्ड आर्डर है वही उसको तोड़ते हैं । कानून व्यवस्था को भूल जाते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस विभाग में मिलता है । आप चाहे जहां जाइये इनके द्वारा छोटे-छोटे लोगों को पीटा जाता है, सड़कों पर उनको पीटा जाता है, इंक्वायरी के समय उन पर थर्ड डिग्री मेथर्ड का उपयोग किया जाता है । आज हमारा देश जब स्वतन्त्र है, तब भी किस तरह का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ किया जा रहा है । यह सब चीजें आपको देखनी चाहिए । उपसभाध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री एन० पी० चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं ।

जैसा कि यहां पर कहा जाता है, यदि इस देश में हरिजनों और आदिवासियों को आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि माननीय गृह मन्त्री महोदय पुलिस की सर्विस में आप कम से कम 50 प्रतिशत जगह हरिजनों और आदिवासियों को दें जिससे उनको रोजी रोटी का जरिया भी मिल सके और साथ ही साथ वे अपने दूसरे लोगों की सुरक्षा भी कर सकें । मैं आप से ए: यह बात कर रहा था कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : अब आप समाप्त करें । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बैठ जाइये आपने काफी समय ले लिया ।

श्री एन० पी० चौधरी : जितना समय आप घंटी बजाने में व्यर्थ करेंगे, उतने में मैं बोल लूंगा । (Time bell rings) मुझे पांच मिनट और दिया जाये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : इतना समय दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री एन० पी० चौधरी : 3 या 5 मिनट का समय दिया जाय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : एक मिनट आप बोल सकते हैं । (*Inter-ruption*) कृपया सदस्यगण शान्त रहें ।

श्री एन० पी० चौधरी : मैं गृह मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि देश में महंगाई किस तरह से बढ़ रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव :) आप आसन ग्रहण कीजिये ।

श्री एन० पी० चौधरी : मन्त्री महोदय के महत्व की बात है । उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि व्यापारी लोग नाजायज फायदा न उठा सकें और महंगाई को कम किया जा सके ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप आसन ग्रहण कीजिये ।

श्री एन० पी० चौधरी : अधूरा भाषण रह जायेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : श्री सयद मोहम्मद हाशमी ।

شری سید احمد هاشمی (اتر پردیش) : ڈپٹی چیرمین صاحب - وزارت داخلہ ایک ایسی وزارت ہے جس کا تعلق ملک کے شہریوں کی زندگی کے تقریباً تمام ہی شعبوں سے ہے - خصوصیت کے ساتھ جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ اس کی بڑی اور اہم بنیادی ذمہ داری ہے اس لئے ملک کے ہر شہری کی نگاہیں وزارت داخلہ کی کارکردگی کی طرف لگی ہوئی ہیں- لیکن افسوس ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں وزارت داخلہ کی کارگردگی مشتبہ ہو گئی ہے - لا اینڈ آرڈر کی طرف سے بے اطمینانی نے پورے ملک میں بےچینی اور خوفزدگی کا ماحول پیدا کو دیا ہے - چوری ڈکیتی اغوا قتل و غارتگری اور جرائم کی تعداد میں انارکی کی حد تک اضافہ ہوا ہے - یونیورسٹیوں اور کالجوں کے کیمپس میں لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے - اخبارات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پورے ملک میں نراج پھیلا ہوا ہے - یہ تشویش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجرموں کو کھلی چھوٹ ہے اور انہیں ایک طرح سے سرپرستی حاصل ہے- خود دلی اس ملک کا دارالسلطنت جرائم کا مرکز بن گیا ہے -

عام حالت یہ ہے کہ مظلوموں کی دادرسی کی بات تو الگ رہی مظلوموں کی صحیح رپورٹ ہی نہیں درج کی جاتی بلکہ بعض جگہوں پر تو سرے سے رپورٹ ہی

اور ہماری ہوم منسٹری ہے - جو واقعات کی تحقیقات کے لئے کمیشن کے قیام تک پر بنیاد نہیں ہے - ایک ڈاکو کے مرنے پر اس ملک میں کمیشن قائم ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑے پولیس آفیسر تک گرفتار اور ذلیل کئے جا سکتے ہیں - لیکن انسان زندہ جلا دیئے جائیں ہریجنوں کمزور اقلیتی طبقہ پر مظالم ہوں تو انہیں انصاف نہیں مل سکتا ان کے لئے ایک کمیشن نہیں قائم ہو سکتا - ابھی آج کی رپورٹ ہے کہ یو پی اسمبلی کے اندر ہے خود جنتا پارٹی کے ممبر نے الزام لگایا ہے کہ رام نگر جو گورکھپور کا ایک گاؤں ہے اس کے اندر میں بیلچی جیسا واقعہ ہوا ہے اور اس کے اندر پولیس شامل ہے - افسوس کی بات ہے ملک کے مختلف حصوں میں ہریجنوں پر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں - کمزور - پسماندہ اور اقلیتی طبقوں کے دل دہلے ہوئے ہیں - ڈلندر کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے نہ آتا ہو لیکن ہوم منسٹری شرم ناک حد تک بے حس ہے کہ وہ مظلوموں کی دادرسی کے لئے ایک کمیشن تک کو برداشت نہیں کر سکتی البتہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اس اذیت پسندی سے دل چسپی ہے کہ وہ اس ملک کی عظیم تاریخ رکھنے والی اردو زبان کے خلاف بیان دے کر

درج نہیں کی جاتی - پچھلے مہینہ ۱۷ اور ۱۸ جون کو کوٹہ بوندی میں ایک فرقہ وارانہ جھگڑے میں بھی اسی طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے کہ مظلوموں کی کوئی رپورٹ درج نہیں کی گئی بلکہ اقلیتی فرقہ کے پانچ چھ نوجوانوں کو گرفتار کرکے ان کی ضمانتیں بھی نہیں لی گئیں - حد یہ ہے کہ بلوائیوں کے ساتھ پولیس بھی شامل رہی اور ایک اقلیتی فرقہ کے معزز شخص کے بلواگیوں کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد بھی پولیس کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہور اب تک مجرموں کو نہیں پکڑا گیا - اس کے برعکس اقلیتی فرقہ کے ایک شخص کی ضمانت ابتک نہیں ہوئی - میں نے بذریعہ خط اور تار وزیر داخلہ کو صورت حال کی اطلاع دی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک مجھے اس کی رسید بھی نہ مل سکی -

لا اینڈ آرڈر کی اس ظالمانہ چشم پوشی اور بے نیازی کے باعث فرقہ وارانہ اور ذات پات کے رجحانات کو ملک میں تقویت ملی ہور فرقہ وارانہ ذات وادی نکویت کے حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے -

بیلچی کے مظلوم شہیدوں کے خون نا حق پر آج پورے ملک کا سر شرم سے جھک گیا ہے - لیکن غیرت کسی کو نہیں آتی تو وہ ہماری وزارت داخلہ

[شری سید احمد ہاشمی]

اور اپنی نفرت کا اظہار کرکے ملک کی اس لسانی اکائی کے دلوں پر چرکے لگائیں جس نے اس ملک کی آزادی کے لئے قربانی دی ہے - میں کہتا ہوں ہندوستان کی جنگ آزادی کی تصویر اردو کو نظر انداز کرکے کر کمل نہیں ہو سکتی - میں اعلان کرتا ہوں کہ اس اذیت پسندی اردو کا دوست بھر پور مقابلہ کرینگے اور اردو زبان اور اردو تہذیب کو اس ملک میں فنا نہیں ہونے دیں گے - اردو کی آبرو اور اس کی زندگی کے لئے ہم ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں -

میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہریجنوں - کمزور طبقوں اور اقلیتوں پر کسی بھی ظلم - بربریت - دہشت پسندی اور غارتگری کے خلاف پوری قوت سے آواز اٹھائینگے اور اگر ضرورت پڑی تو اس کے خلاف ہم سول نافرمانی سے بھی دریغ نہیں کرینگے -

مسٹر ڈپٹی چیرمین — مجھے افسوس ہے کہ آج سروسیز کو پالیٹیکلائز کر دیا گیا ہے سروسیز کو سیاسی بنا دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں سیکریٹریز کے تبادلے کئے جا رہے ہیں - میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ پچھلی حکومت کی پالیسی کے مطابق کام کیا تھا اگر ان کا یہی جرم ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کس جرم کی پاداش میں انہیں الگ کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار تو ایک ایسا رویہ ایک ایسی کنونشن بن جائیگا کہ پھر ملک کے اندر سروسیز کا کوئی احترام اور وقار نہیں رہ جائیگا اور کوئی ایمانداری سے کام نہیں کر سکتا - کیونکہ اسے اپنی بات کہنے کا خوف ہوگا کہ پتہ نہیں دوسری گورنمنٹ اگر آئیندہ آئی تو اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا انتقام لے گی - کیسا سلوک وہ کریگی - یہ انتقام کی پالیسی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے - آج یہاں سینٹر کے اندر کوئی سیکریٹری سکھ نہیں ہے کوئی ہریجن سیکریٹری نہیں ہے دو ایک مسلمان تھے ان کو بھی آج یہاں سے نکالا جا رہا ہے - الزام یہ ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں — فضل گئے - برنی گئے اور اب بت جا رہے ہیں - آفا ریٹائر ہو رہے ہیں - ایک ہریجن اسپیشل سیکریٹری تھے اس کو بھی چھٹی دے دی گئی ہے - میں نہیں سمجھتا یہ شکل کس حد تک اس ملک کے لئے مفید ہو سکتی ہے - اس ملک کے انٹرسٹ کے اندر ہو سکتی ہے اور دل چسپ حیرت کی بات یہ

شری سید احمد هاشمی : بهر حال

میں آپ کے حکم کا پالن کرتا هوں لحاظ کرتا هوں لیکن حقیقت یه هے که هوم منسٹری کی کارکردگی ایک ایسی کارکردگی هے جس کے اوپر عام شهریوں هندوستان کے اور ملک کے شهریوں کو بهروسه نهیں رہ گیا هے کوئی اطمینان نهیں رہ گیا هے آج کسی بهی شهری کو اطمینان نهیں هے که وہ اپنے گهر زنده واپس آ سکے گا یا نهیں - نه همارے هونهار طلبا کو یه امید هے اور نه طالبات کو یه امید هے اور نه کسی شهری کو یه امید هے - میں سمجهتا هوں که یه صورت حال کسی ملک کے لئے مفید نهیں هو سکتی هے - اس پر نظر ثانی کرنی چاهئے اور صورت حال کو بدلنے کی کوشش کرنی چاهئے -

†श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : वज़ारत दाखला---एक ऐसी वजारत है जिसका ताल्लुक मुल्क के शहरियों की जिन्दगी के तकरीबन तमाम ही शोबों से है । खसूसियत के साथ जान व माल और इज्जत व आबरू का तहफ्फज़ इसकी बड़ी और अहम बुनियादी जिम्मेदारी है । इसलिये मुल्क के हर शहरी की निगाहें वज़ारत दाखला की कारकर्दगी की तरफ लगी हुई हैं---लेकिन अफसोस है कि पिछले चन्द महीनों में वज़ारत दाखला की कारकर्दगी की मुश्तहैया हो गई है---ला एण्ड आर्डर की तरफ से वे इत्तमानी ने पूरे मुल्क में बेचैनी और खौफजदगी का माहौल पैदा कर दिया है । चोरी, डकैती अवान कत्ल व गारतगरी और जरायम की

†[ ] Devanagri transliteration.

هے که یه ترانسفر کسی اصول کی بنا پر نهیں کئے گئے هیں هر ایک فیصله ایڈ هاک فیصله کیا گیا هے اور ان اهم آفسروں کا تبادله هر چیز سے بے پرواه هو کر کیا گیا هے - اگر اس طریقه سے تبادلے هوتے رهے تو پهر کوئی آفیسر یا کوئی کارکن حکومت کا ایمان‌داری کے ساتهه کام نهیں کر سکتا -

میں ایک بات اور عرض کرنا چاهتا هوں که هریجن - مسلمان - سکهه عیسائی اور دوسری اقلیتیں اس ملک کی مقدس امانت هیں - ان پر چهری تیز کرکے اور ان سے نا انصافی کرکے جنتا حکومت اپنی عزت نهیں بڑها سکتی -

همیں افسوس هے که ناگالینڈ کی وہ اهم سرحدی ریاست جهاں ضرورت هے امن و امان کی اور استحکام کی لیکن آج وهاں هماری حکومت ان طاقتوں کی همت افزائی کر رهی هے -

جو وهاں پر بغاوت پهیلاتے رهے هیں جو وهاں انارکی پهیلاتے رهے هیں اور ان حالات میں همارا ملک ایسی صورت حال سے دو چار هو سکتا هے جس کے اندر امن نام کی چیز نه رہ جائے -

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : हाशमी साहब आप समाप्त करें ।

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

तादाद में अनारकी की हद तक अज़ाफा हुआ है। यूनिवर्सिटियों और कालेजों के कैम्पसों में ला कानूनियत बढ़ती जा रही है। अखबारात को देखने के बाद यह अन्दाज़ा होता है कि पूरे मुल्क में निराज फैला हुआ है। यह तशवीश इस वक्त और बढ़ जाती है जब यह देखा जाता है कि मजमुओं को खुली छूट है और इन्हें एक तरह से सरपरस्ती हासिल है—खुददिली इस मुल्क का दारुलसल्तनत जराइम का मरकज़ बन गया है।

आम हालत यह है कि मज़लूमों की दादरसी की बात तो अलग रही मज़लूमों की सही रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की जाती बल्कि बाज़ जगहों पर तो सिरे से रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती। पिछले महीनों 17 और 18 जून को कोटा बूंदी में एक फिरकावाराना झगड़े में भी इस तरह का वाकाह सामने आया है कि मज़लूमों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई बल्कि अकलीती फरका के पांच छः नौजवानों को गिरफ्तार करके इनकी जमानतें भी नहीं ली गईं। हद यह है कि बलवाइयों के साथ पुलिस भी शामिल रही और एक अकलीती फिरका के मुअज़िज़ शख्स के बलवाइयों के हाथों मारे जाने के बाद भी पुलिस के रवैये में कोई तबदीली नहीं हुई और अब तक मजूमों को नहीं पकड़ा गया। इसके बरअक्स अकलीती फिरका के एक शख्स की जमानत अब तक नहीं हुई। मैंने बज़रिया खत और तार वजीर दाखला को सूरतेहाल की इत्तलाह दी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक मुझे इसकी रसीद भी नही मिल सकी।

ला एण्ड आर्डर की इस जालमाना चश्म-पोशी और बेनियाज़ी के आइश फिरका वाराना और ज़ातपात के रुझानात को मुल्क में तकवीयत मिली और फिरका दाराना, ज़ातवादी नौइयत के हादशात में भी इज़ाफा होने लगा है।

बेलची के मजलूम शहीदों के खून नाहक पर आज पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया है—लेकिन गैरत किसी को नहीं आती तो वह हमारी वरजात-ए-दाखला और हमारी होम मिनिस्ट्री है—जो वाकयात की तहकीकात के लिये कमीशन के कयाम पर तैयार नहीं है। एक डाकू के मरने पर इस मुल्क में कमीशन कायम हो सकता है और बड़े से बड़े पुलिस आफिसर तक को गिरफ्तार और ज़लील किया जा सकता है लेकिन इन्सान जिन्दा जला दिये जायें हरिजनों, कमज़ोर और अकलीती तबका पर जुल्म हों तो इन्हें इन्साफ नहीं मिल सकता इनके लिए एक कमीशन नहीं कायम हो सकता। अभी आज की रिपोर्ट है कि यू० पी० असेम्बली के अन्दर खुद जनता पार्टी के मेम्बर ने इल्जाम लगाया है कि राम नगर जो गोरखपुर का एक गांव है उसके अन्दर भी बेलची जैसा वाका हुआ है और उसके अन्दर पुलिस शामिल है। अफसोस की बात है मुल्क के मुखतलिफ हिस्सों में हरिजनों पर मज़ालम बढ़ते चले जा रहे हैं—कमज़ोर, पसमान्दा और अकलीती तबकों के दिल दहले हुए हैं। कलैण्डर का कोई दिन ऐसा नही जाता जिसमें इस तरह का कोई न कोई वाका हमारे सामने न आता हो लेकिन होम मिनिस्ट्री शर्मनाक हद तक बेहस है कि वह मजलूमों की दादरसी के लिए एक कमीशन तक को बरदाश्त नहीं कर सकती अलबत्ता हमारे होम मिनिस्टर साहब की इस अज़ीत पसन्दी से दिलचस्पी है कि वे इस मुल्क की अज़ीम तारीख रखने वाली उर्दू जबान की खिलाफ बयान देकर और अपनी नफरत का इज़हार करके मुल्क की इस लसानी इकाई के दिलों पर चरके लगायें जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिये कुरबानी दी है मैं कहता हूं हिन्दुस्तान की जंग आज़ादी की तस्वीर उर्दू को नज़र अन्दाज़ करके हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं ऐलान करता हूं कि इस अज़ीत पसन्दगी का उर्दू दोस्त भरपूर मुकाबला करेंगे और उर्दू जबान और उर्दू तहज़ीब को इस मुल्क में फना नहीं होने देंगे

उर्दू की आबरू और इसकी जिन्दगी के लिये हम हर कुरबानी देने के लिए तैयार हैं ।

मैं यह भी ऐलान करना चाहता हूं कि हरिजनों--कमजोर तबकों और अकलीतों पर किसी भी जुल्म, बर्बरीयत दहशत पसन्दगी और गारतगरी के खिलाफ पूरी कौत से आवाज़ उठायेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ हम सोल नाफरमानी से भी दरीग नहीं करेंगे ।

मिस्टर डिप्टी चेयरमैंन--मुझे अफसोस है कि आज सरविसेज को पालिटिकलाइज कर दिया गया है--सरसव्ज़ को सियासी बना दिया गया है और यही वजह है कि आज बहुत बड़ी तादाद में सेक्रेटरीज़ के तबादले किये जा रहे हैं। मै नहीं समझता कि अगर इनका जुर्म यही है कि इन्होंने पिछली गवर्नमेट, पिछली हकूमत की पालिसी के मुताबिक काम किया था अगर इनका यही जुर्म है तो मैं नहीं समझता हूं कि किस जुर्म की पादाश में इन्हें अलग किया जा रहा है यह तरीके-ए-कार तो एक ऐसा रवैया, एक ऐसी कनवेंशन बन जायेगी कि फिर मुल्क के अन्दर सर्विसिज कोई अहतराम और वकार नहीं रह जायेगा और कोई इमानदारी से काम नही कर सकता--क्योकि उसे अपनी बात कहने का खोफ होगा कि पता नही दूसरी गवर्नमेंट अगर आइन्दा आई तो इसके साथ क्या इन्तकाम लेगी । और उसके साथ कैसा सलूक से वह करेगी --यह इन्तकाम की पालिसी बड़ी अफसोस और दुःख की बात है । आज यहां सेन्टर के अन्दर कोई सेक्रेटरी सिख नही है कोई हरिजन सेक्रेटरी नही है दो एक मुस्लमान थे उनको भी आज यहां से निकाला जा रहा है । इल्जाम यह है कि इन पर कोई इल्जाम नहीं--फजल गर्ये --बर्नी गर्ये और बट जा रहे हैं--आगा रिटायर हो रहे हैं । एक हरिजन स्पेशल सेक्रेटरी थे उसको भी छुट्टी दे दी गई है । मैं नहीं समझता यह शक्ल किस हद तक इस मुल्क के लिये मुफीद हो सकती है । इस मुल्क के इन्ट्रेस्ट के अन्दर हो सकती है और दिलचस्प हैरत की बात यह है कि यह ट्रांसफर किसी असूल की बिना पर नहीं किये गये है । एक फसला एडहाक फैसला किया गया है और इन अहम आफीसरों का तबादला हर चीज से बेपरवाह होकर किया गया है। अगर इसी तरीके से तबादले होते रहे तो फिर कोई आफीसर या कोई कारकून हकूमत का ईमानदारी के साथ काम नही कर सकता ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजन, मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरी अकलीतन इस मुल्क की मुकद्स अमानत हैं--इन पर छुरी तेज करके और इन पर नाइनसाफी करके जनता हकूमत अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकती ।

हमें अफसोस है कि नागालैण्ड की वे अहम सरहदी रियायत जहा जरूरत है अमन व अमान की ओर इस्तहकाम की लेकिन आज वहां हमारी हकूमत उन ताकतों की हिम्मत अफजाई कर रही है । जो वहां पर दगावत फैलाते रहे है जो वहां अनारकी फैलाते रहे हैं और उन हालात में हमारा मुल्क ऐसी सूरत हाल से दो चार हो सकता है जिसके अन्दर अमन नाम की चीज न रह जाये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : हाशमी साहब आप समाप्त करें ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : बहराहाल मै आपके हुकम का पालन करता हूं, लिहाज करता हूं लेकिन हकीकत यह है कि होम मिनिस्ट्री की कारगर्दगी एक ऐसी कारर्गदगी है जिसके ऊपर आम शहरियो हिन्दुस्तान के और मुल्क के शहरियों को भरोसा नहीं रह गया है, कोई इत्तमिनान नही रह गया है आज किसी भी शहरी को इत्तमीनान नही है कि वह अपने घर जिन्दा वापस आ सकेगा या नहीं । न हमारे होनहार तबका को यह उम्मीद है और न तालबात को यह उम्मीद है और न किसी शहरी को यह उम्मीद है । मैं समझता हूं कि यह सूरत हाल किसी मुल्क के लिये

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

मुफीद नही हो सकती है । इस पर नजरशानी करनी चाहिये और सूरत हाल को बदलने की कोशिश करनी चाहिए ।]

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to say that I am a new comer to this august House and I am making a maiden speech. I, therefore, pray for the indulgence of this House and request the hon. Members to give me a patient and sympathetic hearing.

After having heard serveral hon'ble Members about the working of the Home Ministry, I also feel very much concerned about the unsatisfactory way the Ministry is working in this country. No doubt the concern expressed is very much true. At this moment, all that I would like to say however is that I agree with what has been said on the floor of the House but I want to highlight one important point so that the hon. Minister for Home Affairs could take connizance of what I say and take necessary action.

As you know , Sir, under article 341 of the Constitution of India, certain castes of Hindu community are specified as Scheduled Castes. Similarly, under article 42, some communities are scheduled as Tribes so that the Government of India and the State Governments could make special afforts for the development of these communities. The Schedules are drawn-up by Presidential Orders of 1950 and they are in respect of the Scheduled Castes, the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 and in the case of Tribes, it is called the Constitutional (Scheduled Tribes) Order. But since then several attempts have been made by the voiceless people of the this country—specially the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other under-dog—to have some other similarly placed communities included in such lists, so that their development could be brought about a speedily as possible. Unfortuntely, action was not taken readily in the past. The Government of India, however for the first time, thought in the year 1964 or 1965 to appoint a Committee called the Lokur Committee to report on this problem. The Lokur Committee went round the country and made a very effective enquiry as to who should be included in such lists and who should be excluded from such lists. And on the submission of that report, the Government of India, after considering several proposals, came forward to introduce a Bill, called the Scheduled Caste Scheduled Tribes (Amendment Order) Bill, 1967. This bill was introduced actually in the Lok Sabha on the 12th August, 7 P.M. 1967. But somehow or other there was a lot of controversy about this Bill with the result that the matter was referred to a Joint Committee of both the Houses headed by Mr. Chanda, Member of Parliament. This Committee, after going through all aspects of the problems, submitted its Report in 1969 together with a draft Bill. The principles laid down in that Report, in my honest opinion, were very well considered and are of a very sound type. For instance, on the question as to who should be in the list of Scheduled Castes, the Committee said that in such cases untouchability should be the main criterion, as regards Scheduled Tribes they said that clanishness of the people or habitat in jungle, etc., should be the criterion. Based on this, a Bill was prepared but, unfortunately, when the Bill was taken up for consideration, in 1970 the Lok Sabha was dissolved and subsequently the Bill also lapsed. Since then several attempts have been made again to see that such an important matter was discussed and some suitable action was taken so that millions and millions of people in this country could be benefited. And with that object in view the Government of India tried to bring forth a Bill but there was again some sort of opposition from some quarters. However, in 1976, the Government of India, with a view to re-

moving certain restrictions, called area restrictions, brought fourth a Bill called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill, 1976 and it has been passed by Parliament and has also received the assent of the President. That was on 3rd September, 1876 but since then no further action was taken to the misfortune of millions of people to enforce the Act. If you go through the proceedings of this House it would be found that people who would be affected would be to the tune of six to seven millions in this country. This Bill aims at removal of area restrictions in the sense that in a particular area of a State if one community is considered as a Scheduled Caste, it is not so considered in other parts of the State. Similarly, in the same State the same community is considered as Scheduled Caste whereas in other parts it is called a Scheduled Tribe. In order to remove all such anomalies the area restriction was removed and a community which was considered as a Scheduled Caste in one part began to be called a Scheduled Caste in the whole of the State. But, unfortunately, though nearly a year has lapsed, this Act has not been enforced by the present Government. I therefore urge the hon. Minister for Home Affairs kindly to take into consideration this aspect of the problem and as I myself come from one of such Tribes, I have known the agonies of the student world belonging to this community who are undergoing hardships for want of scholarships, for want of establishment of suitable hostels, for want of books and so on. I, therefore request the Hon. Minister through you, Sir, to see that this Act is enforced at a very very early date.

With these words, Sir, I have done.

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मित्रों ने सवाल उठाये हैं अगरचे उन में से बहुत से दोहराये गये हैं लेकिन फिर भी उन की तादाद इतनी है कि अगर मैं सब का तफसील से जवाब देना चाहूं, जैसा कि मैं अक्सर कोशिश करता हूं, तो उसमें दो घंटे लग सकते है । मैं समझता हूं कि उससे देर भी हो जायगी सभी लोगों को यहां से जाने में (*Interruptions*) और इसके अलावा मेरी तबियत भी अच्छी नहीं है इस लिये मैं केवल घंटे भर में जवाब देने की कोशिश करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं जवाब देना शुरू करूं मैं अपने इस दु:ख का इजहार करना चाहता हूं . . .

SHRI JANARDHANA REDDY: Sir, since the Minister is not well, he can reply when he is well.

AN HON'BLE MEMBER: It is not possible.

श्री चरण सिंह : मैं जानता हूं कि हमारे माननीय दोस्त इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होंगे, लेकिन कोशिश की गयी है मुझ पर व्यक्तिगत आक्रमण करने की । श्रीमन् डी० पी० सिंह जी इस समय मौजूद नही है, उन्होंने बराबर जिस तरह से 'The hon. Minister is an honourable man' आदि कहा, वह कहने का एक ढंग है, गाली देने का । वर्मा जी इस समय पता नहीं, मौजूद ह या नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और बाद में कहा कि बाहर न मालूम आप की बाबत क्या क्या बातें कही गयी हैं । अगर हिम्मत होती तो यहां कहते और उस को साबित करने की कोशिश करते । इसी तरह मुझे माफ करेंगे, मेरे साथी रह चुके हैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री, उनसे भी जितना हो सकता था मेरे पर एक पर्सनल अटैक किया है । मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं, ऐसा मेरा ख्याल है । (*Interruption*) सुनिये । अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं जवाब देने का बहुत उत्सुक नहीं हूं । आप अटैक करें और मैं प्रोटेस्ट भी न करूं और आप सुनने को भी तैयार न हों तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां अपनी तादाद के ज्यादा होने का अनुचित लाभ उठाना चाहते हो ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : नहीं हम सुनना चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझ को यह कहने का हक है कि बजाय मेरिट्स पर एक चीज को कहने के मेरी पर्सनैलिटी को इस में लाने की कोशिश की गयी है और जब मैं ने प्रकाशवीर शास्त्री जी का जिक्र किया तो प्रोटेस्ट हुआ । इस तरह से सरदार पटेल नहीं बन सकते हो । किस ने कहा सरदार पटेल बनने के लिये । अगर कुछ अखबारों ने लिख दिया तो उस के लिये आप मुझ पर इल्जाम लगा कर कहे तो यह कहां तक मुनासिब है । विनम्रता से रहना चाहिये । यह भी पर्सनल अटक है । ठीक है, अगर आप को शोभा देता है तो आप कहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से डिबेट किसी पार्लियामेट में या पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन्स में होती नहीं । पार्लियामेंट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिस का मतलब है टांकिंग प्लेस । एक बात करने की जगह और बात करने की पहली शर्त यह है कि आप दूसरे व्यक्ति की नीयत पर हमला न करें । चाहे आप को विश्वास भी नहीं उन की नेकनीयती पर, लेकिन जिस समय तकरीर हो तो कम से कम उस की नीयत पर हमला न करें । क्योंकि अगर नीयत पर हमला किया और दूसरे ने प्रतिक्रिया में कुछ कहा और आप ने और सख्त लफ्ज कहे तो बजाय टांकिंग प्लेस के वह फाइटिंग प्लेस हो सकती है । तो पहली शर्त पार्लियामेंटरी डिबेट्स की यह है । लेकिन मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यह नोट कर रहा हूं कई दिनों से कि बराबर कोशिश यह है कि पर्सनल अटैक किया जाय । हो सकता है कि मेरे इतना कहने से भी कुछ साहबान को चोट पहुंची हो । मैं उस के लिये माफी चाहता हूं ।

अब जैसा कि मैं ने कहा मुख्तसर में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा । पहली बात यह कही गयी और ठीक है, कहना चाहिये थी कि पुलिस के जो मेथड्स हैं इंवेस्टीगेशन के, तहकीकात के जो तरीके हैं उन में सुधार होना चाहिए । मैं तसलीम करता हूं । जिन लोगों पर भी जिम्मेदारी इस की रही है और खास तौर से पार्लियामेंट के मेम्बरान पर, जिन पर सीधी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की वह आज से नहीं, अनेक वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि यह होना चाहिए । लेकिन यह किस प्रकार हो । क्या इस में कोई दो राय हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, माननीय श्याम लाल जी ने यही कहा था जब उधर से बोल रहे थे कि पुलिस का तरीका सुधरना चाहिए । तो कोई तो बताता कि वह किस तरह से किया जाय मुझ से कहने की क्या बात है । सवाल यह है कि कोई रचनात्मक या तामीरी सुझाव दें तो उस से कोई फायदा हो सकता है । पहली बात तो यह है कि जो साइंटिफिक एड्स हैं इंवेस्टीगेशन के लिये उन के लिये कितने रुपयों की जरूरत होगी और क्या यह सदन या जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वह उतना रुपया दे सकते हैं पुलिस के लिये और उन अप्लायेंसेज के लिये उन ऐड्स के लिये । साइंटिफिक तरीकों की बात तो अलग है, आज जो 80 परसेंट कांस्टीबिल्स हैं उन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं । सब-इंस्पेक्टर्स के पास मकान नही है । उन के पास बेहिकिल्स नहीं है । सारे थानों में टेलीफोन्स नहीं है । तो उनकी कठिनाइयां अनेक हैं ।(*Interruptions*) जिस वक्त पुलिस में खामियां बयान करता हूं तो उसे सुनिये । लेकिन इस बात को दृष्टि में रखकर सोचें कि उनकी हालत में अगर दूसरा आदमी हो, हम हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उससे बेहतर कर सकता है ।

(*Interruption*)

श्री एन० पी० चौधरी : थर्ड डिग्री इंवैस्टिगेशन मैथ्ड्स को आप समर्थन देते हैं ?

श्री चरण सिंह : जी नहीं । मैं समर्थन नहीं देता हूं, मैं उसे कंडम करता हूं । लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब आप थर्ड डिग्री मथ्ड्स को कंडम करते है तो अगर चार महीने में कोई थर्ड डिग्री मैथ्ड्स हुए हैं तो मेरी नोटिस में लाइये और कंडम

कीजिए, लेकिन जो थर्ड डिग्री मैथ्ड्स दो साल मे हुए है उनको भी कंडम कीजिए।

(Interruption)

शान्ति से सुनो। थोड़ी सी शान्ति होनी चाहिए। मैंने केवल यह कहा है कि थर्ड डिग्री मैथ्ड्स का मैं हामी नहीं, अगर थर्ड डिग्री मैथ्ड्स चार महीने की तरफ इशारा करते हो तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक ईमानादरी का तकाज़ा यह है कि पहले तो थर्ड डिग्री मैथ्ड्स हुए उनको भी कंडम कीजिए। यह कहकर कि आप थर्ड डिग्री मैथ्ड्स की हिमायत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि चार महीने में थर्ड डिग्री मैथ्ड्स हुए हैं और पहले नहीं हुए। उनको कौन भला आदमी कर सकता है ? आप कुछ व्याख्यान दीजिए सारा सवाल यह है कि आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं साइंटिफिक मैथ्ड्स अप्लायेंसेज और सहूलियतें जो है जिनसे पुलिस बेहतर काम कर सके उसके लिए फंड्स हम नहीं दे सकते हैं। जो स्काटलैंड यार्ड को ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है वह हम नहीं दे सकते हैं। जो फेडरल ब्यूरो आफ इंवैस्टिगेशन को अमरीकन गवर्नमेंट दे सकती है वह फंड्स हम नहीं दे सकते। इस सिलसिले में और बातें कही जा सकती है। मैंने लोअर हाउस में, लोकसभा में कहा था कि पुलिस को कितने अधिकार होने चाहिए जो दूसरे देशों में हैं। इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैंने लोकसभा में और बाहर भी कह चुका हूं कि हमने एक पुलिस कमीशन नियुक्त करने का इरादा किया है। 10–12 दिन में उसकी नियुक्ति हो जाएगी। हम उसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। 10–20 या 11 आदमियों का नहीं बनाना चाहते बल्कि मेरी अपनी राय तो यह है कि दो रिटायर्ड पुलिस आफिसर हों उसमें हाइयेस्ट पासिबुल इंटिग्रिटी और एबिलिटी के और एक क्रिमिनल लायर हो और वह लायर भी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाला नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसको पुलिस के तरीकों का जाती तजुर्बा हो, इस तरह का मेरा विचार है। लेकिन यह मेरा विचार है, हो सकता है कि पांच से ज्यादा हमको करने पड़ें लेकिन वह पांच से ज्यादा किसी सूरत में नही होंगे। कहने के लिए तो आसान होता है, लेकिन उनको यह कहना कि फलां व्यक्ति हो वह असान बात नही होती है। इसके अलावा उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हों, यह भी विचार करने की बात होती है क्योंकि पुलिस कमीशंस कितने ही बैठ चुके है। मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट आफ इंडिया के लेवल पर कोई बैठा कि नहीं, लेकिन स्टेट लेवल पर कितने ही पुलिस कमीशन बैठ चुके हैं और आम तौर पर जितनी वह रिकमंडेशंस करते हैं उनमें से बहुत कम पर अमल हो पाता है। तो देखना है कि क्यों नहीं अमल हो पाया। कौन से टर्म्स आप रेफरेंस रखे जायें यह तय करना जरा मुश्किल काम है। इसलिए हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, होम सेक्रेटरी हैं उनके जो सहयोगी हैं वह इस बात पर विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा एक सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट आफ इडिया के लेबल पर कमीशन बिठायें तो ला एण्ड आर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यह स्टेट सब्जेक्ट है। उस मामले में उनका मशविरा करना चाहिए क्योंकि उनके बिना मशविरे के हम यहां बैठा देते है तो उससे स्टेट गवर्नमेंट पाबन्द नही हैं। तो उनकी कंसेन्ट लेनी आवश्यक है। हो सकता है कि कोई चीफ मिनिस्टर एग्री न करे। मजबूर तो हम कर नहीं सकते। लेकिन अगर वह उससे सहमत न हो तो शायद फिर हमारी जो रिकमेंडशंस होंगी वह उन पर लागू नही होंगी या वह पसन्द नहीं करना चाहेंगे। एक यह भी समस्या हमारे सामने है।

श्रीमन्, आपके जरिये मैं माननीय दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जितने भी उनके सुझाव हों कस्ट्रक्टिव कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुधरे, वह होम सेक्रटरी के नाम भेजने की कृपा करें। बड़ी उनकी मेहरबानी होगी क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बहतरी की और सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है और

[श्री चरण सिंह]

अंग्रेजों का राज् जब से यहां से गया तब से बराबर हम हर साल लेजिस्लेचर के लेवल पर, स्टेट लेवल पर या आल इंडिया के लेबल पर यह दोहराते रहे हैं कि पुलिस की ह्यूमन अप्रोच नहीं है लेकिन पुलिस कांस्टेबल और सब-इस्पेक्टर उसी सोसाइटी से, उसी सेक्शन आफ सोसाइटी से आते है जिससे मैं और आप आते हैं। क्यों नहीं ह्यूमन अप्रोच, इसका कोई कारण तो होगा जो मौजूदा स्थिति है इसमें ? ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक्जाजरेट कर रहे हैं तो ह्यूमन टच कैसे नहीं होता। कुछ को होता है कुछ का नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई जादू तो है नही इस क्षेत्र में कि इन चार महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। यह कहा जाता है कि चार महीने में आपने क्यों नहीं कुछ किया तो मैं यही कहता हूं कि पुलिस क्षेत्र में चार महीने में कोई जादू तो है नहीं कि कुछ हो जाए। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि पुलिस की जितनी शाखाएं यहां पर हैं उसकी स्ट्रैंथ क्या-क्या है। अगरचे मुझ से यह पूछा जाए कि उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या फर्ज हैं तो पूरी तरह से मैं उनका बयान नहीं कर सकूंगा और फिर हम यह विचार कर रहे हैं कि वहां पर जिस प्रकार से इकोनोमी हो, कहीं ओवर-लैपिंग तो नहीं है, कहीं यह मुमकिन तो नहीं है कि दो संस्थाएं अगर मिल कर काम करें तो उसमें रिट्रेचमेंट हो जाएगा, वगैरह-वगैरह। ये शनल अकाडमी पुलिस की, क्या कहलाती है मुझ को ठीक से मालूम नहीं, सुना है बहुत अच्छा काम कर रही है हैदराबाद में। मैं उसको जाकर देख नहीं पाया। मैं समझता हूं इतने काम मुझे यहां करने पड़ रहे हैं कि उनके काम को देखने के लिये मैं निकल नहीं पा रहा हूं। टकनपुरा ग्वालियर मे एक जगह है वहां पर ट्रैनिंग कैंप है बी०एस०एफ० का। वह भी अच्छा काम कर रहा है। सी०आर०पी० की, सिक्योरिटी रिजर्व पुलिस को, बटालियनों को इलेक्शनों में या और दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता है। उनकी भी किस प्रकार की ट्रेनिग है, क्या डिफिकल्टीज हैं मैं ठीक तरह से नहीं जानता। मिलिटरी तो बिल्कुल फ्रंटीयर पर, बार्डर पर पर्दे में पड़ी रहती है वह सामने रहती ही नहीं उनकी भी क्या-क्या कठिनाइयां हैं इन सब का मुझे अध्ययन करना है लेकिन मुझ को मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही समय मिला कमीशन बठाया जाएगा तो मेरे मन पर जो जिम्मेदारी है पुलिस के प्रति वह बहुत कम हो जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा और फिर दोहराऊंगा कि मेरे दोस्त इसमें मेरी मदद करेंगे तो पुलिस को एक बटर इंस्ट्रूमेंट आफ पब्लिक सर्विस, जनता की सेवा का एक बैटर सिस्टम बनाने में आसानी होगी।

माननीय बिपिनपाल दास ने आते ही कहा कि एक फलां तरीके से डिक्टेटर की तरह से आपने असेम्बली डिजोल्व कर दी, बिना वजह से, कोई कारण नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी गवर्नर की और फिर अपने आप जवाब भी दे दिया कि कस्टीट्यूशन के आर्टिकल 358 में लफ्ज है 'आन ए रिपोर्ट आफ दि गवर्नर आर अदरवाइज'। अगर गवर्नर संतुष्ट है तो ऐसा होगा, असेम्बली डिजोल्व की जाए। यह जरूरी नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट पर असेम्बली को डिजोल्व किया जाए, यह जरूरी नहीं है कि उनके डाकुमेंट पर डिजोल्व किया जाए क्योंकि अदरवाइज लफ्ज भी इसमें शामिल है। अदरवाइज तो यह है कि बहुत सी हजारों चीजें हैं, जसे अदालत के लिये एविडेंस एक्ट में जुडिशियल नोटिस अदालत लेता है तो किसी गवाही को दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसी मुकदमे मे नहीं होता है। इसी तरह इलेक्शन के बाद की जो सारी स्थिति थी वह प्रेजीडेंट या किसी और से छिपी हुई नहीं थी तो फिर कहां ब्रेक डाउन हो गया, फिजिकल ब्रेक डाउन हो गया ?

तो कहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक डाउन हो गया था? धारा 356 में जो लफ्ज लिखे गये हैं उसका मंशा यह है कि अगर लोगों में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्ज में कोई गल्फ पैदा हो जाय तो डेमोक्रेसी का यह सिद्धान्त है कि जो लेजिस्लेचर है जो उसके सेवक हैं, वह जनता के नुमायन्दे हैं, उनको जनता का ख्याल करना चाहिए और जनता की एसपीरेशन्स, विसेज और अर्जेज का ख्याल रखना चाहिए और उन्हीं के मुताबिक अपनी पालिसीज बनानी चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो It is a constitutional breakdown. फिर यह भी कहा गया कि बाद में अगर हम जीत गये तो इसमें क्या जस्टिफिकेशन है कि एसेम्बलियों को समाप्त कर दिया गया? मेरा कहना यह है कि यह हमारा अनुमान था और वह सही निकला। कहीं दीवार पर तो लिखा हुआ नहीं था कि कांस्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया है। वह तो हमारा अनुमान था कि स्टेट एसेम्बलीज में जो लोग बैठते हैं, They no longer represent the people जैसा मैंने कहा कि यह हमारा अनुमान था और इलेक्शनों ने इसको साबित कर दिया कि हमारा अनुमान सही था . . . *(Interruption)* आप मुझे बोलने की इजाजत भी देंगे या इस प्रकार से बीच में बोलते जायेंगे। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टेट गवर्नमेन्ट्स की तरफ से एक रिट याचिका फाइल की गई जिसमें यह कहा गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को स्टेट एसेम्बलीज को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को और प्रेजीडेन्ट को इस प्रकार का अख्तियार है। यह भी कहा गया कि इसमें पोलिटिकल गैर ईमानदारी से काम लिया गया है। मैं समझता हूं कि ये सब बातें गलत हैं। यह भी कहा गया कि श्री राजनारायण को पार्लियामेन्ट की अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी कांस्टिट्यूएन्सी की पांचों सीटों से जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गये हैं और इसी प्रकार से बंगाल के अन्दर भी जनता पार्टी की हार हुई है। इसलिए बंगाल के एक हमारे माननीय मित्र को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं यह कहना चहाता हूं कि हमने इलेक्शन कांस्टिट्यूएन्सीवार नहीं कराये थे। हमने स्टेट को एक युनिट मानकर चुनाव कराये थे। इसलिए हमारे दोस्तों की इस दलील में कोई दम नहीं है। हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं कराये। महाराष्ट्र के अन्दर 28 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी। वहां से जनता पार्टी के 20 आदमी चुनाव जीते थे। लेकिन हमने यह माना कि वहां पर जनता कांग्रेस को टोटली रिजेक्ट नहीं किया है। हमने वहां पर चुनाव नहीं कराये। *(Interruption)* आप लोग इस तरह से बैठे बैठे बोलते रहे हैं। आप जरा शांत रहिये। मैं यह कह रहा था कि विरोधी दल के सदस्यों के इस आरगुमेन्ट में कोई सार नही है कि राज नारायण जी को अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी कांस्टिट्यूएन्सी की पांचों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। इसी तरह से हमारे बंगाल के दोस्त को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री राजनारायण : कांग्रेस से डेढ़ गुना ज्यादा वोट मुझे मिले थे।

श्री चरण सिंह : यहां पर देश की एकता को खतरा है, इस बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। यह कहा गया है कि जनता पार्टी केवल उत्तर भारत के क्षेत्रों से जीत कर आई है। मैं यह समझ नहीं पाया कि किस तरह से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। क्या कोई पार्टी जब सारे देश में जीतेगी तभी वह देश की एकता को बनाये रख सकती है? अगर कोई पार्टी देश के आधे भाग में या दो तिहाई भाग में या 3/5 भाग में जीत कर आती है तो देश को नहीं कायम रख सकती है? यह कौन सी दलील है। *(Interruption)*

[श्री चरण सिंह]

एक साहब ने यह बात कही है । शायद हमारे दोस्त दास साहब ने यह कही कही है । मैं समझता हूं कि अगर जनता पार्टी रिजनल पार्टी हो गई तो कांग्रेस भी रिजनल पार्टी हो गई क्योंकि वह भी सारे देश से जीत कर नहीं आई है । जहां से जनता पार्टी जीती है वहां से कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है । इस तरह से दोनो रिजनल पार्टियां हो गई ।

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, may I clarify?

श्री चरण सिंह : मान्यवर, मैं बोल रहा हूं ।

श्री बिपिन पाल दास : मैंने यह नहीं कहा कि हारने जीतने का कोई सवाल है । मैंने यह कहा था कि जनता पार्टी को जनता के अन्दर हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से में कोई इन्टरेस्ट नहीं रह गया है, कोई पापुलर इनफ्लुयेस नही रह गया है, कोई पापुलर सपोर्ट नहीं रह गया है । इसलिये यह हमें खतरा है ।

श्री चरण सिंह : अब बात को बोलने के बाद... *(Interruption)*
पहली बात तो यह है कि *(Interruption)*

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया शांत रहें ।

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह कहना कि जनता पार्टी का असरन हीं रह गया है, इसका क्या मतलब है ? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है । हमारी पार्टी अब बनी है, इसलिये...

श्री बिपिनपाल दास : मेरी हिन्दी माफ कीजिये ।

You cannot take advantage of my wrong Hindi. मेरे कहने का मतलब यह है कि Janta Party does not have popular influence among the large parts of this country.

श्री चरण सिंह : लार्ज पार्ट आफ दिस कन्ट्री, देश के बड़े हिस्से में इसका असर नहीं रह गया है, बड़े सैक्शन में इसका असर नहीं रह गया है, बजाय रीजन के बड़े हिस्से में असर नहीं रह गया है । हिस्से और रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिये रीजनल पार्टी हो गई । एक पार्टी है, उसके आल इंडिया प्लान्स हैं, आल इंडिया उसकी एप्रोच हैं, उसका मैनीफैस्टों हैं, आल इंडिया के उसके लीडर हैं, हर सूबे में उसके लीडर है । कहीं लीडर्स से कम काम नही हुआ, कोई कारण होगा । तो केवल किसी हिस्से में नहीं जीतने मात्र से आप यह कहें कि इसका असर सारे देश में नहीं हे, इसलिये यह रीजनल हो गई, तो यह कोई दलील नहीं हुई ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मेरे मित्र ने यह कहा कि जब बादल साहब पर, बीज पटनायक साहब पर और एच० एम० पटल साहब पर इलजामत थे, करप्शन के और अगर आप कांग्रस के लीडरों के खिलाफ करप्शन के तहकीकात कर रहे हैं, कमीशन मुकरलर कर रहे यदि, आदि तो इन लोगों को आपने क्यों शामिल नहीं किया ? मतलब यही उनकी मंशा थी । इन तीन सज्जनों का नाम लेने का मितलब यह था कि करप्शन के उनपर चार्जेज थे तो उनको आपने कैबिनेट में क्यों शामिल किया ? उसमें जार्ज फर्नेन्डीज का नाम लिया गया कि जब उन पर मुकदमा चल रहा था तो आपने उनको इसमें क्यों

ले लिया । यह बात कमीशन के सिलसिले में कही गई है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ...

श्री बिपिनपाल दास : यह नहीं कहा गया था कि क्यों ले लिया । यह कहा गया था कि केस क्यों वापस लिया ?

श्री चरण सिंह : केस क्यों वापस ले लिया । यह फर्नेंडीज की बात है लेकिन अन्य दोनों पर कोई केस नही चल रहा था । उपसभाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मैंने सही नहीं सुना हो और कोई गलत बात मेरी जुबान से निकल जाय तो उसको थोड़ा सुनने का प्रयत्न करे । मेरी नीयत साफ है और मैं आपको मिस-रिप्रेजेन्ट भी करना नहीं चाहता । आपने केस रखा है । मैं आपके केस की वकालत कर रहा हूं, केस को बड़ा करके रख रहा हूं और फिर मैं उसका जवाब दूंगा ।

पहली बात यह है कि हम जो लोग वाइलेन्स ब्रैडडे हैं, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, उनको छोड़ रहे हैं, केवल इसिलये कि उनका जाति मामला नही था । नक्सलाइट्स लोग कौन हैं ? वे हिंसा में विश्वास करने वाले हैं, हिंसा उन्होंने की है और पुलिस के आफिसर्स के खिलाफ की है । हमको बड़ी परेशानी हुई है, बहुत मैंटेल बैटेल, मेटेल स्ट्रगल रहा है । उन्होंने फोर्सेस आफ लॉ एंड आर्डर जो थे, उनको शूट डाउन कर दिया । परन्तु यह उनका जाती मामला नहीं था, इसलिये हमने उनको छोड़ दिया है । इसका क्या नतीजा होगा ? आगे क्या होगा ? हमारी फोर्सेज डिमोरेलाइज तो नहीं हो जायेंगी ? यह सब जानबूझ कर हमने रिस्क लिया । अभी कल ही मुझ से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई उन्होंने एक केस मुझे बतलाया । उन्होंने अखबार दिखाया । अटैक हुआ दो आदमियों पर । मैंने कहा कि अमुक लोगों ने यह किया होगा, अमुक ग्रुप ने यह किया होगा । उन्होंने कहा, हां साहब, उसी ग्रुप का यह काम है । यानी मतलब यह है कि उनका जाती मामला नहीं था परन्तु उनके इन कार्यों से देश को दृष्टि में रखकर, गरीबों के हित को दृष्टि में रखकर, जैसी उनकी दृष्टि थी, उस दृष्टि से हम सहमत नहीं है। परन्तु उन्होंने उस पर अमल किया, उस पर उन्होंने खतरा उठाया, दिन रात मारे मारे फिरते रहे, देश के लिये खतरा बना रहे, हम उस रास्ते को गलत समझते हैं, हम उसके खिलाफ है । लेकिन हमने उनको हमदर्दी की निगाहों से, प्यार की निगाहों से देखा, रिस्क लिया और उनको छोड़ दिया । तो उपसभाध्यक्ष महदय ये तो वायलैंस में विश्वास करते थे । मैंने तो नेक्सलाईटस का लिटरेचर पढ़ा नहीं है, पता नहीं जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया उससे वे किस प्रकार की सोसाईटी यहां लाना चाहते थे। लेकिन इतना मैं जरूर समझत हूं जो भी सोसाईटी वे लाना चाहते थे, वह डैमोक्रेटिक नहीं होगी । असल में हम जिस प्रकार की डैमोक्रेसी में विश्वास करते ह, उनको भी हमने छोड़ा,हजारों को छोड़ा। अब जार्ज फर्नेन्डीज़ जी का सवाल उठा कि उनको कैसे छोड़ दिया गया । मै तो यह समझता हूं उन्होंने डैमोक्रेसी के लिए, सिविल लिबरटीज के लिए, फरीडम के लिए फाईट किया। अंग्रेजों के जमाने में आप में से बहुत से लोग यहां बैठे हैं जेलों में जाते थे । गांधी जी और वायसराय इरविन का समझौता हो गया और गांधी जी को छोड़ दिया गया और सजा समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिया था । अब आप सरदार भगत सिंह को लीजिए जिनके ऊपर अनेक पीढ़ीयों तक देश गर्व करता रहेगा वे देश के लिए शहीद हो गए । उनका कोई सैलफिश मोटिव नहीं था, उनको फांसी लगा दी गयी । महात्मा गांधी जी अपने उसूलों को छोड़ कर कभी किसी से कम्परोमाईज नहीं पया, वे अपने उसूलों पर दृढ़ रहे । जहां तक मुझे याद पड़ता है, (अगर इसमें मैं कुछ गलत बोल जाऊ तो श्री राजनारायण

[श्री चरण सिंह]

जी मुझे दुरस्त करेंगे। उन्होंने यह कहा कि 'यंग मैन शुड नाट बी हैंगड' यह तो मैं सन् 1930 की बात कह रहा हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नेन्डीज को हमने यह मान कर छोड़ा कि वे वाकई दोषी थे, उन्होंने वाकई वायलैस करने का इन्तजाम किया था लेकिन उनका उद्देश्य था डैमोक्रेसी को रैस्टोर करने का, परसनल रूल और डिक्टेटरशिप को समाप्त करने का। वे किसी अनडैमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हमने नउको छोड़ दिया। अब रहा इन तीन दोस्तों की बात, बीजू पटनायक, पटेल साहब और बादल साहब। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जो मेरे पास छोटे छोटे नोट मेरे विभाग के अधिकारियों ने भेज दिए हैं, पहले भी मैं देख चुका था, लेकिन रिपोर्ट साथ हीं लाया,मैं नहीं समझता था कि इतनी डिटेल में चली जाएगे। जहां तक श्री बीजू पटनायक साहब का ताल्लुक है, जस्टिस खन्ना ने इस संबंध में तहकीकात की। खन्ना कमीशन मुकर्रर हुआ था जिसने यह होल्ड किया कि करप्शन का मामला नहीं है, कुछ इरैगुलरटीज हैं बल्कि एक आध फिकरा श्री बीजू पटनायक जी की तारीफ का भी दिया गया कि उन्होंने उड़ीसा की बहुत सेवा की है। इस तरह के लफ्जों का भी ध्यान रखना चाहिए और एतिहात बरतनी चाहिए... *(Interruptions)*

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा ?

श्री चरण सिंह : मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मै कोई जानबूझ कर गलत नहीं कह रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो दूसरी बात है। लेकिन जो नोट्स मेरे पास है उनमें बहुत तफसील से लिखा है कि उन्होंने दो केसिज में यह मशविरा दिया कि दो केसिज में पुलिस इन्क्वायरी कराए और वह इनक्वायरी हुई और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उनमें कोई ऐसा मामला नही है जो कि जूडिसरी में जाकर कनविक्ट हो सकता हो। यह कब हुआ ? वे चीफ मिनिस्टर नही थे, उनके दोस्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे, पापुलर गवर्नमेंट नही थी, प्रेसिडैंट रूल था। तब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया होम सेक्रेटरी, चीफ सैक्रेटरी, एडवाइजर ने पुलिस की रिपोर्ट की तहकीकात करने के बाद कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको एक्शनेबल कहा जा सके। यह फैसला हुआ 13 मार्च सन् 1971 को।

श्री कल्प नाथ राय : एक बात मैं कहना चहाता हूं। 10 मार्च सन् 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट में कहा कि बीजू पटनायक is not worthy of being a Minister. और छागला कमेटी ने जो सब थी उसकी रिपगर्टमें है। 10 मार्च, 1965 को पार्लियामेंट में बहस हुई है और 12 घंटे हुई है। वह रिपोर्ट आप पढ़ लें इसके बाद अपनी जानकारी दें।

श्री चरण सिंह : उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन मेरे पास है। पर रिपोर्ट पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। *(Interruptions)* मैं पढ़ लूंगा। मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहता हूं।

श्री कल्प नाथ राय : मैं एक बात कह रहा था कि 1965 की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ लें यदि आप कहते हैं बीजू पटनायक भ्रष्ट नहीं है तो मैं मान लूंगा।

AN HON. MEMBER: This charge-sheet was made, but later on it was withdrawn ... *(Interruptions)*.

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये, आप भी कह चुके और आप भी कह चूके है । कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट की जो फाइन्डिग्स है वह मैंने पढ़ी है । श्री लाल बहादुर जी शास्त्री द्वारा 4 मेम्बर अपनी कैबिनेट के मुकर्रर किये गये उस मामले को देखने के लिये और जो उनकी फाइंडिग्ज है उन्होंने कम्प्लीटली इकजोनरेटेड किया । सिर्फ जहां तक मुझ को याद है उसमे सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने काशन नही लिया ।

कैबिनेट में यह चीज रख देनी चाहिए थी पानी लोगों को मालूम होना चाहिये कि कुल फाइन्डिग्स क्या है । लेकिन उनको देखकर हम किसी मिस कंडक्ट के नतीजे पर पहुंचे । सिर्फ इम्प्रोप्रांइरी बल्कि इम्प्रोप्राइटी से भी हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है । जब मैं पहले, आरम्भ में यहां आया था, लोक सभा में...

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय राज नारायण, आदरणीय रवि राय और आदरणीय मधु लिमये ने जो बीजू पटनायक के ऊपर भ्रष्टाचार थे उन पर 4 घटे बहस हुई पार्लिया-मेंट में उसको आप पढ़िये यदि समझते हों कि राजनारायण जी गलत अर्थ लगाते है तो फिर कोई बात नहीं है (*Interruptions*)

श्री **चरण सिंह** : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय कल्प नाथ राय जी का नाम मैं बहुत सुनता था । मैंने उनसे कहा कि यह साहब कौन है तो इन्होंने कहा कि श्री कल्प नाथ राय है । तो इनका नाम मैंने सुन ही रखा था । कल्प नाथ जी जब इधर बैठते थे तो माकूल बातें करते थे और उधर बैठ गये है तो जरा सा गैर जिमेदारी की बात करते है । तो कल्प नाथ जी तो एक ही है ...

(*Interruptions*)

यह कोई जरूरी नहीं है, यहां कोई फैसला नही हो रहा है हाई कोर्ट का । मैं कोई बात नहीं सुनूंगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उनसे अपील कर रहा हूं । मेरा मतलब यह है कि अब उस वक्त राज नारायण जी ने क्या कहा था मुझे नही मालूम ।

एक माननीय सदस्य : भूल गये ।

श्री चरण सिंह : मैं तो मेम्बर नही था ।

श्री राज नारायण : मैंने खन्ना कमेटी की पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है और अगर यह सदन चाहे खन्ना कमेटी की रिपोर्ट पर मैं एक दिन बहस करने के लिये तैयार हूं ।

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर राजनारायण जी कह दें कि बीजू पटनायक भ्रष्ट नहीं हैं तो मैं नहीं कहूंगा ।

श्री राजनारायण : नही है, नही है ।

श्री चरण सिंह : मैं आपकी इजाजत से फिर यह दोहराना चाहता हूं कि किसी माननीय मित्र को किस मामले में क्या राय थी इससे मुझे ज्यादा सरोकार इस वक्त नही है । मैंने जो पढ़ा है, उसकी फाइन्डिंग्स जो मुझे दी गयी हैं, सब कमेटी की, मैं उसकी बेसिस पर कह रहा हूं कि उस वक्त वह दोषी नहीं थे । अब इसमें दो राय हो सकती हैं । अब माननीय कल्प नाथ जी क्या कह रहे थे राजनारायण जी ने क्या कहा था । अगरचे वह मुझ को बता भी चुके मैं उसको गैर मुताल्लिक समझता हूं।

कई माननीय सदस्य : प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री चरण सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर मैं नही मानता ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। उस हाऊस में... (*Interruption*)

श्री चरण सिंह : मुझ को अधिकार है। मैं यील्ड नही करता। इसमें पौइन्ट आफ आर्डर कुछ नहीं आ सकता है ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : नहीं, पौंइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री चरण सिंह : अच्छा उपसभाध्यक्ष जी, आप तय करिए कि पौइन्ट आफ आर्डर है या नही ?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या वे सचमुच पौइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं ? अगर बोल रहे हैं तो उनको इजाज़त दीजिए।

श्री राजनारायण : श्रीमन् पौइन्ट आफ आर्डर हमारा भी है । मंत्री के जवाब के प्रसग मे पौइन्ट आफ आर्डर पर उठकर बोलने की आदत हो गई है । मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस प्रथा को रोकें, यह प्रथा बहुत ही गलत प्रथा चलायी जा रही है । माननीय सदस्य नए सदस्य हैं, उनको आदत सीखनी है।

(*Interruption*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : राजनारायण जी पौइन्ट आफ आर्डर नही उठा सकते हैं क्योंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं है ।

श्री राजनारायण : उठा नहीं सकता हूं मगर सिखा सकता हूं ।

श्री श्रीकान्त वर्मा : जो मिनिस्टर ने कहा उस समय वह तो मिसलीडिग है और लोकसभा मे जो भी इस पर डिबेट हुई और सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने जो बयान किया था कि एक फाइल रखी गयी थी... (*Interruption*) उसको मंगाया जाए, उसको पूरा पढ़ लें।

(*Interruption*)

श्री रबी राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप कहिए यह पौइन्ट आफ आर्डर है या पौइन्ट आफ डिस्आर्डर है।

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) कृपया शांत रहिए । पौइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री चरण सिंह : आपने कह दिया कि पौइन्ट आफ आर्डर नही है, ठीक है तो, मैं शुरू करता हूं । जो उपसभाध्यक्ष महोदय रही बात बीजू पटनायक साहब की, बादल साहब की...

श्री कल्प नाथ राय : सब पवित्र हो गए ।

श्री चरण सिंह : बादल साहब को अलाहिदा कर के न मालूम किस तरीके से हुआ था—मुझे याद नहीं—एक कमीशन बिठा दिया गया उनको बदनाम करने के के लिए (*Interruption*) और उससे साबित हो जाए कि...

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, चौधरी साहब को इस तरह की बात नही करनी चाहिए कि उसको बदनाम करने के लिए किया गया है ।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिमेम्दारी के साथ कहता हूं । मुझे तो न मालूम क्या क्या कह रहे है माननीय सदस्य। मैं कह रहा हूं कि जो चार्जेज थे—कमीशन की नीयत पर नहीं कह रहा हूं—बदनाम करने के लिए, पोलिटिकल रीजंस से किया और इस से साबित हो गया.

श्री कामेश्वर सिंह (बिहार) : डिपुटी चेयरमैन, आन् अ पौइन्ट आफ आर्डर...

(*Interruption*)

उन्होंने कहा है कमीशन बनाया । क्या गवर्नमेन्ट जो कमीशन बैठा रही है...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : पौइन्ट आफ आर्डर नहीं बनता; आप बैठिए ।

श्री कामेश्वर सिंह : क्या इसी तरह बदनाम करने के लिए आप भी कमीशन नहीं बना रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं । तो मैंने यह कहा कि उन पर जो चार्जेज लागे वे उनकी राय में, फ्रीवालस में और उनके साथ दो मेम्बर लगे थे, उन्होंने उसका बायकाट कर दिया । एक बात यानी, अपील हुई नहीं । और फिर जो कमीशन था उसके सामने जो मेमोरियलिस्ट थे, जिनसे उनके खिलाफ दरख्वास्त दिलाई गई थी, मेमोरेण्डम दिलवाया गया था, वही सिर्फ एप्रूवर हुये कमीशन के सामने । उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से कोई इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी के जरिए इंवेस्टीगेशन नहीं कराया और फैसला कर दिया गया । गैर हाजिरी में यह हुआ क्योंकि जो लोग एक्यूजर्स थे केवल उनके ब्यान पर जैसा मुझे बतलाया गया कोई अपनी तरफ से कमीशन ने इंक्वायरी या इंवेस्टिगेशन नहीं करायी और 16 चार्जेज थे और उनमें से ज्यादातर छोटे छोटे चार्जेज थे, जो उन्होंने (श्री बादल ने) मुझे खुद जेल में बतलाया जब मैंने पूछा मामला क्या है ? उन्होंने कहा, सबसे बड़ा चार्ज मेरे ऊपर यह है कि एक रोड थी जो कि अन्मेट्ल्ड था, उस पर एक साहब परमिट चाहते थे । अब उन्होंने परमिट की दरख्वास्त दी तो छः महीने हो गए, साल भर हो गया, उसकी तरफ कोई आर्डर आर० टी० ओ० की तरफ से नहीं हुआ है । वह आदमी हमारे पी०ए० के पास आ गया कि साहब, महीनों हो गए । तो पी० ए० ने शायद उनको कहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा जल्दी फैसला करवाओं, आइदर वे, जैसे चाहें करवाएं । ही वाज दी सोल अप्लीकेन्ट । जो उन्होंने मुझे बतलाया । उस पर चार्ज क्या था कि 20 हजार रुपया लिया और होल्ड कर दिया गया कि 20 हजार रुपया उन्होंने लिया । यह चार्ज था । तो अब उन्होंने वापस नहीं लिया । जिस वक्त गवर्नर रूल था गालिबन उस वक्त की बात है, कम से कम उन का अपना आर्डर नहीं है , न हमारा आर्डर है वापस लेने का । तो 12 चार्जेज थे जो मैं सुनाये देता हूं । जो रिपोर्ट है मेरे सामने उस के अनुसार है कि :

"In respect of four of these allegations, three cases were registered for investigation by the State police. On completion of the investigation, the evidence collected did not disclose any criminal offence. A report to that effect was made to the court which agreed to the closure of the case."

आगे लिखा है कि "In respect of seven allegations, the preliminary enquiry made by the State police did not disclose evidence of criminal misconduct. In respect of the 12th allegation, no action was initiated in view of the legal opinion of the State Law Officer. Action referred to in para 4 was taken by the State Government before the Badal Ministry was installed in Punjab after the State elections."

जो गवर्नर थे उन के रूल में वापस लिया । हम ने नहीं लिया । अब श्री एच० एम० पटेल साहब की बात सुनिये ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप सुन लीजिए कृपा करके ।

श्री चरण सिंह :

"A Commission of Enquiry headed by Mr. Justice M. C. Chagla was appointed by the Central Government in the Ministry of Finance to enquire *inter alia* into the affairs of the LIC . . ."

श्री कल्प नाथ राय : जज ने लिखा है कि प्रकाश सिंह बादल ने 5 करोड़ रुपया लिया और फर्टिलाइजर की चोरी करायी ।

(Interruption)

श्री चरण सिंह : जब कल्प नाथ जी बोलते हैं तो शरीर का बोझ गले पर पड़ जाता है और मैं बोल नहीं पाता तो· ··

"LIC relating to purchase of shares in the Mudra concern, propriety of these purchases and the responsibility of the persons concerned. The Commission was appointed in January, 1958. Strictly speaking, it cannot be said to have been appointed against Mr. H. M. Patel." for .... (*Interruptions*) "The idea of Mr. H. M. Patel who was the Principal Finance Secretary at the relevant time came in for some adverse observation by the Commission. Subsequently a Board of Enquiry, headed by Mr. Justice Vivian Bose enquired into the conduct of various officers having regard to all observations of the Chagla Commission." After the advice of the Union Public Service Commission in the case, charges against Mr. H. M. Patel were dropped. Vide Government of India Resolution of 27th May, 1959, the U.P.S.C. came to the conclusion that no blame attaches to Shri Patel in regard to the matters referred to in the charges and advised that 'taking into account all the circumstances of the case, he should be exonerated of the charges framed against him.'

यह एच० एम० पटेल के बारे में है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कमीशन की बार-बार रट लगी है कि कमीशन एपाइंट कर रहे हैं । बात-बात में कमीशन होते हैं । बात-बात में कमीशन होता है तो घबराहट किस बात की है । अगर गिल्टी नहीं होओगे तो छूट जाओगे और गिल्टी होओगे तो शिकायत नहीं हो सकती । श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से सन् 1760 की ब्रिटिश हिस्ट्री की एक बात बताना चाहता हूं । उनके अर्ल आफ चैटम जो पिट दि एल्डर भी कहलाते थे, जो पिट दि यंगर के फादर थे, वह 1760 में प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के । तो वहां के मिनिस्टर के खिलाफ एक शिकायत हुई । साथियों ने कहा कि ये फुरलेस है इसकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं है । चैटम ने एक बात कही है जो कि मशहूर हो गई है ब्रिटिश हिस्ट्री में कि जब हमारे मिनिस्टर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत आयेगी Whenever there is a complaint about his misconduct, we must inquire into it. हमें उसकी तहकीकात करानी चाहिए । अगर वह दोषी साबित होता है तो हम उसको कैबिनेट से निकाल देंगे तो इससे गवर्नमेंट की प्रैस्टिज बढ़ेगी और अगर दोषी साबित नहीं होगा तो जनता को यह पता पड़ जाएगा कि सब लोग ईमानदार थे, इस गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे, वह ईमानदार थे और एक झूठा चार्ज कोई झूटे कारण से लाया था । Even then our prestige will go up. तो मैं यह अर्ज करता हूं कि यह शिकायत क्यों है कि कमीशन एपाइंट कर रहे हैं, कमीशन एपाइंट कर रहे हैं ?

(Interruption)

श्री देवराव पाटील : हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिये कमीशन क्यों नहीं एपाइंट किया गया ?

श्री चरण सिंह: मैं नहीं सुनने को तैयार हूं ।

(Interruption)

श्री बिपिनपाल दास : आप बार-बार बोलते हैं, यह नहीं चलेगा ।

Sir, this question must be answered. Why should they not appoint a commission to go into the question of atrocities committed on Harijans?

श्री चरण सिंह : पाप तो डेढ़ साल आपने किये हैं, कमीशन किस बात का बैठाना चाहते है ? . . . *(Interruption)*

श्री देवराव पाटील : * * * जिन अफसरों ने रिपोर्ट दी है वह गलत है ।. *(Interruption)*

श्री चरण सिंह : श्रीमन्, मैं पौइंट आफ प्रिविलेज उठाता हूं । उन्होंने कहा है कि आप * * *

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : रेकार्ड देख लिया जाएगा । इन्होंने ऐसा कहा है तो रेकार्ड में नहीं जाएगा ।

श्री चरण सिंह : कमीशन की बात आप करते हैं । यह वाक्य है कि नहीं कि जितने कमीशन एपाइंट हुए हैं, जिनकी शिकायत है उनको मैं जवाब दूं या नहीं, पहले मैं उसका जवाब दे रहा हूं । बेलची के ऊपर हरिजनों के बारे में जिसको आप पोलिटिकल कैंटकल बनाना चाहते हैं, उसको नहीं बना पाओगे, यह मैं बताना चाहता हूं ।

श्री बिपिनपाल दास : मैं. . . *(Interruption)*

श्री चरण सिंह : I refuse to yield.

SHRI BIPINPAL DAS: If this is your attitude, we shall see that you do not remain the Home Minister of this country.

श्री चरण सिंह : मैं नहीं रहूंगा तो आडवाणी हो जायेंगे, राजनारायण हो जायेंगे, आपकी बारी आने वाली नहीं है । It does not depend on you. Who are you to decide it? मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं, फिर वह पर्सनल बात होगी । मैं अर्ज करता हूं कि मेरी यह शिकायत कि मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं यह आपकी राय है, हो सकता है आपकी राय सही हो, लेकिन मेरा डिजर्व करना या न करना फिर पर्सनल बात हो जाती है । वह हीटिड डिबेट हो जाएगी ।

SHRI BIPINPAL DAS: It is not personal. It is not personal. I say, if this be your attitude, we shall have to take our stand.

श्री चरण सिंह : आपको गुस्सा करने का क्या अधिकार है ।

'You do not deserve to be the Home Minister'. Who is he to say it? He should not say it. I would say that you do not deserve to be a Member of the House.

SHRI BIPINPAL DAS: You deserved what I said.

श्री चरण सिंह : क्या बात है । हम सब पढ़े लिखे लोग हैं बहस करने लगे हैं । शांति से एक दूसरे की बात सुननी चाहिये ।

श्री बिपिनपाल दास : शांति से बात कैसे सुनें, आप खुद शांति से बात नहीं करते हैं ।

श्री चरण सिंह : अब अनर्गल बातें हो रही थीं, मैं बिल्कुल चुप बैठा हुआ था । उस वक्त आप बोल रहे थे । आपका हर वाक्य ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ईंट डाल दी गई हो । आपके जरिये मैं कहना चाहता हूं कि ये बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं ।

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : शांत रहिये श्री कल्प नाथ राय *(Interruption)*

श्री कल्प नाथ राय को न लिखा जाए ।

श्री कल्प नाथ राय :

(Continued to speak)

(Interruption)

SHRI LAL. K. ADVANI: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very sorry to note that on both these occasions there has been a constant and deliberate personal tirade against the Home Minister and the basis of all that is being said is that the Home Minister

***Expunged has ordered by the Chair.

[Shri Lal Advani]

has refused to appoint a Commission. This is basically wrong. This is factually wrong. All along he maintained that he was open to even appointing a Commission on the Belchi episode. All along he maintained that he was open to that idea.

श्री चरण सिंह : मैंने पहले सजेस्ट किया था ।

SHRI LAL K. ADVANI: And he in fact said that he had suggested it to the Chief Minister and had written a letter to the Chief Minister. What he told the House is that when a committee of the Assembly is investigating and inquiring into the matter, it is perhaps not proper for the Central Government to appoint a, Commission of that kind.... (*Interruptions*) Mr.Vice- Chairman. I am not yielding. All that I want to stress is that the Government of India has not said that it is not going to appoint a Commission. It has said that if the need arises.... (*Interruptions*). Please listen to me. We are all Members of Parliament and we know that a Parliamentary Committee can, in certain circumstances, be more effective than a Commission of Inquiry. I do not know what is the composition of the Assembly Committee there, what are the feelings of the MLAs there. Probably they themselves must have insisted on an Assembly Committee. I do not know. What I want to say is that it is not proper for the Government—even for the Government of India or for the State Government—to short curcuit or by-pass a Legistive Committee, an Assembly Committee, and impose a Commission of Inquiry of its own. It is likely that the Chief Minister himself may suggest the Government of India to appoint a Commission of Inquiry.

SHRI N. P. CHAUDHARI: On a point of order...

(*Interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): What is the point of order?

SHRI N. P. CHAUDHARI: The demand for a Commission of Inquiry was not for Belchi alone. It was for all the places.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): It is no point of order.

SHRI LAL K. ADVANI: What I want to mention categorically is that the Government of India—and the Home Minister—have not declined to appoint a Commission of Inquiry. They have only said that the issue is open. I am saying this because for these two days they have been saying: You have appointed this Commission; you have appointed that Commission. You are not doing this or that.

That is all.

8 P.M.

श्री चरण सिंह : कमीशन के सिलसिले में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आप उसको इंफ्लूएन्स कर रहे हैं। हमने शाह कमीशन मुकर्रर किया । लेकिन इसमें इन्फ्लूएन्स का सवाल कहां पैदा होता है । यह भी कहा गया कि आपने फलां कमीशन मुकर्रर कर दिया । मैं समझता हूं कि इसमें इन्फ्लूएन्स करने का कोई सवाल ही नहीं है . . .

(*Interruption*)

कुछ दोस्तों ने कहा कि हरिजनों पर एट्रोसीटीज बढ़ गई हैं और हम हरिजनों के हमदर्द नहीं हैं, उनके दुश्मन हैं । यह भी कहा गया कि बेलची काण्ड के बारे में कमीशन क्यों नहीं बैठाया गया । मैं इस सवाल पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अर्ज यह करना चाहता हूं . . . (*Interruption*) मेरा कहना यह है कि उसकी जांच चल रही है । इस वक्त कई कमीशन अपना काम कर रहे हैं। पिछली दफा मैंने कहा था कि शाह कमीशन के पास 9 हजार के करीब शिकायतें आई हैं । आज मुझे मालूम हुआ

कि उनके पास 30 हजार के लगभग शिकायतें आ चुकी हैं । मैं समझता हूं कि अगर माइनर और नौन-सीरियस शिकायतों को निकाल भी दिया जाय और अगर एक हजार शिकायतें भी बच जायें तो उनकी जांच करने में कितना समय लगेगा, यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं ।

यहां पर यह भी कहा गया कि जब एक कमीशन काम कर रहा है तो दूसरी कमेटी या इन्क्वायरी कमीशन नहीं बैठाया जा सकता है । यह बात गलत है । लां इसकी इजाजत देता है । मैंने खुद शाह कमीशन से इस बारे में बात की है। शाह कमीशन के परव्यू के सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की सूटिंग और सुल्तानपुर का काण्ड इसके अन्तर्गत आते हैं, जिसके अन्तर्गत 25 और 48 आदमी मारे गये थे । इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिटायर्ड जज जांच के लिए नियुक्त कर दिए हैं ; इसी तरह से श्री बंसी लाल, एक्स-डिफेन्स मिनिस्टर के सम्बन्ध में जांच करने के लिए हरियाणा सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया है । इसके अलावा तुर्कमान गेट पर हुये काण्ड की जांच के लिये एक दो अफसरों की फेक्ट फांइडिंग कमेटी मुकर्रर कर दी है । ऐसी हालत में यह कहना कि इन कामों से शाह कमीशन इंफ्लूएन्स हो जाएगा, उचित नहीं है । इनमें कोई कंफ्लिक्ट नही है । ये सब काम शाह कमीशन के पास जायेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक इंसीडेन्ट नहीं, दो इन्सीडेंट नहीं, बल्कि ज्यों ज्यों समय गुजरता जा रहा है यह देखने में आ रहा है कि एनोरमीटीज, एट्रोसीटीज, केसेज आफ डिसआनेस्टी, इंजस्टिस आदि की कोई सीमा ही नहीं है । मैं समझता हूं कि चाहे हम कितने भी कमीशन बैठा दें तो भी जस्टिस नहीं हो सकता है ।

इन बातों के साथ-साथ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि माननीय चौधरी साहब जब यहां पर बैठे थे तो उन्होंने मुझे लिखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाया जाना चाहिये । वे कागज मेरे पास इस वक्त नहीं हैं, उन्होंने कुछ इसी प्रकार की बात लिखी थी ।

श्री एन० पी० चौधरी : मैं उसमें संशोधन करता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमीशन बैठाया जाना चाहिये ।

श्री चरण सिंह : इनकी यह मांग थी । बाद में त्रिपाठी जी ने कहा कि हरिजनों की सारी समस्याओं के ऊपर विचार करने के लिए एक कमीशन बैठाया जाना चाहिये । इसको उन्होंने इतना बड़ा रूप दे दिया । मैंने यह कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की समस्या के ऊपर विचार करने के लिए न मालूम कितने कमीशन और कमेटियां बनाई जा चुकी हैं । यह तो एक जनरल प्रोब्लम बन चुकी है । हम इस समस्या के बारे में जागरूक हैं । अभी इस प्रकार के कमीशन की आवश्यकता नहीं है । असल प्रोब्लम कास्ट वगैरह का है। माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा कि एक साहब हैं या कोई दूसरे साहब हैं जो इस काम को कर सकते हैं । मैं तो सोसायटी की बात कर रहा था, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा था । क्या मैं कर सकता हूं कास्ट एबोलिश ? हां, महात्मा जी कर सकते थे, राजा जी कर सकते थे। उनका नाम लेने की क्या जरूरत है । लेकिन नहीं... How to mount a personal attack against a particular man .... (*Interruptions*) यह है प्वाइंट । इस सिलसिले में मैंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट की यह जो सारी प्राब्लम है, यह हिस्टोरीकल है, सोशल

[श्री चरण सिंह]

है और रिलीजियस है और यहां हर आदमी इस प्राब्लम को जानता है, इसलिए मैंने कहा कि इसका वाइड स्कोप होगा । जहां तक उस कमीशन का ताल्लुक है, हमारे सहयोगी माननीय श्री आडवाणी जी ने पूरी तरह बतला दिया और वह रिकार्ड में मौजूद होगा । 12 जून, 1977 का जो उनका मैसेज है, जिसको मैंने पढ़ कर सुनाया । वह फाइल इस समय यहां नही है । बेलची वाली फाइल अलग है । मैंने पढ़ कर सुनाया था कि वहां के गवर्नर ने यह कहा । 12 जून को गवर्नर का राज था, वहां एडवाइजर थे, नीचे मैंने नहीं देखा कि किसके दस्तखत हैं ।

The 12th June, 1977 message says:

"Reference your suggestion to appoint a judicial inquiry. We think it is not necessary. The District Magistrate and the Superintendent of Police have both been to the spot once and within a week the Commissioner and the DIG have also been to the spot. We also had investigations. Twenty-nine persons have been challaned. Twenty three persons have been arrested. A reward has been declared on the head of one or two absconders. Rupees five thousand each to the members of the familes whose manager or father was murdered have also been granted....".

तो इससे यह साफ मालूम होता है कि जूडिशियल कमीशन के बारे में यहां पर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है । यहां से जो 8-6 लोग वहां गये हैं, वे बाकायदा पार्लियामेंट की तरफ से नहीं गये, प्राइवेट हैसियत से वहां गये थे । लेकिन खैर, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो राय है, मैं फिर भी उसकी कद्र करता हूं । लेकिन वहां, जैसे कि मैंने कहा, लेजिस्लेचर की तरफ से, वहां जो पापुलर गवर्नमेंट है, वहां चीफ मिनिस्टर की रजामंदी से एक कमेटी मुकर्रर हो चुकी है और उस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद अगर जरूरी हुआ तो . . . (*Interruption*) मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूं । आप कृपया शांत होकर सुनिये और..... (*Interruption*) मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जब देखिए किस तरह से . . .

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): आप कृपया शांत रहें, कल्प नाथ जी । आप गृह (मंत्री) जारी रखें ।

श्री चरण सिंह : तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि मैंने यह कहा कि.... (*Interruption*) मैं कब इन्कार कर रहा हूं इन सब चीजों से . . .

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : वर्मा जी यह न करें । सदन में यह ठीक नहीं कि . . . (*Interruption*) आप मिनिस्टर के पास सदन में इस तरीके से नहीं जा सकते ।

(*Interruption*)

श्री चरण सिंह : माननीय वर्मा जी तो कह रहे थे कि मेरे बाबत न मालूम बाहर क्या-क्या कहा जा रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, इस मामले मैं, जो कि आप मुझे एक लाश का फोटो दिखा रहे हैं । मैंने यह कभी डिनाई नहीं किया कि एट्रोसिटीज नहीं हुई, मर्डर्स नहीं हुये । आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उनकी रिपोर्ट के बाद अगर वहां की गवर्नमेंट इसकी जरूरत समझती है या हम भी जरूरत समझेंगे तो खुद

एव्वाइंट करेंगे, वरना उनके साथ मशविरा करेंगे कि जूडिशियल इन्क्वायरी करायें। यह जो गलत बात हो गई उससे ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है : as if I am the enemy of these poor sections who are our own people, our own blood....

(Interruptions)

यह कोशिश की जा रही है, अतः उसका क्या किया जाये। उसको पोलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है। An impression is being created as if I am the enemy of these people..

SHRI BIPINPAL DAS: This is the general belief.

SHRI CHARAN SINGH: This is wrong.

अब मैं आपके जरिये, क्योंकि आपने जनरल फीलिंग कहा है, कहना चहता हूं कि जितना मैंने गरीब लोगों के लिए किया है—हालांकि यह कहना मुझे शोभा नही देता, लेकिन जब आप इल्जाम लगाते हैं तो मैं कहता हूं कि—1920 से 1932—39 तक और रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से मैंने जितनी जमीन यू० पी० में सब-टेनेन्ट्स और ट्रैसपासर्स को दी, आप उसे 1951 की सेंसस रिपोर्ट में पढ़ें। उसमें लिखा है, एक तिहाई हरिजन हैं। One-third are Harijans who have been conferred the rights of premanency on their lands. उसमें लिखा है। मौलाना जी छोड़िये *(Interruptions)* मैं यह कह रहा था कि वह रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है।

(Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया शांत रहिये।

श्री चरण सिंह : दूसरी बात यह कि सात साल तक 1932 से 1939 तक मेरे घर में एक हरिजन लड़का खाना बनाने पर रहा। मैं जानना चाहता हूं 40—45 साल पहले किसने ऐसा किया था। यह कहना इसके पीछे कोई पोलिटिकल रीजन था, आपसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नही कर सकता। आप मुखालिफ हो, इसलिए मुखालफत करो। मैं तो जनरल कह रहा हूं पर आप तो मुझ से कह रहे थे। तो मैं अर्ज कर रहा था . . . . *(Interruption)* उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मुखालफत नहीं होनी चाहिये। आप आपोजीशन में है, अगर हम गलती करेंगे या हमारी आंख मिच जाएगी तो आप हमे पौइन्ट आउट करें। यह तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक कम्पैन के तौर पर, विलीफिकेशन के तौर पर फैक्ट्स के खिलाफ बोलने की कोशिश न कीजिये, उसको मैं रोक नहीं सकता। अब रही एट्रोसिटीज़ की बात कि जुर्म बढ़ गये है अब मैं फैक्ट्स और फीगर्स देता हूं तो वे गलत है, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि गलत हैं? सिर्फ प्रोपेगण्डा के आधार पर जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता ही नहीं। जैसे इसका सारा ठेका आपने ले रखा है . . .

(Interruption)

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, इसी बात का फैसला करने के लिए कि ठीक है या गलत है, कमीशन बैठाना चाहिये। आप कमीशन से क्यों भागते हैं।

श्री चरण सिंह : इसका फैसला तो अभी 16 तारीख को हो चुका है कि कहां तक आप सही कहते है . . .

(Interruption)

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, आप कहते हैं नहीं बढ़े हैं, हम कहते है बढ़े हैं । इस बात का फैसला कैसे हो सकता है । आप कमीशन बैठा दीजिये, हो जाएगा ।

श्री चरण सिंह : कहिए, अब इसके लिए कमीशन मुकर्रर करने की जरूरत है । जिन रिसपोन्सिबल पुलिस आफिसर्स ने पहले यह फिगर्स दी है, अब भी वही देंगे और आप उन्हें गलत कह देते है, तो फिर आपको तकलीफ होगी ।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी साहब, यह तो सी० पी० आई० के हैं ।

श्री चरण सिंह : मैं तो इन में और आप में कोई फर्क नही मानता ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह एंटी कम्युनिस्ट के बेसिस पर युनाइटेड करना चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह : तमन्ना तो आपको भी होगी इधर आने की अगर मैं सोचूंगा, . . . (*Interruption*) मुझ को बोलने दीजिये । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि फिगर्स मौजूद हैं । जब से यह गवर्नमेंट बनी है, तब से जुर्म बढ़े हैं । पहले की गवर्नमेंट के समय की भी मौजूद हैं । यही केस है । फिगर्स के अलावा कोई तर्क नहीं है । ओथ अगेंस्ट ओथ होगी, आखिर कैसे तय होगा . . . (*Interruption*) मुझे बोलने दीजिये, परेशानी किस बात की है ।

एक माननीय सदस्य : आप कमीशन की बात पर चुप हो जाते है आप एपौइंट कर दीजिये ।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह है मर्डर . . .
(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया शांत रहिये ।

श्री कल्प नाथ राय : क्या आप राजनारायण जी को बेलची भेजेंगे कि वे वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट दें ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह कौन सा सवाल है ?

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, अब आप कहते है कि कमीशन बैठाओ । लेकिन मैं कहता हूं कि क्या इस बात के लिए कमीशन बैठाया जायेगा कि श्री राजनारायण को छोड़ कर श्री कल्प नाथ राय क्यों चले गये ? मेरे पास एक स्टेटमेंट आफ एट्रोसिटीज आन हरिजन है, मर्डर्स की है । मर्डर प्लस किलिंग । एक तो मर्डर यह है कि एक आदमी निहत्था है, उसका मर्डर कर दिया । एक किलिंग बाकायदा फाइट हो । लीजये मैं पढ़ देता हूं । 1974–75 को छोड़ देता हूं । 1976 में पहले क्वार्टर में 27 मर्डर हुये । मर्डर्स हुये 28 और फिर 25, नही 27, 25, 26, 17, 27, 25 और ——मैं गलत पढ़ रहा हूं . . (*Interruption*) अब इसी में कोई प्वाइंट बनाना चाहते हों तो जरूर बनाइये (*Interruption*) पहले क्वार्टर में 27, दूसरे में 25, तीसरे क्वार्टर में 36 और चौथे क्वार्टर अक्तूबर से दिसम्बर तक 36 । अब की बार हुये है जनवरी से मार्च तक जब आपकी गवर्नमेंट थी, तब 32 और अप्रैल से ले कर जून तक हुये हैं 29 । मेरी कोई तसल्ली नहीं है इस बात से कि 3 कम हुये । . . . (*Interruption*) पहले डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स नही थे । अब दुनियां मानेगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स है । . . . (*Interruption*) अब आप सब घबड़ाते हों या कुछ करना चाहते हों तो पहले ज्यादा घबड़ाते थे बनिस्बत आज के । (*Interruption*) फिगर गलत पढ़ रहा

हूं तो किसी आदमी को कुछ यह हुआ है कि हमारा ख्याल गलत था ।

अब जो फायरिंग थी, जो आग में डाल दिये गये। फायरिंग, मकान जलाने के जो इसीडेन्ट्स हैं वह भी मेरे पास मौजूद हैं. . . (*Interruption*) तो ठीक है हमारे बोलने की जरूरत क्या है जो जी में आये कह दीजिये फिर हम सब चले जाते हैं। तो पिछले साल के पहले क्वार्टर में हुए हैं 62 केसेज, दूसरे में भी 62, तीसरे में 40, चौथे में 37 और अब की बार जनवरी से मार्च तक 56 और अप्रैल से जून तक 28। ठीक आ गये । अब इसे बढ़ा हुआ कह लीजिए । (*Interruptions*) अगर सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश से मतलब नहीं है तो बेशक चाहे जो कुछ कहिए । These are the hard facts. जब से जनता पार्टी की गवर्नमेंट आयी है मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, यह हो रहा है वह हो रहा है, उपसभाध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि एक भी कत्ल न हो और किसी गरीब आदमी को कोई तकलीफ न हो। यह अपना स्वप्न है लेकिन कभी भी किसी के स्वप्न पूरे नहीं होते हैं। लेकिन हमारा स्वप्न, जनता पार्टी को लीडर्स का स्वपन, उसके वर्कस का स्वप्न, गरीबों और दुखियाओं के आंसू पोंछने का स्वप्न है। अब आपने ठेका ले रखा है कि नहीं साहब, आप ही ऐसा कर सकते हैं, हम मजालिम ढायेंगे अपने लोगों पर--ठीक है मुबारक है--चाहे आप जो कुछ कहिए लेकिन इस पर कोई यकीन करने वाला नही है, हिस्ट्री यकीन नहीं करेगी। हमारा जो अमल है आज आप उसमें राख डालने की कोशिश करे, लेकिन 3 महीने के बाद मालूम हो जायगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मुझे एक-दो और बातें कहनी शेष रह गयी हैं. . . (*Interruption*) हमारे मायने कुछ नहीं होता है तो फिर गाली दीजिए, हम चुप हैं. . .

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। . . .

(*Interruption*)

श्री चरण सिंह: मैं यह अर्ज कर रहा था. . . चलो अच्छी बात है कुछ दोस्त सीखें तो. . .

(*Interruption*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): आप जारी रखें।

श्री चरण सिंह: ऐसे में जारी तो फिर नहीं हो सकता है. . . (*Interruption*) प्वाइंट यह उठाया गया था--वह शायद शुरू में जिन सज्जन की तकरीर हुई क्या आधार था आपके पास जो यह कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी का या उंदिरा जी का इरादा वक्त पड़ने पर, जरूरत जब समझें, यह उनका विचार चल रहा था--इरादा लफ्ज नही--अपोजीशन के लीडर्स को शूट करने का. . .

कई माननीय सदस्य: किसने उठाया ?

(*Interruption*)

श्री चरण सिंह: अब उसमें इस तरह खड़ होने की क्या बात है ? श्री बी० पी० दास ने उठाया। मेरे पास लिखा रखा है, ये जो मेरे पास नोट्स हैं, डीटेल्स हैं, जो शुरू में बी० पी० दास की तक़रीर हुई उसके-- basis of my statement about the PM's intention to kill leader. मैं अर्ज करता हू मेरा अनुमान था और अनुमान के लिए मेरे पास आधार था। वह यह कि प्रेसिडेन्शियल आर्डर सस्पेंड कर .ा है आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 21 यहां के सिटिज़न्स को देता है राइट टू लाइफ एण्ड लिबर्टी। लिबर्टी का आप राइट ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए हमेशा के लिए, जब तक आपका प्रेसिडेन्शियल आर्डर कायम है, लेकिन राइट टू लाइफ कैसे ले लिया है ? राइट टू लिबर्टी ले लिया गया है, हम जानते हैं जल में जाने के बाद वह राइट ले

[श्री चरण सिंह]

लिया गया है। यह बात समझ में आ सकती है लेकिन राइट टू लाइफ क्यों ले लिया गया? अगर, जो अधिकार आपको मिल गया, राइट टू लाइफ को ले लेने का ऐसा आपका इरादा नहीं था तो Why was it taken at all, for God's sake, can anybody tell me? मान लीजिए, आपसे फारगैटफुलनैस में वह प्रेसिडेन्शियल आर्डर निकल गया, आर्टिकल 21 को पूरी तौर से सस्पेंड करने का, लेकिन जब आपके एटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं कि:

"Today, according to the Presidential Order, as it is, nobody in this country has even the right to life."

और सुप्रीम कोर्ट के जज उनसे बहस करते हैं और वह बराबर जवाब देते हैं और खन्ना साहब अपने जजमेन्ट में एटार्नी जनरल की इस बहस का जिक्र भी करते हैं. . .

श्री कल्प नाथ राय: क्या यह जजमेन्ट आपने पढ़ा है?

श्री चरण सिंह: हां, मैंने पढ़ा उतना पोर्शन। अखबार में निकला है। अगर मैंने उसको नहीं भी पढ़ा होता लेकिन हमारी बहिन प्राइम मिनिस्टर जो थीं, इन्दिरा जी, वे उसका इम्प्लीकेशन नहीं समझती थीं तो गोखले समझता था, वह भी इन्टेलिजेन्ट था। आखिर बिना इन्टेलिजेन्स के इन्दिरा जी भी प्राइम मिनिस्टर हो नहीं गई थीं। हेड्लाइन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड थे कि हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को आज जीने का अधिकार नहीं है। आपका इरादा लोगों की जिंदगी लेने का नहीं था तो:

Why was the Presidential Order not amended immediately.

क्यों नहीं उसका संशोधन किया? मैंने वह बात सदन में भी कही थी और . . .

श्री कल्प नाथ राय: उपसभाध्यक्ष महोदय, पौइन्ट आफ आर्डर है. . .

श्री चरण सिंह: मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आपके जरिए माननीय सदस्य से फिर यह कहना चाहता हूं, मुझ को अधिकार है कहने का (*Interruptions*) कोई मुकद्दमा चलता है तो चलने दीजिए आप क्यों कहते हैं. . .

श्री कल्प नाथ राय: पौइन्ट आफ प्रिविलेज है। मैं पौइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): पौइन्ट आफ आर्डर हो क्या सकता है?

श्री कल्प नाथ राय: मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के गृह मंत्री को—

We should not attribute motives to the intelligence of...

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): यह पौइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चरण सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं . . .

श्री बिपिन पाल दास: पौइन्ट आफ आर्डर. . .

श्री चरण सिंह: अब कोई पौइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता। मैंने हाउस में कहा इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है. . .

SHRI BIPIN PAL DAS: Sir, it is not a point of order that I want to raise. What I mean to say is that the hon. Home Minister is repeating once again the far-fetched interpretation of what Mr. Niren De tried to say in the Court by way of interpreting the law. Did he mean to say that the Government was planning to shoot the leaders of the Oppisition in jails? We

take a strong objection to it and, if you insist on it, we shall have to walk out from the House. We cannot tolerate this nonsense. If you insist on it, we shall have to walk out of this House.

(Interruption)

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, अब देखिए मैं बैठ गया और जनाब की बातें सुनी. . .

श्री कल्प नाथ राय : यह अच्छी बात नही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप शांत रहिए। सुनिए तो उनकी बात।

श्री राजनारायण : सत्य बात की पुनरावृत्ति होगी।

श्री चरण सिंह : हो सकता है, गलत बात हो लेकिन डेमोक्रेसी में मुखालिफ की गलत बात सुनने की भी जिम्मेदारी है. . .

श्री बिपिनपाल दास : गलत नही, बेसलैस एण्ड बूट। आउटरेजियस है।

श्री चरण सिंह : मैंने सही बात कही है।

(Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया शांत रहिए।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, जरा इनको रोकिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपया गृह मंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे नही मालूम आप उस रोज तशरीफ रखते थे कि नही रखते थे, जब माननीय बी० पी० दास स्पीच दे रहे थे। बावजूद इसके कि मैं अटरली डिफर करता था, वे गलत स्पीच कर रहे थे, लेकिन मैं जरा भी नही उठा। ये तीन दफा उठ चुके है और मै आज हाउस में वहां कह चुका हूं और फिर रिपीट करना चाहता हूं,

It is not so far-fetched interpretation. It is a very simple interpretation. I have just...

(Interruption)

AN HON'BLE MEMBER: It is not that. Please stop that.

SHRI KALP NATH RAI: This is a figment of imagination of the hon. Home Minister.

श्री चरण सिंह : अगर यही रहा तो आप को कुछ ऐक्शन लेना पडेगा। इस तरह से तो हम भी खडे हो सकते हैं और कल से यही होगा। *(Interruption)* अब मैं कैसे बोलूं जब तक कि आप उनको न रोकें।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप सुन लीजिए।

(Interruption)

श्री चरण सिंह : आप बार बार इस तरह से खडे हो जाते है।

श्री राजनारायण : काफी इनाम मिल चुका है आप को। अब तो सुन लो।

श्री चरण सिंह : मैं फिर कहना चाहता हूं कि छोटा सा एक सेंटेंस है आर्टिकिल 21 में। जो फंडामेंटल राइट्स गिनाये गये है उसमे है राइट टु लाइफ एंड लिबर्टी। वह सस्पेंड हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि इसके सस्पेंशन की क्या आवश्यकता थी। अगर उस पर अमल करने का कभी कोई स्वप्न मे भी ख्याल नही था।

श्री कल्प नाथ राय : यह बीजू पटनायक . . .

(Interruption)

श्री चरण सिंह : यह बीजू पटनायक कहां से आ गये। यह तो इसी तरह की बात है कि किसी आदमी ने किसी लडके से पूछा कि पांच भैंसे थीं। उनमें से अगर तीन गायें

[श्री चरण सिंह]

मर गयीं तो कितनी भैंसें बचेंगी। अब पटनायक साहब आ गये बीच में। मैं एक बात और कहता हूं। एक अखबार ने निकाल दिया, एक वीकली है उसमें एक स्टेटमेंट है एक लायर का इन्वर्टेड कामाज मे, कि एक आदमी को पकड़ा गया और उससे कहा गया कि फलां जनता पार्टी के लीडर को अगर तुम शूट कर दो तो रिलीज हो जाओगे और बीस लाख रुपया दिया जायगा और एम०एल०ए० का टिकट दिया जायगा।

(*Interruption*)

मै तो अखबार की बात कह रहा हूं।

(इस समय अनेक सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : कृपा करके शान्त रहिये।

श्री चरण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये रणबीर सिह जी और दूसरे माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे मेरी बात सुनें। यही नहीं, श्री चव्हाण, एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने अपने इलेक्शन कंपेन मे खुल कर जो एक स्पीच दी है और जो सारे पेपर्स में निकली है उसमे उन्होंने कहा है कि :

"The Opposition leaders should thank themselves that they were not shot dead but were only confined."

एक और बात मै कहना चाहता हूं। 5 जनवरी, 1975 को जो मीटिंग हुई थी कंडोलेन्स की श्री एल० एन० मिश्र की डेथ के सिलसिले में, उसे होना चाहिए था। उसके बारे मे मेरे पास कई बयान हैं मेरी बहिन की चार कटिंग रखी हैं पर्सनल डेलीज है वे, उसमे उनका बयान यह है कि दरअसल वह तो गलती से मारे गये, श्री एल० एन० मिश्र। दि शाट वाज ऐम्ड ऐट मी। गोली का निशाना मैं थी। यह प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं। अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर तो हम पर यह चार्ज लगा सकती हैं कि हम उनको कत्ल करना चाहते थे और वह हमारा वार चूक गया और हम यह भी नही कह सकते उस प्रेसीडेंशियल आर्डर के बारे में और यह उनके वकील का इंटरप्रेटेशन है, अगर किसी इंटर-प्रेटेशन की आवश्यकता है तो। राइट टु लाइफ तो ले लिया गया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी कांग्रेस-मैन ने मुझे नहीं बतलाया कि ह्वाट वाज दि रीजन बिहाइन्ड इट। क्या रीजन था इसका अगर वे ढाका को यहां रिपीट नही करना चाहती थीं तो। (*Interruption*) अब हो गया। छोड़ देता हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : चौधरी साहब, आप मीसा के बारे में कहिये। उसको क्यों छोड़ देते है।

श्री चरण सिंह: हम ने यह तय किया है कि मीसा माननीय मित्र के खिलाफ या इनमें से किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। मीसा जो नवम्बर, 1973 में इन-एक्ट हुआ था, उस वक्त अपोजीशन भी उसमें शामिल थी। लेकिन वह एक एश्योरेंस चाहती थी जो उन्होने फ्लोर आफ दि हाउस में दिया कि it will not be used against political workers हम उसे पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर इस्तेमाल हुआ है तो उन लोगों के ऊपर जहां कोई और कानून नहीं हैं, जैसे काश्मीर में 124 आदमी और 5-7 और आदमियों को उसमें लाया गया इलेक्शन के दिनों में और जैसे ही पोलिंग खत्म हुई तो वह छोड़ दिये गये। हमने वायदा किया था प्रेसिडेंशियल एड्रेस के जरिये कि हमारा इरादा यह है कि किसी आदमी को कोई सजा न मिले जब तक उसको अदालत में अपनी सफाई देने का मौका न मिले। Nobody's liberty shall be taken away except under the due process of law.

हमारा इरादा यह था और यही है। हम रिव्यू कर रहे हैं सारे लाज को। हमारी एक्सपार्ट कमेटी बैठी हुई है। मैं अपने आपको एक तरह से गिल्टी महसूस करता हूं कि और मैं सेक्रेटरी साहब से दो तीन दफे कह चुका हूं कि काम हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, कई मीटिग्स हो चुकी हैं। तो हम आपको यह बताना चाहते है कि हमारा इरादा था और हमारा इरादा है कि हम किसी आदमी को जेल मे नहीं डालना चाहते हैं जब तक कि अदालत में उसको अपनी बात को कहने का मौका न मिले। इस वक्त हमने वह नहीं किया इसलिए कि वह पुराना ला है। इसमें जो 16ए है जिसमें लोगो को बिना ग्रांउड बताये बोर्ड के सामने पेश किया जाए वह तो पहले रिपील हो चुका है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है--माननीय श्याम लाल यादव जी ने कही थी--कि यह कोई रेवोल्युशन नहीं था इस इलेक्शन में। श्रीमन्, वह रेवोल्युशन था इस माने में कि कहीं इतिहास में सेंट परसेंट विक्ट्री या सेंट परसेंट डिफीट किसी पार्टी की नही होती। इलेक्शन होते रहते हैं और इलेक्शन भी एक रेवोल्युशन है। रेवोल्युशन एक दम और सडन और कंप्लीट था। गवर्नमेंट तो बदलती है। तो इस माने में हमने कहा कि यह रेवोल्युशन है। और हमने ही नही बल्कि इस इलेक्शन के नतीजे को वैस्टन कंट्रीज के जर्नलिस्ट्स ने भी यही संज्ञा दी है।

श्रीमन्, आपने फरमाया था--नो एचीवमेंट्स ड्यूरिंग थ्री मंथ्स। आप जानते हैं, आप स्वयं मिनिस्टर रह चुके हैं, अब मैं क्या अर्ज करूं। आप जानते हैं कि चार महीने में क्या एचीवमेंटस हो सकती हैं ? आते ही हम को रेस्टोर करना था लिबर्टीज को। फिर उसके लिए इसको रिपील करो, उसको रिपील करो। दूसरे कमीशन की तकरुरी कोई मामूली चीज नहीं है। टर्म्स आफ रेफरेंस हमको तय करने पड़ते हैं। उसके लिए मैटीरियल चाहिए। मैटीरियल हम मांग नहीं सकते जब तक कमीशन खुद न हो। जब तक टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं हो जायें तब तक कमीशन एपाइंट नही हो सकता। जो मैटीरियल हमारी फाइलों में था उससे हमको टर्म्स आफ रेफरेंस ऐसा करना था कि जो बाद में गलत न हो जाये कि खाली हम विच हंटिंग कर रहे थे। उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमने यह तय किया था कि जज आफ दि सुप्रीम कोर्ट हो या रिटायर्ड जज आफ दि सुप्रीम कोर्ट हो या रिटायर्ड या सर्विंग न मिले तो उसमें चीफ जस्टिस हो रिटायर्ड हाई कोर्ट का तो ऐसे लोग बहुत नही हैं। कुछ की उम्र ज्यादा हो गई। कुछ ने खुद लिखा कि हमारे लड़के की फलां आदमी के लड़के से दोस्ती है, आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, आपको भी एम्बरैसमेंट हो सकता है। तो उसमें हमको देर लगी। आप खुद ही देखिये, 15 दिन तक पार्लियामेंट रही। 26 या 27 से 12 तारीख तक और 11 से अब यह पार्लियामेंट रही, डेढ महीने इसको हो गये। डेढ़ और 15 दो हो गये। अब दो महीने रह गये, दो महीने में यह कमीशंस और असेम्बलीज का इलेक्शन हो गया। श्रीमन्, बात जरा पर्सनल हो जाती है, लेकिन मेरे और मेरे साथियों का यह हाल है कि हमें कोई समय मिलने मिलाने का नही है। माननीय मित्र शिकायत कर रहे थे, मुमकिन है इन्होंने टेलीफोन किया होगा, मैं उनकी बात सही मान लेता हूं, लेकिन हालत यह है कि बड़े-बड़े पदाधिकारी, पब्लिक मैन, बड़े-बड़े आफिसर्स, गवर्नर्स वगैरह उनसे भी अगर हम सब से मिलें तो यह समझ लीजिए कि सुबह से शाम तक यह होता रहता है। उनमें से बहुत से लोग हैं। हम सभी का यह हाल है कि जब हम घर जाते हैं या घर से निकालते हैं तो पचासों गांवों के लोग वहां बैठे होते हैं। उनको समझाते-समझाते थक जाते हैं। हम को वक्त ही नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा एचीवमेंट तो हमारा है इकोनोमिक अपलिफ्ट और इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स। मसलन प्राइसेज के घटाने की बात है और वह बढ़ रही है। प्राइसेज के बढ़ने का मुख्य कारण

[श्री चरण सिंह]

यह है कि पिछले साल जो मनी सप्लाई हुई वह 19 परसेंट हो गई । पिछले साल का असर अभी तो होगा । लोगों की जेब में परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई, कोरेसपोडिंगली 19 परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन नही हुआ तो हम क्या कर सकते हैं ? क्या समझाएं लोगो को ? फिर उन्हीं के दिये हुए लाइसेंस हैं वैजिटेबुल घी के जिसकी परचेजिंग सबसे ज्यादा बढ़ी है । उन इम्पोर्टर्स ने गैर-ईमानदारी से काम किया है इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं । उन्होने वैजिटेबल घी ले लिया है शायद इसी करण यह प्रोब्लम पैदा हो गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग अधिकतर अपने जीवन की सांझ मे हैं, इन द इवनिंग आफ अवर लाइफ । यह उलाहना देना, यह शिकायत करना कि ईमानदारी से नेकनीयती से लोग काम करते हैं, ठीक है । लेकिन उसमें बल नहीं है । आपको बात समझनी चाहिये, इसमें देर लगेगी। फ्राम द सक्रैप (?) आप देश को ठीक कर सकते हैं लेकिन जो चीज बिगड़ गई है, नेगेटिव में चली गई है उसको सुधारना आसान नही है । जो करेक्टर का ह्रास हुआ है इसको सुधारने में दो जनरेशन लगेंगे । मैं यह कोई और साथी मिल कर जो करैक्टर की लूट हुई है उसको ठीक कर सकते हैं और करैक्टर के मायने केवल मोरेलिटी या फाइनेंशियल नहीं है । कही कोई आदमी अपनी ड्युटी कर रहा है ? कही कोई आदमी कर्त्तव्यणील है । सब आदमी खाली बैठे है । सब स्वार्थी है, बडे से बड़ा और छोटे मे छोटा । हमारी खुशकिस्मती होगी, देश की खुशकिस्मती होगी कि अगर हम 10 साल में कुछ कर पायेंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ज्यादतियां हुई हैं । हमारे कुछ भाई कहते हैं कि जनता पार्टी में जनसंघ हावी है । मैं कहना चाहता हूं

Where is Jan Sangh? Jan Sangh is dead.

कुछ भाई कहते हैं भारतीय लोक दल–हावी है मैं कहना चाहता हूं वह कहां है ।

We are an entirely new party.

जो हम पहले थे उसको हमें भूलना होगा और उसको हम भूल रहे हैं । ठीक है कुछ वीकनेसेज हैं जो नहीं होनी चाहिये । लेकिन जो सिच्युएशन है उसमें हम एक हैं । पार्टी जब एक बन जाती है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं, वे एक हो जाते हैं । पहले हम ग्रुप्स मे थे अब हमारी एक पार्टी बन गई है । हमारा जो माइंड है वह पास्ट की तरफ प्रिवेल करता है । गलतियां हो जाती है, लेकिन सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं देश में कि हमें उन गलतियों को दूर करना ही पड़ेगा । हम सब लोगों ने यह तय किया है कि हमारे किसी भी व्यक्ति के स्वार्थ के कारण पार्टी को नुकसान न पहुंचे ।

We will sacrifice ourselves, we will retire from public life, but will not allow the Janata Party to suffer.

और बातें मैं छोडे देता हूं । आखिर मे मैं यह बात कह कर खत्म कर देना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के दोस्तों ने, अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजों की नकल करना नही छोड़ा । उनकी जो पालिसी थी डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो, वही हमारे दोस्त कर रहे हैं । कहा जाता है कि हम हरिजनों के दुश्मन हैं । यह गवर्नमेंट हरिजनों की दुश्मन है, खास कर यह चरण सिंह तो बहुत ही दुश्मन है । इसकी बिरादरी के लोग हरिजनों के दुश्मन हैं । हां, बिरादरी की बात आई है तो मैं कहना चाहता हूं यह हमारी बदकिस्मती है कि इसी वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है । शास्त्री जी चले गये, वह भी बहुत बोल रहे थे और श्री राकेश यहां नहीं हैं वह इस सदन के सदस्य भी नही हैं उन्होंने भी स्पीच दी । उनकी स्पीच मैं सुना देता हूं ।

SHRI N. P. CHAUDHARI: There is no quarum in the House. The proceedings cannot go on.

श्री चरण सिंह : मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि ...

SHRI SANAT KUMAR RAHA: How can he spoke when there is no quorum?

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : ठीक है, कोरम की घंटी बज रही है। चौधरी साहब, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच करने में समय लगेगा ही। गृह मंत्रालय से संबंधित ये बातें है। यह इनके बारे में अपनी रिपोर्ट मगाएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि जो सारी रिपोर्ट होती हैं वे सदेह से परे नहीं होती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो घटनाएं होने की बात कही गई है उनकी तरफ भी मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा कि गृह मंत्री के चुनाव क्षेत्र बागपत में या उसके आस-पास 1 अप्रैल और 15 मई को 5 हरिजन लड़कियों को जाटों ने दिन-दहाड़े पकड़ लिया और उनके साथ बलात्कार किया और दो लड़कियों की हत्या कर दी। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो कुछ मुझे लिखा है उसको मैं आपके सामने संक्षेप में या सारांश रूप में कह देना चाहता हूं। शास्त्री जी ने कहा कि 13 गांवों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक गांव में एक घटना हुई है और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर गया है। उसने कहा है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। जिसका जिक्र किया गया है वह कोई घटना नहीं है। यह एक जमीन का डिसप्यूट है और इस बारे में मुकद्दमा चल रहा है। इस मामले में 25 हजार रुपये दाखिले के रूप में ले लिये गये हैं। ये बातें मेरे हल्के की हों या किसी अन्य हल्के की, ये सब गलत बातें हैं।

इन बातों के साथ-साथ यहां पर हरिजन और नौन-हरिजन का भी काफी सवाल पैदा किया गया। इसके साथ ही हिन्दी और अहिन्दी भाषियों का सवाल पैदा किया गया, नार्थ-साउथ का सवाल पैदा किया गया और जनसंघ और गैर-जनसंघ की बात कही गई। इन लोगों की यह कोशिश है कि किसी तरह से यह बख्तर टूट जाय। ये लोग कहते हैं कि बे पढ़े-लिखे लोग हैं, सीधे-साधे हैं, इसलिए अगर होम मिनिस्टर को निकालो कहेंगे तो हो सकता है कि होम मिनिस्टर को निकाल दिया जाय। यह भी इन लोगों ने कहा कि मैं हरिजनों का दुश्मन हूं। ठीक है, अगर आप यह बात कहते जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग इस पर यकीन करने लगें और आपका पोलिटिकल कैपिटल प्राप्त हो जाय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी जो बनी है, यह उसी प्रकार से बनी है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेशनल इंडिपेन्डेन्स के लिए लड़ने के फलस्वरूप बनी थी। इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेसी को कायम करने लिये लड़ी गई लड़ाई के फलस्वरूप जनता पार्टी का उदय हुआ है। यह पार्टी धधकती भट्टी में से निकल कर बनी है और अब किसी भी तरह से यह मिटने वाली नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : चूंकि कोरम नही है, इसलिए अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at forty-four minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 26th July, 1977.

GMGIPMRND—LS II—686 RS—1-9-77—595.